




# नेपाल कै संविधान (अवधी अनुवाद)




डुडुवा गाउँपालिका  
बाँके



सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र (IHRC)  
नेपालगन्ज, बाँके



# नेपाल कै संविधान (अवधी अनुवाद)



डुडुवा गाउँपालिका  
बाँके

सल्लाहकार : नरेन्द्र कुमार चौधरी (पप्पु)  
: शाहिदा बानो  
: परशुराम उपाध्याय  
: वरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजीत तिवारी  
: वरिष्ठ अधिवक्ता भोलासिंह हमाल  
: अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्की  
: अधिवक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली  
: अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी

अवधी अनुवाद : शिव प्रसाद पाठक  
अवधी भाषा विज्ञ : विक्रममणी त्रिपाठी  
सम्पादन/संयोजन : राकेश कुमार मिश्र

प्रथम संस्करण : २०७८ (२००० प्रति)  
सर्वाधिकार : डुडुवा गाउँपालिका बनकट्टी बाँके  
आर्थिक सहयोग : डुडुवा गाउँपालिका बनकट्टी बाँके  
प्रकाशन : सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र (IHRC) बाँके  
शुल्क : सचेतना तथा अध्ययनका लागि डुडुवा गाउँपालिकाद्वारा  
निःशुल्क वितरित ।



डुडुवा गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
बनकट्टी, बाँके

लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

पत्र संख्या-२०७८/०७९  
च.नं.-

हार्दिक शुभकामना



लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्ला डुडुवा गाउँपालिका पश्चिम तराईको मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएको गाउँपालिका हो । भौगोलिक अवस्थिति, नामाकरण, राजनीतिक अवस्थिति, प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक उत्कृष्टता, विकासका सभावना बोकेको पालिका हो । डुडुवाका नागरिकका लागि गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, पशु र कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेको छ । जनताका घरदैलोमा सेवा प्रवाह गरिएको छ भने सेवाको प्रभावकारितासँगै गुणस्तरियतामा विशेष जोड दिइएको छ । गाउँपालिकामा अवधी समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको छ ।

नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा २०७२ सालमा समावेशीमूलक संविधान जारी भएको छ । नेपालको संविधानले अहिले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसैक्रममा नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कानून किताब व्यवस्था समितिद्वारा प्रकाशित नेपाली भाषाको नेपालको संविधानलाई स्थानीय अवधी भाषामा अनुवाद गरिएको छ । सूचना र कानूनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेले अवधी अनुवादको काम गरेको हुनाले अवधी भाषीहरूका लागि अनुवादित संविधान अति उपयोगी हुने भएकाले गाउँपालिकाले प्रकाशनमा ल्याएको छ ।

नागरिकहरू बढी भन्दा बढी कानूनका बारेमा थाहा पाउन भनेर यो कार्यलाई पालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेर संविधानलाई अवधी अनुवाद गरि प्रकाशनमा ल्याएको हो । अनुवादित संविधान प्रकाशन गर्नका लागि नेपाल सरकार कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा अनुमति र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा भाषा शुद्धाशुद्धी, अनुवादक शिव प्रसाद पाठक, अवधी भाषाविज्ञ विक्रममणी त्रिपाठी, संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी र संयोजन तथा सम्पादन गर्नुभएका राकेश कुमार मिश्र र कानूनका बारेमा सरसल्लाह प्रदान गर्नुहुने कानूनका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय इन्द्रजीत तिवारी र भोलासिंह हमाल, अधिवक्ताहरू प्रहलाद बहादुर कार्की र ईश्वरी प्रसाद ज्ञवाली लगायत सम्पूर्ण समुहलाई विशेष धन्यवाद दिदै यो संविधानलाई अध्ययन गरि कानूनका बारेमा ज्ञान हासिल गर्नु हुनेछ भने अपेक्षासहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

मिति : २०७८/११/२२

नरेन्द्र कुमार चौधरी (पप्पु)  
अध्यक्ष



नेपाल सरकार  
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय  
(..... शाखा)

प.सं. : ०६९/०६९  
च.नं. : ५६९



सिंहदरबार, काठमाण्डौं

मिति: २०७८।१०।०४

श्री सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र,  
नेपालगञ्ज ।

विषय: नेपालको संविधानलाई अवधी भाषामा प्रकाशन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगञ्जको मिति २०७८।०८।२६ को पत्रबाट माग भए अनुसार देहायका शर्तहरूको पालना गर्ने गरी अवधी भाषामा नेपालको संविधान अनुवाद गरी प्रकाशन गर्न अनुमति दिइएको व्यहोरा नेपाल सरकार (मा.मन्त्रिस्तरको मिति २०७८।१०।०३ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।

शर्तहरू

- अवधि भाषामा अनुवाद गरिएको नेपालको संविधान कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कानून किताब व्यवस्था समितिबाट प्रकाशित नेपाली भाषाको नेपालको संविधान बमोजिम ठिक छ भनी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सिफारिस गरिएको हुनु पर्नेछ ।
- नेपालको संविधानको अवधि भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशित गरिएको संविधानको १० प्रति यस मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
- नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषताहरू (जस्तै:- नागरिकता, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू) समेटिएको टिप्पणी समेत संलग्न गर्नुपर्ने ।
- संवैधानिक, कानूनी पत्रको निरोपण वा व्याख्या समेतको सन्दर्भमा कानून किताब व्यवस्था समितिले नेपाली भाषामा प्रकाशन गरेको संविधान मात्र मान्य हुने भन्ने व्यहोरा अनुवादित प्रतिमा छान्नुपर्ने ।
- अवधि भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गरी प्रकाशन गरिएको संविधान प्राज्ञिक प्रयोजन एवं नेपालका अवधी जातीलाई सुसूचित/सचेतना दिलाउनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।
- अवधी भाषामा प्रकाशन गरिए नेपालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रति निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने एवं सो सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित हुने प्रतिको कभर पेजमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।
- अवधी भाषामा अनुवादित प्रतिमा कुनै भाषागत त्रुटी एवं द्विविधा भएमा यस मन्त्रालय जवाफदेही गहुने ।
- अवधी भाषामा अनुवादित नेपालको संविधानको प्रकाशन तथा वितरणका लागि यस मन्त्रालयले कुनै आर्थिक व्यय भार नव्यहोने ।

(राजाराम दाहाल)  
उपसचिव



## नेपाल प्रजा-प्रतिष्ठान



कमलादी, काठमाडौं, नेपाल  
फोन : ०१-४२२१२८३, ४२२१२४१, ४२२१२४२  
फ्याक्स : ९७७-०१-४२४१७८६, ४२४७८८६  
पो.ब.नं. : २२०५८, काठमाडौं, नेपाल  
इमेल : office@nepalacademy.gov.np  
info@nepalacademy.gov.np  
वेबसाइट : www.nepalacademy.gov.np

पत्र सङ्ख्या २०६८/०६८  
चलानी नं. ११४ (स.प्र.सि.स.)

मिति : २०७८/१२/११

श्री सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र,

नेपालगन्ज, बाँके

विषय: प्रकाशन सम्बन्धमा ।

त्यस केन्द्रद्वारा मिति २०७८/११/१४ मा पठाइएको पत्र प्राप्त भई बेहोरा अवगत गरियो । नेपालको संविधानलाई अवधी भाषामा अनुवाद गराई उक्त भाषाभाषीहरूले नेपालको संविधान २०७२ लाई पढ्न तथा बुझ्न सजिलो बनाएकोमा सोको लागि नेपाल प्रजा-प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्दछौं ।

उक्त अनुवादमा नेपालको संविधान अक्षरशः आए-नआएको र अवधी भाषाको प्रचलित व्याकरण अनुसार भए-नभएको सम्बन्धमा अवधी भाषाका विज्ञ श्री विक्रममणि त्रिपाठीलाई अध्ययन गर्न दिइएकोमा निजबाट नेपालको संविधानको अक्षरशः अनुवाद भएको र उक्त अनुवाद प्रचलित अवधी व्याकरणअनुसार नै रहेको भन्ने उल्लेख भई आएकोले यसको सम्पूर्ण जबाफदेहिता अनुवादक र विज्ञमा रहने गरी प्रकाशन गर्न सकिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।

प्रा. जगतप्रसाद उपाध्याय  
सदस्य सचिव  
नेपाल प्रजा-प्रतिष्ठान

# नेपाल कै संविधान

(अवधी अनुवाद)

## संशोधन

नेपाल कै संविधान (पहिला संशोधन), २०७२

नेपाल कै संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७

## राजपत्र मा प्रकाशित मिति

२०७२।०६।०३

२०७२।११।१६

२०७७।०३।०४

## प्रस्तावना

हम सब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता,

नेपाल केर स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता तथा स्वाभीमान का अक्षय राखि कै जनता कै सार्वभौम, स्वायत्ता औ स्वशासन के अधिकार का आत्मसाथ करतै,

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र औ अग्रगामी परिवर्तन के खातिर नेपाली जनता के द्वारा बारम्बारकहा ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग, बलिदान केर गौरव से भरा इतिहास केर याद करतै, शहीद और लापता पीडित नागरिक केर सम्मान करतै, सामन्ती निरंकुश केन्द्रीकृत औ एकात्मक राज्य व्यवस्था से पैदा भवा सब मेर कै विभेद और उत्पीडन का समाप्त करतै,

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक औ भौगोलिक विविधता युक्त विशेषता का आत्मसात कइके विविधा के बीच मा एकता, समाजिक, सांस्कृतिक एकबद्धता सहिष्णुता और सदभाव केर संरक्षण एवं प्रवर्द्धन करतै, वर्ग बीच, जातीय क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक भेदभाव औ सब मेर कै जातिय छुवाछुत कै अन्त कइके आर्थिक समानता, समृद्धि औ समाजिक न्याय सुनिश्चित करै खातिर समानुपातिक, समावेशी, सहभागिता मूलक सिद्धान्त के आधार पर, समतामूलक समाज के निर्माण कै संकल्प करतै,

जनता कै प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक कै स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवाधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता औ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्य कै अवधारणा समेत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पर आधारित समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध रहिके समृद्ध राष्ट्र निर्माण करै खातिर,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम से पूर्ण शान्ति, सुशासन, विकास औ समृद्धि कै आकांक्षा पूरा करै के खातिर संविधान सभा से पारित कइके यी संविधान जारी कीन जात है ।

## १. संविधान मूल कानून :

(१) यी संविधान नेपाल कै मुख्य कानून होय यी संविधान से बाभै वाले कानून बाभै के सीमा तक अमान्य होई ।

(२) संविधान कै पालना करै के प्रत्येक व्यक्ति कै कर्तव्य होई ।

२. **सार्वभौमसत्ता औ राजकीय सत्ता :** नेपाल कै सार्वभौमसत्ता औ राजकीय सत्ता नेपाली जनता मा नीहित है । इकै प्रयोग यहि संविधान मा व्यवस्था किहा गवा मुताविक होई ।

३. **राष्ट्र :** बहु जातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता मा रहा समान इच्छा औ नेपाल कै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्र कै हित औ समृद्धि के प्रति आस्थावान रहिके एकता के एक धागा मा आवद्ध सब नेपाली जनता सम्पूर्ण रुपमा राष्ट्र होय ।

## ४. नेपाल राज्य :

(१) नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद, उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य होय ।

**स्पष्टीकरण :** यी धारा केर प्रयोजन के खातिर सनातन से चला आवा धर्म संस्कृति के संरक्षण समेत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता जाना समझा जाय ।

(२) नेपाल कै क्षेत्र यही अनुसार होई ।

(क) संविधान प्रारम्भ के समय कै क्षेत्र

(ख) संविधान प्रारम्भ होय के बाद प्राप्त होय वाला क्षेत्र ।

## ५. राष्ट्रिय हित :

(१) नेपाल कै स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वभिमान, नेपाली के हक हित केर रक्षा, सीमा के सुरक्षा आर्थिक उन्नति औ समृद्धि नेपाल के राष्ट्रिय हित के आधारभूत विषय होईहै ।

(२) राष्ट्र हित के प्रतिकूल आचरण औ कार्य संघीय कानून अनुसार दण्डनीय होई ।

६. **राष्ट्र भाषा :** नेपाल मा बोली जायवाली सब भाषा राष्ट्र भाषा होय ।

## ७. सरकारी काम काज कै भाषा :

(१) देवनागरी लिपीमा लिखै वाली नेपाली भाषा नेपाल कै सरकारी काम काज कै भाषा होई ।

**भाग-२**  
**नागरिकता**

- (२) नेपाली भाषा के अलावा प्रदेश अपने प्रदेश भीतर बहुसंख्यक जनता के द्वारा बोली जायवाली एक वा एक से ज्यादा अन्य राष्ट्र भाषा प्रदेश के कानून मुताबिक प्रदेश के सरकारी काम काज के भाषा निश्चित के सकत है ।
- (३) भाषा सम्बन्धी आउर विषय भाषा आयोग के सिफारिस मा नेपाल सरकार के निर्णय अनुसार होई ।

**८. राष्ट्रिय भण्डा :**

- (१) सिन्दूरी रङ्ग के जमीन, गाढा नीला रङ्ग केर किनारा भवा दुई त्रिकोण थोडा जुटा उपरवाला भाग मा हसिया के आकार जस चन्द्रमा औ उके बिच्चेम सोलह मा आठ कोण देखायवाला सफेद आकार औ नीचे के भाग मा बारह कोण युक्त सूर्य केर सफेद आकार अंकित भण्डा नेपाल के राष्ट्रिय भण्डा होय ।
- (२) नेपाल के राष्ट्रिय भण्डा : राष्ट्रिय भण्डा बनावै के तरीका और उससे सम्बन्धित विवरण अनुसूची-१ मा लिखा अनुसार होई ।

**९. राष्ट्रिय गान इत्यादि :**

- (१) नेपाल केर राष्ट्रिय गान अनुसूची-२ मा लिखे मुताबिक होई ।
- (२) नेपाल केर निशान छाप अनुसूची ३ मा लिखा मुताबिक होई ।
- (३) नेपाल के राष्ट्रिय फूल लाली गुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिमरिङ्ग, राष्ट्रिय जनावर गाय, राष्ट्रिय पंछी डाँफे होई ।

**१०. नागरिकता से वन्चित न किया जाई :**

- (१) कवनौ नेपाली नागरिक का नागरिकता प्राप्त करै के हक से वन्चित न किया जाई ।
- (२) नेपाल मा प्रदेशिक पहिचान सहित के एकल संघीय नागरिकता के व्यवस्था किया गवा है ।

**११. नेपाल के नागरिक होई :**

- (१) यी संविधान शुरु होय के समय नेपाल के नागरिकता प्राप्त किहे औ यही भाग के मुताबिक नागरिकता प्राप्त करै के योग्य व्यक्ति नेपाल के नागरिक होई है ।
- (२) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय नेपाल मा स्थायी रुप से रहैवाले नीचे लिखा मुताबिक के व्यक्ति वंशज के आधार से नेपाल के नागरिकता ठहरिहै :
- (क) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय से पहिले वंशज के आधार मा नागरिकता प्राप्त किहा व्यक्ति,
- (ख) कोई व्यक्ति पयदा होय के समय उके बाप या महतारी नेपाल के नागरिक है तो ऊ व्यक्ति ।
- (३) यी संविधान प्रारम्भ होय से पहिले जन्म के आधार मा नेपाल के नागरिकता प्राप्त किया नागरिक के सन्तान महतारी बाप दुनौ जना नेपाल के नागरिक है तौ उका बालिक होइ जाय पर वंशज के आधार मा नेपाली नागरिक प्राप्त होई ।
- (४) नेपाल के भीतर मिला पितृत्व औ मातृत्व के पता न चला तक प्रत्येक नाबालक उनके महतारी बाप पता न लागे तक वंशज के आधार मा नेपाल के नागरिक ठहरिहै ।
- (५) नेपाल के नागरिक महतारी से नेपाल मइहाँ जन्म भवा नेपाल मइहाँ ही रहै वाले औ बाप के पहिचान होय पावै वाले सकैक व्यक्ति का वंशज के आधार मा नेपाल के नागरिकता प्रदान किहा जाई, लेकिन बाप बिदेशी नागरिक होय के पक्का जानकारी मिलैके बाद ऊ व्यक्ति के नागरिकता संघीय कानून के अनुसार अंगीकृत नागरिकता मा परिवर्तित होई ।
- (६) नेपाली नागरिक से बैवाहिक सम्बन्ध जोडै वाली बिदेशी महिला चाहै तौ संघीय कानून अनुसार नेपाल के अंगीकृत नागरिकता लै सकत है ।

**भाग-३**  
**मौलिक हक औ कर्तव्य**

- (७) यी धारा मा अन्तै चाहै जौन बात लिखा होय, तहुँ विदेशी नागरिक से विवाह किहे नेपाली औरत से जन्मा व्यक्ति के हक मा ऊ नेपाल मा स्थायी रूप से रहै वाला औ ऊ व्यक्ति विदेशी नागरिकता नाई प्राप्त किहे है तौ ऊ संघीय कानून मुताबिक नेपाल कै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कै सकत है ।
- लेकिन नागरिकता प्राप्त करै के समय वह कै नाम महतारी नेपाली नागरिक भएपर नेपाल मा जन्मा वस व्यक्ति वंशज के आधार मा नागरिकता प्राप्त कै सकत है ।
- (८) यी धारा मा लिखा से अलग नेपाल सरकार संघीय कानून के मुताबिक नेपाल कै अंगीकृत नागरिकता प्रदान कै सकत है ।
- (९) नेपाल सरकार संघीय कानून अनुसार नेपाल केर सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान कै सकत है ।
- (१०) नेपाल भीतर मिलावै वाला कोई क्षेत्र प्राप्त भएपर ऊ क्षेत्र भित्तर बसोवास करै वाला व्यक्ति संघीय कानून के अधीन मा रहा नेपाल कै नागरिक होई ।
- १२. वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहित कै नागरिकता :** यी संविधान अनुसार वंशज के आधार मा नेपाल कै नागरिकता प्राप्त करै वाला व्यक्ति उनकै बाप महतारी के नाम से लैंगिक पहिचान समेत कै नेपाल कै नागरिकता प्रमाण पत्र पाय सकत है ।
- १३. नागरिकता के प्राप्ती, पुनःप्राप्ती औ समाप्ती :** नागरिकता कै प्राप्ती, पुनःप्राप्ती औ समाप्ती सम्बन्धमा आउर व्यवस्था संघीय कानून मुताबिक होई ।
- १४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान किहा जाय सकत है :** विदेशी देश कै नागरिकता लिहे दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन कै सदस्य राष्ट्र के अलावा देश मा रहै वाले पहिले वंशज वा जन्म के आधार मा ऊ वा उनकै बाप महतारी बाबा, दादी नेपाल कै नागरिक रहिके, बाद मा विदेशी देश कै नागरिकता प्राप्त किहे व्यक्ति का संघीय कानून मुताबिक, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग कै आवश्यकता खातिर नेपाल कै गैर आवासीय नागरिकता प्रदान कीन जाय सकत है ।
- १५. नेपाल कै नागरिकता सम्बन्धी कै अन्य व्यवस्था :** नेपाल कै हर एक नागरिक कै परिचय मालूम होय किसिम से अभिलेख रखे औ नेपाल कै नागरिकता सम्बन्धी आउर व्यवस्था संघीय कानून मुताबिक होई ।

**१६. सम्मान सहित जीयै कै हक :**

- (१) हरेक व्यक्ति का सम्मान पूर्वक जीयै कै हक होई ।  
(२) कोई का भी मृत्युदण्ड कै सजाय देयवाला कानून बनावा न जाई ।

**१७. स्वतन्त्रता केर हक :**

- (१) कानून बमोजिम वाहेक कोई का भी वैयक्तिक स्वतन्त्रता से बन्चित न किया जाई ।  
(२) सबै नागरिक का इमेर लिखित स्वतन्त्रता रही :  
(क) विचार औ अभिव्यक्ति कै स्वतन्त्रता,  
(ख) बिना हात हतियार के शान्तीपूर्वक जमा होई कै स्वतन्त्रता,  
(ग) राजनीतिक पार्टी(दल) खोलै कै स्वतन्त्रता,  
(घ) संघ संस्था कालै कै स्वतन्त्रता,  
(ङ) नेपाल के कवनौ भाग मा आवै जाय कै औ रहै कै स्वतन्त्रता,  
(च) नेपाल के कवनौ भाग मा पेशा, रोजगार उद्योग, व्यापार व्यसाय कै स्थापना औ संचालन करै कै स्वतन्त्रता ।

लेकिन,

- (१) खण्ड (क) के कवनौ बात से नेपाल कै सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता औ स्वाधीनता अथवा संघीय वा विभिन्न जात, पात, धर्म सम्प्रदाय बीच कै सुसम्बन्धमा बाधा (खलल) परै जातीय भेदभाव छुवाछुत का दुरुत्साहन करै के, श्रम के प्रति अवहेलना करै गारी, बेइज्जती अदालत कै अवहेलना (अपमान) होय, अपराध करै दुरुत्साहन करयक वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता के प्रतिकूल होय वाले कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगावै खातिर ऐन बनावयक रोक लगावा गवा न माना जाई ।  
(२) खण्ड (ख) के कवनौ बात से नेपाल कै सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता औ स्वाधीनता औ संघीय इकाई बीच के सुसम्बन्ध अथवा सार्वजनिक शान्ति औ व्यवस्था मा बाधा (खलल) परै वाले कार्य मा मुनासिब प्रतिबन्ध लगावै वाला ऐन बनावै रोक लगावा न माना जाई ।  
(३) खण्ड (ग) के कवनौ बात से नेपाल कै सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय औ स्वाधीनता मा बाधा (खलल) परै राष्ट्र के

बिरुद्ध जासूसी करै राष्ट्रिय गोपनीयता भंग करै अथवा नेपाल के सुरक्षा मा आंच पहुँचावै के हिसाब से कवनौ विदेशी राज्य, संगठन अथवा प्रतिनिधी का सहयोग करै, वा राजद्रोह करै संघीय इकाई के बीच कै सुसम्बन्ध मा व्यवधान (खलल) परै, जातीय वा सम्प्रदायिक विद्वेष फैलावै वा विभिन्न जातपात धर्म औ सम्प्रदाय बीच के सुसम्बन्ध मा बाधा वा(खलल) पहचावै खाली जात, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय अथवा लिङ्ग के आधार मा कोई राजनैतिक दल कै सदस्यता प्राप्त करैक वा बन्देज लगावैक वा नागरिक दल गठन करैक, हिंसात्मक कार्य दुरुत्साहन करै वा सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल होयवाला कार्य मा मुनासिब प्रतिबन्ध लगावै के हिसाब से ऐन बनावैक रोक लगावा न माना जाई ।

- (४) खण्ड (घ) कै कवनौ बात से नेपाल कै सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियता औ स्वाधीनता मा बाधा परै राष्ट्र के बिरुद्ध जासूसी करै, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग करै अथवा नेपाल के सुरक्षा मा असर (आँच) पहुँचावै वाला कोई विदेशी राज्य संगठन वा प्रतिनिधी का सहयोग करै, राजद्रोह करै अथवा संघीय इकाई बीच के सुसम्बन्ध मा बाधा (खलल) परैवाला हिंसात्मक कार्य के खातिर दुरुत्साहन करै वा सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल होय वाला काम मुनासिब प्रतिबन्ध लगावै खातिर ऐन बनावै कै रोक लगावैक न माना जाई ।
- (५) खण्ड (ङ) के कवनौ बात से सर्वसाधारण जनता कै हित अथवा संघीय एकाई के बीच कै सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात पात, धर्म, सम्प्रदाय के बीच कै सुसम्बन्धमा बाधा (खलल) अथवा हिंसात्मक कार्य करयक वा वइसै कार्य करैक दुरुत्साहन करै वाले काम मा ऐन बनावै रोक लवाइव न माना न जाई ।
- (६) खण्ड (च) यी खण्ड के कवनौ बात से संघीय इकाई के बीच कै सुसम्बन्ध मा बाधा पहुँचावै वाला काम अथवा सर्वसाधारण जनता कै सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकता के प्रतिकूल के कार्य मा रोक लगावै अथवा कवनो खास उद्योग, ब्यापार, सेवा राज्य का खाली संचालन करैक अथवा कोई पेशा, रोजगार, उद्योग, ब्यापार व्यवसाय करै खातिर कोई सर्त अथवा योग्यता निश्चित करै कारन ऐन बनावैक रोक लगावा गवा न माना जाई ।

## १८. समानता कै हक :

- (१) सब नागरिक कानून के नजर मा समान रहिहै कोइ का भी कानून के समान संरक्षण से वन्चित न किया जाई ।
- (२) सामान्य कानून के प्रयोग मा उत्पत्ती, धर्म, वर्ण, जातपात, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिती, बैवाहिक स्थिती, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था अथवा अइसे कोई भी आधार मा भेदभाव न किया जाई ।
- (३) राज्य नागरिक लोगन के बीच उत्पत्ती, धर्म, वर्ण, जातपात, लिंग आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अइसेन कवनौ आधार से भेदभाव न किया जाई ।

लेकिन, सामाजिक वा सांस्कृतिक हिसाब से पिछडे औरत, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम उत्पीडित वर्ग पिछडा, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, लैंगिक अथवा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भवा व्यक्ति, गर्भास्था कै व्यक्ति, अशक्त, असहाय, पिछिडा क्षेत्र, आर्थिक रुप से गरीब खस आर्य समेत कै नागरिक के संरक्षण, सशक्तीकरण अथवा विकास कै खातिर कानून मुताबिक विशेष व्यवस्था करै रोक लगाय गवा न माना जाई ।

**स्पष्टीकरण :** यी भाग औ भाग ४ के खातिर “आर्थिक रुप से विपन्न” कैह के माने संघीय कानूनमा निश्चित किहा गवा आय से कम आय वाला व्यक्ति समझै के हे ।

- (४) समान रुप से समान काम खातिर लैंगिक आधार से परिश्रमिक औ समाजिक सुरक्षा मा कवनौ भेदभाव न किया जाई ।
- (५) पैतृक सम्पत्ती मा लैंगिक भेदभाव बिना सब सन्तान कै समान रुप से हक होई ।

## १९. संचार कै हक :

- (१) विद्युतिय, प्रकाशन, प्रसारण, औ अखबार समेत कोई भी माध्यम से कोई समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना अथवा औ कवनौ पढ्यवाला, देखैवाला, सुनै वाला सामाग्री के प्रकाशन प्रसारण करैक अथवा प्रवाह करैक वा छापै से पहिले प्रतिबन्ध न लगावा जाई ।

लेकिन नेपाल कै सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता अथवा संघीय इकाई बीच कै सुसम्बन्ध अथवा विभिन्न जात पात, धर्म, सम्प्रदाय बीच कै यी सम्बन्ध मा बाधा (खलल) करै, राज्यद्रोह, गारी,

वेइज्जती वा अदालत कै अपमान होय वाला अपराध करै के दुरुत्साहन करै सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकता के प्रतिकूल काम करै श्रम के अवहेलना करै जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक भेदभाव का दुरुत्साहित करै वाले काम मा मुनासिब करै खातिर ऐन बनावै का रोक लगावा गवा न माना जाई ।

- (२) कोई सुनै वाला, सुनै औ देखै वाला अथवा विद्युतीय सामान के माध्यम से वा मुद्रण कारखाना से कोई समाचार, लेख , सम्पादकीय, रचना, सूचना वा और कोई सामाग्री मुद्रण प्रकाशन, प्रसारण किहे वा छापै के कारण वस सामाग्री प्रकाशन, प्रसारण करैवाला वा छापैवाला, रेडियो, टेलिफोन अनलाइन अथवा आउर कवनो मेर कै डिजिटल, वा विद्युतीय उपकरण अखबार वा अन्य संचार माध्यम का बन्द जफ्त वा दर्ता खारेज वा वस सामान का जफत न किया जाई ।

लेकिन, यी उपधारा मा लिखा कवनौ बात से रेडियो, टेलिभीजन, अनलाइन वा आउर कवनो मेर के डिजिटल अथवा विद्युतीय सामान अखबार, मुद्रण कारखाना वा अन्य संचार माध्यम का नियमानुसार बनावै खातिर ऐन (कानून) बनावै मे बन्देज लगाय गवा न माना जाई ।

- (३) कानून मुताबिक बाहेक कोई भी छाप, विद्युतिय प्रसारण आउर टेलिफोन लगायत केर संचार साधन कहिया बन्द न किया जाई ।

## २०. न्याय सम्बन्धी हक :

- (१) कोई भी व्यक्ति का पकरै केर कारण सहित कै सूचना दिहे बिना हिरासत मा न राखा जाई ।
- (२) हिरासतमा परा व्यक्ति का हिरासत मा परा समय से ही अपने चाहै वाले कानून व्यवसायी (वकील) से सलाह लेय पइहै औ अपने कानून व्यवसायी (वकील) से आपन पक्ष रखै के हक होई । अस व्यक्ति अपने वकील से किहा सल्लाह, परामर्श औ उनके दीन सल्लाह गोप्य रही । लेकिन शत्रु देश कै नागरिक के हक मा यी उप धारा लागू न होई ।  
**स्पष्टीकरण :** यी उपधारा कै प्रयोग करै खातिर “कानून व्यवसायी” कहैक माने कार्यालय, अदालत मा कोई व्यक्ति केर प्रतिनिधी बना कानून से अधिकार दिया व्यक्ति का समझा जाय ।
- (३) हिरासत मा लिया व्यक्ति का हिरासत मा लिहे के समय, स्थान से रस्ता मा लावै वाला समय के अलावा चौबिस घण्टा के भीतर मुकदमा देखै वाला हाकिम के सामाने उपस्थित करावयक परी औ वस हाकिम के आदेश होय के अलावा हिरासत मा लिहा व्यक्ति का हिरासत मा न राखा जाई ।

लेकिन निवारक नजरबन्द मा राखा व्यक्ति औ शत्रु देश के नागरिक के हक मा यी उपधारा लागू न होई ।

- (४) तत्काल के प्रचलन मा रहा कानून से सजाय न होयवाला कोई काम करै के कारण कोई व्यक्ति सजाय कै भागी न होई औ कवनौ व्यक्ति का अपराध किहे के अवस्था मा कानून मा लिखा से ज्यादा सजाय (सजा) न दिया जाई ।
- (५) कोई अपराध लाग व्यक्ति का उकै कीन अपराध प्रमाणित न होय तक अपराधी न माना जाई ।
- (६) कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत मा यकै कसूर मइहाँ एक दफा से ज्यादा मुकदमा न चलावा जाई ।
- (७) कोई अपराध कै अभियोग लाग व्यक्ति का अपने विरुद्ध (खिलाप) गवाही देयक मजबूर न बनावा जाई ।
- (८) हरेक व्यक्ति का उनके विरुद्ध मा भवा कारवाही कै जानकारी पावयक हक रही ।
- (९) हरेक व्यक्ति कइहा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, क्षमता भवा अदालत अथवा न्यायिक संस्था से स्वच्छ सुनवाई कै हक होई ।
- (१०) असमर्थ पक्ष का कानून अनुसार निःशुल्क कानूनी सहायता पावयक हक होई ।

## २१. अपराध पिडित कै हक :

- (१) अपराध पीडित का अपने पिडित मुकदमा कै अनुसन्धान औ कारवाई सम्बन्ध कै जानकारी पावै कै हक रही ।
- (२) अपराध पिडित का कानून मुताबिक सामाजिक पुनः स्थापना औ क्षतिपूर्ति सहित कै न्याय पावै कै हक रही ।

## २२. यातना विरुद्ध कै हक :

- (१) पकरा गवा वा हिरासत मा रहा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक यातना देयक अथवा ऊके साथे निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार न किया जाई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार कै काम कानून अनुसार दण्डनीय होई औ वस व्यवहार से पिडित व्यक्ति का कानून के मुताबिक क्षतिपूर्ति पावै कै हक रही ।

## २३. निवारक नजरबन्द विरुद्ध कै हक :

- (१) नेपाल कै सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता अथवा सार्वजनिक शान्ती वा व्यवस्था मा तुरन्त बाधा (खलल) परैवाला पूरा आधार न होय तके कोई का भी निवारक नजरबन्द मा न राखा जाई ।

(२) उपधारा (१) अनुसार निवारक नजरबन्द मा रहा व्यक्ति के बारेमा उकै परिवार के सदस्य अथवा नेरे केर नातेदार का कानून मुताविक तुरन्तै जानकारी देयक परी ।

लेकिन शत्रु देश नागरिक के हक मा यी धारा लागू न होई ।

(३) निवारक नजरबन्द मा राखै वाला हाकिम कानून के विपरीत वा बदनियत तरीका से कवनौ व्यक्ति का नजरबन्द मा राखी तौ वस व्यक्ति का कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति पावै के हक रही ।

#### २४. छुवाछुत औ भेदभाव बिरुद्ध के हक :

(१) कोइ भी व्यक्ति का ऊँ के उत्पत्ती, जातपात, समुदाय, पेशा, व्यवसाय अथवा शारीरिक अवस्था के आधार मा कोई भी व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्थान मा कोई प्रकार के छुवाछुत अथवा भेदभाव न किया जाई ।

(२) कोई वस्तु सेवा सुविधा के उत्पादन वा वितरण करै मा ऊँ वस्तु सेवा सुविधा कोई खास जातपात के व्यक्ति का खरीद अथवा प्राप्त करै मा रोक लगावैक अथवा वहि किसिम के व्यक्ति का खाली बिक्री वितरण वा दिया न जाई ।

(३) उत्पत्ती जातपात वा शारीरिक अवस्था के आधार मा कोई व्यक्ति वा समुदाय का ऊँच नीच देखावै वाला जातपात वा छुवाछुत के आधार से समाजिक भेदभाव का न्याय पूर्ण समझैवाले वा छुवाछुत औ जातीय उच्चता से घृणा मा आधारित विचार के प्रचार प्रसार करै अथवा जातीय विभेद का कवनौ प्रकारसे प्रोत्साहित करयक न मिली ।

(४) जातीय आधार से छुवाछुत कइके वा न कइके काम करैक स्थान मइहा कवनौ किसिम के भेदभाव करयक न मिली ।

(५) यी धारा के बिरुद्ध होयवाला सब मेर के छुवाछुत औ भेदभाव जस काम का गम्भीर सामाजिक अपराध के रूप मा कानून के मुताविक दण्डनीय होई और यी मेर काम से पीडित व्यक्ति का कानून के मुताविक क्षतिपूर्ति पावै के अधिकार होई ।

#### २५. सम्पत्ती केर हक :

(१) प्रत्येक नागरिक का कानून के अनुसार रहिके सम्पत्ति आर्जन करयक उपभोग करयक खरिद औ बेच सकयक व्यवसायिक लाभ प्राप्त करयक औ सम्पत्ति के आउर कारोबार करयक हक रही ।

लेकिन राज्य सम्पत्ति मा कर लगावयक औ प्रगतिशील कर के मान्यता अनुसार व्यक्ति के आय मा कर लगाय सकत है ।

**स्पष्टिकरण :** यी धारा के प्रयोजन खातिर “सम्पत्ति” कहयक माने चल, अचल सब मेर के सम्पत्ति का जानैक चाही औ यी शब्द से बौद्धिक सम्पत्ति का भी जनावत है ।

(२) सार्वजनिक हित के खातिर के अलावा राज्य द्वारा कोई व्यक्ति के सम्पत्ति का अधिग्रहण करै प्राप्त करै अथवा वही मेर कवनौ प्रकार से कोई अधिकार खडा न किया जाई ।

लेकिन कोई भी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीका से कमावा सम्पत्ति के हक मा यी धारा लागू न होई ।

(३) उपधारा (२) अनुसार सार्वजनिक हित के खातिर राज्य कोई भी व्यक्ति के सम्पत्ति अधिग्रहण करै मा क्षतिपूर्ति के आधार औ कार्य प्रणाली ऐन (कानून) अनुसार होई ।

(४) उपधारा (२) औ (३) के व्यवस्था से भूमि (जघा) केर उत्पादन औ उत्पादकत्व बढ़ावै खातिर खेती के के आधुनीकीकरण औ व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास करै के उद्देश्य के खातिर राज्य का कानून अनुसार, भूमिसुधार व्यवस्थापन औ नियमित करै मा बाधा न परी ।

(५) उपधारा (३) अनुसार राज्य सार्वजनिक हित के कारन कवनौ व्यक्ति के सम्पत्ति अधिग्रहण किहे मा ऊँ सार्वजनिक हित के अलावा दुसर कोई सार्वजनिक हित के खातिर वस सम्पत्ति प्रयोग करयमा बाधा न परी ।

#### २६. धार्मिक स्वतन्त्रता के हक :

(१) धर्म मा आस्था राखै वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपने आस्था अनुसार धर्म का माने के धारण करै के, अभ्यास औ संरक्षण करैके स्वतन्त्रता रही ।

(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय का धार्मिक स्थल, मंदिर, गुठी संचालन औ संरक्षण करै के हक रही ।

लेकिन धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी, मन्दिर सम्पत्ति तथा जगह का व्यवस्थित करै के लिए कानून बनाय के नियमित करै के खातिर बाधा अस न माना जाई ।

(३) यी धारामा मिला अधिकार प्रयोग करैके कोई भी सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार, नैतिकता के बिरुद्ध होयवाला शान्ती भंग होयवाला कृयाकलाप करै, करावयक वा कोई के धर्म परिवर्तन करावयक अथवा दुसरे के धर्म मा बाधा परै वाला काम वा व्यवहार करै वा करावयक न चाही अस काम कानून के अनुसार दण्डनीय होई ।

- २७. सूचना के हक :** प्रत्येक नागरिक का अपने अथवा अपने सरोकार के कोई भी विषय के सूचना मांगें वा पावें के हक होई ।  
लेकिन कानून अनुसार गुप्त राखैवाला सूचना के जानकारी देय खातिर कोई का बाध्य न किया जाई ।
- २८. गोपनीयता के हक :** कोई भी व्यक्ति के शरीर, आवास, सम्पत्ति, लिखित (कागज पत्र) तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी विषय के गोपनीयता कानून अनुसार के अलावा गुप्त रही ।
- २९. शोषण विरुद्ध के हक :**
- (१) हर एक व्यक्ति का शोषण विरुद्ध के हक रही ।
  - (२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, चलन अथवा अन्य आधार से कोई भी व्यक्ति का कोई भी प्रकार से शोषण करै के न मिली ।
  - (३) कोई का भी विक्री करयक वा दास (बधुवा) बनावै के न मिली ।
  - (४) कोई का भी उके इच्छा बिना काम करावयक न मिली ।  
लेकिन, सार्वजनिक प्रयोजन के खातिर नागरिक के हक मा राज्य के अनिवार्य सेवा मा लगाए सकै के कानून बनावै मे बन्देज न माना जाई ।
  - (५) उपधारा (३) औ (४) के विपरीत के काम कानून अनुसार दण्डनीय होई औ पीडित का पीडक से कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पावै के हक रही ।
- ३०. स्वच्छ वातावरण के हक :**
- (१) प्रत्येक नागरिक का स्वच्छ, औ स्वस्थ वातावरण मा जीटौ पावै के हक होई ।
  - (२) वातावरणीय प्रदूषण वा नोक्सानी से होयवाले क्षति के बदला मे पीडक का प्रदूषक से कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पावै के हक होई ।
  - (३) राष्ट्र के विकास सम्बन्धी काम मा वातावरण औ विकास के बीच मा समुचित संतुलन खातिर आवश्यक कानूनी व्यवस्था करयक यी धारा से बाधा भवा न माना जाई ।
- ३१. शिक्षा सम्बन्धी हक :**
- (१) प्रत्येक नागरिक का आधारभूत शिक्षा मा पहुँचै के (पावै के) हक होई ।
  - (२) प्रत्येक नागरिक का राज्य से आधारभूत तह तक के शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क औ माध्यमिक तह तक के शिक्षा निःशुल्क पावै के हक रही ।
  - (३) अपांगता भवा औ आर्थिक रूप से विपन्न नागरिक का कानून के अनुसार निःशुल्क शिक्षा पावै के हक होई ।
  - (४) दृष्टिबिहिन नागरिक का ब्रेललिपी औ अवाजि या बोलाई सम्बन्धी अपांगता भवा के अपंग नागरिकका सांकेतिक भाषा के माध्यम से कानून अनुसार निःशुल्क उच्च शिक्षा पावै के हक होई ।

- (५) नेपाल मा रहै वाले हर एक नेपाली समुदाय का कानून अनुसार अपने मातृभाषा मा शिक्षा पावै के औ उके खातिर विद्यालय खोलै के संस्था खोलै औ सञ्चालन करै के हक होई ।

### ३२. भाषा औ संस्कृति के हक :

- (१) हरेक व्यक्ति औ समुदाय का आपन भाषा बोलै के हक होई ।
- (२) हरेक व्यक्ति औ समुदाय का अपने समुदायके सांस्कृतिक जीवन मा सामेल होयक, सहभागी होयक हक होई ।
- (३) नेपालमा बसोवास करैवाले हर एक नेपाली समुदाय का आपन भाषा, संस्कृति, लिपी, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा के संरक्षण सम्बर्धन करैक हक होई ।

### ३३. रोजगारी के हक :

- (१) हरेक नागरिक का रोजगारी के हक होई । रोजगारी के शर्त अवस्था औ बेरोजगार सहायता संघीय कानून अनुसार होई ।
- (२) प्रत्येक नागरिक का रोजगारी का चुनै पावै के हक होई ।

### ३४. श्रम के हक :

- (१) हरेक श्रमिक का उचित श्रम अभ्यास के हक होई ।  
**स्पष्टिकरण :** यी धारा के प्रयोजन के खातिर “ श्रमिक” माने पारिश्रमिक दइके रोजगारदाता के खातिर शारीरिक अथवा बौद्धिक काम करैवाला श्रमिक कामदार अथवा मजदुरी का समझै क परी ।
- (२) हरेक श्रमिक का उचित पारिश्रमिक (मजुरी) सुविधा तथा योगदान मइहा आधारित सामाजिक सुरक्षा के हक रही ।
- (३) हरेक श्रमिक का कानून के अनुसार ट्रेड युनियन खोलयक, वहमा सामिल होयक औ सामूहिक सौदाबाजी करै पावयक हक होई ।

### ३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक :

- (१) हरेक नागरिक का राज्य से अधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त करयक हक होई औ कोई का भी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा से वञ्चित न किया जाई ।
- (२) हरेक व्यक्ति का अपने स्वास्थ्य उपचार के सम्बन्ध मा जानकारी पावै के हक होई,
- (३) हरेक नागरिक का स्वास्थ्य सेवा मा सामान पहुँच के हक रही ।
- (४) हरेक नागरिक का सफा पीयै वाला पानी औ सर सफाई तक पहुँच के हक होई ।

### ३६. खाद्य सम्बन्धी हक :

- (१) हरेक नागरिक का खाद्य सम्बन्धी हक होई ।

- (२) हरेक नागरिक का खायवाला (खाद्यवस्तु) सामान के अभाव मा जिवन जोखिम मा परै वाला अवस्था से सुरक्षित होयूक हक होई ।
- (३) हरेक नागरिक का कानून अनुसार खाद्य सम्प्रभुता कै हक होई ।

### ३७. आवास कै हक :

- (१) हरेक नागरिक का उपयुक्त आवास कै हक रही ।
- (२) कानून अनुसार के अलावा कोई भी नागरिक का वह कै स्वामित्व मा रहा घर (वासस्थान) से हटावैक वा अतिक्रमण न करा जाई ।

### ३८. महिला कै हक :

- (१) हरेक महिला (स्त्री) का लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक होई ।
- (२) हरेक महिला का सुरक्षित मातृत्व औ प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक होई ।
- (३) महिलो के बिरुद्ध मा धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, चलन अथवा और कोई आधार से शारीरिक, मानसिक, यौन सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक अथवा अन्य कोई किसिम से हिंसा कै काम वा शोषण न किया जाई वस काम कानून अनुसार दण्डनीय होई औ पीडित का कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पावै कै हक होई ।
- (४) राज्य के सब निकाय (स्थान) मा महिला का समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त के आधार मा सहभागी होयक हक रही ।
- (५) महिला का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी औ समाजिक सुरक्षा मा सकारात्मक बिभेद के आधार मा विशेष अवसर प्राप्त करयक हक होई ।
- (६) सम्पत्ति औ परिवरिक मामिलामा दम्पति कै समान हक होई ।

### ३९. बालबालिका कै हक :

- (१) हरेक बालबालिका का आपन पहिचान सहित नामाकरण औ जन्म दर्ता कै हक होई ।
- (२) हरेक बालबालिका का परिवार औ राज्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित देखभाल, खेलकूद, मनोरंजन औ सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास कै हक रही ।
- (३) हरेक बालबालिका का प्रारम्भिक बाल विकास औ सहभागिता कै हक रही ।
- (४) कोई भी बालबालिका का कल कारखाना वा वइसै अउर जोखिमवाला काम लगावयूक न मिली ।
- (५) कोई भी बालबालिका का बाल बिवाह, गैर कानून रुप से लावै लइ जायूक, अपहरण वा बन्धक बनाय कै, राखै के न मिली ।
- (६) कोई भी बाल बालिका का सेना, प्रहरी वा शसस्त्र समूह मा भर्ती वा प्रयोग करै के वा साँस्कृतिक, धार्मिक चलन के नाम से कोई भी माध्यम

- से वा प्रकार से दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक अथवा यौन जन्य आउर कउनों प्रकार से शोषण वा अनुचित प्रयोग करयूक न मिली ।
- (७) कोई भीबाल बालिका का घर विद्यालय अथवा आउर कवनौ कवनौ स्थान अवस्था मा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कोई किसिम से यातना देयूक न मिली ।
- (८) हरेक बालबालिका का बाल अनुकूल न्याय कै हक रही ।
- (९) असहाय, अनाथ, अपाङ्ग भवा औ द्वन्द कै पीडित, विस्थापित, खतरा मा रहे बाल बालिका का राज्य से विशेष संरक्षण औ सुविधा पावै कै हक रही ।
- (१०) उपधारा (४) (५) (६) औ (७) कै बिपरीत काम, कानून के अनुसार दण्डनीय होई औ अस कार्य से पीडित बाल बालिका का पीडक से कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पावै कै हक रही ।

### ४०. दलित कै हक :

- (१) राज्य से सब निकाय मा दलित का समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के अधार मा सहभागी (सामिल) होयक हक रही । सार्वजनिक सेवा समेत रोजगारी कै क्षेत्र मा दलित समुदाय केर सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व औ सहभागिता के खातिर कानून मइहा विशेष व्यवस्था कीन जाई ।
- (२) दलित विद्यार्थी का प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक कानून अनुसार छात्रवृति सहित निःशुल्क शिक्षा कै व्यवस्था किया जाई । प्राविधिक औ व्यवसायिक उच्च शिक्षा दलित के खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था किया जाई ।
- (३) दलित समुदाय का स्वास्थ्य औ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करै खातिर कानून अनुसार विशेष व्यवस्था कीन जाई ।
- (४) दलित समुदाय का आपन परम्परा (चलन) कै पेशा, ज्ञान गुन औ प्रविधि कै प्रयोग संरक्षण औ विकास करयूक हक होई । राज्य भी दलित समुदाय कै परम्परागत पेशा से सम्बन्धित आधुनिक व्यवसाय मैहा उन लोगन का प्राथमिकता मइहा दइके वह के खातिर आवश्यक गुण औ साधन उपलब्ध कराई ।
- (५) राज्य का भूमिहीन दलित का कानून अनुसार एक बार जमीन उपलब्ध करावै के परी ।
- (६) राज्य आवास पीडित दलित का कानून अनुसार रहयूक व्यवस्था करी ।
- (७) दलित समुदायका यी धारा से दीन सुविधा दलित स्त्री पुरुष औ सब समुदाय मा रहै वाले दलित का समानुपातिक रुप से प्राप्त करै खातिर न्यायोचित बितरण करै का परी ।

४१. **ज्येष्ठ नागरिक कै हक :** ज्येष्ठ नागरिक का राज्य से विशेष संरक्षण औ सामाजिक सुरक्षा पावै कै हक रही ।
४२. **सामाजिक न्याय कै हक :**
- (१) आर्थिक सामाजिक अथवा शैक्षिक दृष्टि से पाछेपरे महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक सीमान्तीकृत अपाङ्ग भवा व्यक्ति, लैङ्गिक औ यौनिक अल्पसंख्यक, किसान श्रमिक, उत्पीडित वा पाछे परे क्षेत्र कै नागरिक औ आर्थिक रुपसे विपन्न खस आर्य का समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार से राज्य के विकास मइहा सहभागिता कै हक होई ।
  - (२) आर्थिक रुपसे विपन्न औ लोपोन्मुख समुदाय कै विकास के खातिर शिक्षा, स्वास्थ्य आवास, रोजगारी, खाद्यान्न औ सामाजिक सुरक्षा मा विशेष अवसर तथा लाभ पावै कै हक होई ।
  - (३) अपाङ्गता भवा नागरिक का विविधता कै पहिचान सहित मर्यादा औ आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन करै पावै औ सार्वजनिक सेवा सुविधा मइहा समान पहुँच कै हक होई ।
  - (४) हरेक किसान का कानून अनुसार खेती के काम के खातिर भूमि मा पहुँच परम्परा अनुसार प्रयोग औ माने स्थानीय विज औ प्रयोग करत आवा स्थानीय वीज औ कषि प्रजाति का चुनै औ संरक्षण केर हक होई ।
  - (५) नेपाल मा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तन के खातिर भवा सब जन आन्दोलन सशस्त्र संघर्ष औ क्रान्ती के विचमा प्राण बलिदान किहे शहीद कै परिवार, लापता किहे गए व्यक्ति कै परिवार, लोकतन्त्र कै योद्धा, द्वन्द्व पीडित औ विस्थापित अपाङ्ग भवा व्यक्ति, घायल औ पीडित का न्याय औ उचित सम्मान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास औ सामाजिक सुरक्षा मइहा कानून अनुसार प्राथमिकता के साथ अवसर पावै कै हक होई ।
४३. **सामाजिक सुरक्षा कै हक :** आर्थिक रुप से विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्था मा रहे असहाय, विधवा स्त्री, अपाङ्ग बाल बालिका, आपन देखभाल अपनै न कई पावै वाले तथा लोपोन्मुख जाति कै नागरिक का कानून अनुसार सामाजिक सुरक्षा कै हक होई ।
४४. **उपभोक्ता कै हक :**
- (१) हरेक उपभोक्ता का गुणस्तरीय वस्तु औ सेवा प्राप्त करै कै हक होई ।
  - (२) गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तु से क्षति पहुँचा व्यक्ति का कानून अनुसार क्षतिपूर्ति पावै कै हक होई ।

४५. **देश निकाला बिरुद्ध कै हक :** कोई भी नागरिक का देश निकाला न किया जाई ।
४६. **संवैधानिक उपचार कै हक :** यी भाग से दिहा हक प्रचलन के खातिर धारा १३३ औ १४४ मा लिखा अनुसार संवैधानिक उपचार पावै कै हक रही ।
४७. **मौलिक हक कै कार्यान्वयन :** यी भाग से दिहा गवा हक कै कार्यान्वयन के खातिर आवश्यकता अनुसार राज्य यी संविधान शुरु होय के तीन वर्ष भीतर कानूनी व्यवस्था करी ।
४८. **नागरिक कै कर्तव्य :** हरेक नागरिक कै कर्तव्य नीचे लिखा अनुसार होई :-
- (क) राष्ट्रपति निष्ठावान होतै नेपाल कै राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता औ अखण्डता कै रक्षा करै ।
  - (ख) संविधान औ कानून कै पालन करै ।
  - (ग) राज्य का परे पर अनिवार्य सेवा करै ।
  - (घ) सार्वजनिक सम्पती कै सुरक्षा औ संरक्षण करै ।

**राज्य के निर्देशक सिद्धान्त नीति और दायित्व :**

**४९. मार्ग निर्देशन के रूपमा रहे :**

- (१) यी भागमा मा उल्लेखित निर्देशन सिद्धान्त नीति और दायित्व राज्य संचालन के मार्ग निर्देशन के रूपमा रहिहै ।
- (२) राज्य यी भाग मइहा लिखा सिद्धान्त, नीति और दायित्व का कार्यान्वयन करै खातिर आवश्यकता अनुसार श्रोत साधन परिचालित करी और कराई ।

**५०. निर्देशन सिद्धान्त :**

- (१) नेपाल के स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता और स्वाधीनता सब से ऊपर रखिके नागरिक के जिउ, धन, समानता आहौ स्वतन्त्रता के संरक्षण कइके कानून के शासन, मौलिक हक और मानव अधिकार के मूल्य मान्यता, लैंगिक समानता समानुपातिक समावेशी करण, सहभागिता और समाजिक न्याय के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करतै लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था करै और परस्पर (एक दुसरे के बीच मा) सहयोग आधारित संघीयता के आधार मा संघीय ईकाई के बीच सम्बन्ध संचालन करतै स्थानीय स्वायत्तता और विकेन्द्रीकरण के आधार मइहा शासन व्यवस्था मा समानुपातिक सिद्धान्त का आत्मसात करतै लोकतान्त्रिक अधिकार के उपभोग करै पावै क अवस्था निश्चित करयक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मजबूत करै के राज्य के राजनैतिक उद्देश्य रही ।
- (२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, चलन, परम्परा प्रचलन वा अन्य कवनौ आधार से होय वाला सब प्रकार के विभेद शोषण और अन्याय के अन्त कइके सभ्य समानता मइहा आधारित (समतामूलक) समाज के निर्माण करयक तथा राष्ट्रीय गौरव लोकतन्त्र जन पक्षीयता श्रम के सम्मान, उद्यमशीलता अनुशासन मर्यादा और सहिष्णुता मइहा आधारित सामाजिक साँस्कृतिक मूल्य के विकास कइके और साँस्कृतिक विविधता के सम्मान करतै समाजिक सदभाव, एकवद्धता और सामञ्जस्य कायम कइके राष्ट्रिय एकता मजबूत बावै के राज्य के समाजिक और साँस्कृतिक उद्देश्य होई ।

- (३) सार्वजनिक निजी और सहकारी के सहभागिता और विकास मार्फत मिला साधन श्रोत के अधिकतम परिचालन से तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करतै मजबूत आर्थिक विकास करै के और प्राप्त उपलब्धन के न्यायोचित वितरण कइके आर्थिक असमानता के अन्त करतै, शोषण रहित समाज के निर्माण करै के राष्ट्रिय अर्थतन्त्र का आत्म निर्भर स्वतन्त्र और उन्नतशील के विकास करै के राज्य के आर्थिक उद्देश्य होई ।

- (४) नेपाल के स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता और राष्ट्रिय हित के रक्षा करतै सार्वभौमिक समानता के आधार से अन्तरराष्ट्रिय सम्मान कायम कइके विश्व समुदायमा राष्ट्रिय के अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित होइहै ।

**५१. राज्य के नीति :** राज्य नीचे लिखा नीतिन का अवलम्बन करी :-

**(क) राष्ट्रिय एकता और राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति :**

- (१) नेपाल के स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता और स्वाधीनता के संरक्षण करतै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राखैक,
- (२) विभिन्न जात पात धर्म भाषा संस्कृति और सम्प्रदाय के बीच मा पारस्परिक सदभाव, सहिष्णुता, एकता (एक वद्धता) कायम कइके संघीय एकाई के बीच परस्पर मा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास करतै राष्ट्रिय एकता के विकास (प्रवर्द्धन) करैक ।
- (३) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली के विकास कइके शान्ति सुरक्षा के व्यवस्था करैक ।
- (४) सार्वभौमिक मानवीय सुरक्षा के प्रत्याभूति (प्रदाना) करैक ।
- (५) राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के आधार पर नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल समेत सब सुरक्षा निकाय का सबल सुदृढ व्यावसायिक समावेशी और जन उत्तरदाई बनावै का ।
- (६) राष्ट्रिय आवश्यकता के अनुसार नागरिक का राष्ट्र के सेवा करै खातिर तत्पर और क्षमतावान बनावै का ।
- (७) पहिले के कर्मचारी सैनिक और प्रहरी समेत के पूर्व राष्ट्र सेवक मा रहा ज्ञान गुण अनुभवका राष्ट्र हित मा समुचित उपभोग करै का ।

**(ख) राजनीतिक और शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति :**

- (१) राजनीतिक उपलब्धी के रक्षा सुदृढीकरण और विकास करतै आर्थिक सामाजिक और साँस्कृतिक रुपान्तरण के माध्यम से जनता के सर्वोत्तम हित और समुन्नति प्रत्याभूत करयक,
- (२) मानव अधिकार के संरक्षण संवर्धन करतै कानून के शासन कायम करयक ।

- (३) नेपाल के पक्ष मा भवा अन्तरराष्ट्रिय संधी सम्भौता का कार्य रूप (कार्यान्वयन) करयूक ।
- (४) सार्वजनिक प्रशासन का स्वक्ष, सक्षम, निष्पक्ष पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त जनउत्तरदायी औ सहभागिता मूलक बनवतै राज्य से प्राप्त होयवाला सेवा सुविधा मइहा जनता कै समान औ सहज पहुँच सुनिश्चित कइके सुशासन कै प्रत्याभूति करावैक,
- (५) आम संचार का स्वक्ष निष्पक्ष मर्यादित जिम्मेवार औ व्यवसायिक वनावयूक आवश्यक व्यवस्था कीन जाई,
- (६) संघीय इकाई के बीच जिम्मेदारी श्रोत साधन औ प्रशासन कै साभेदारी करतै सुमधुर औ सहयोगात्मक सम्बन्ध केर विकास औ विस्तार कीन जाई ।

**(ग) सामाजिक औ सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति :**

- (१) स्वस्थ औ सभ्य संस्कृति के विकास कइके सामाजिक सुसम्बन्ध मा समाज केर निर्माण करयूक, ।
- (२) ऐतिहासिक, पुरातात्विक औ सांस्कृतिक सम्पदा कै संरक्षण, सम्बर्धन औ विकास खातिर अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन औ प्रचार करयूक,
- (३) सामाजिक सांस्कृतिक औ सेवा वाले काम मा स्थानीय समुदाय केर सिर्जनशिल कै प्रवर्धन परिचालन कै के स्थानीय जन सहभागिता मइहा अभिवृद्धि करतै समुदाय कै विकास करयूक,
- (४) राष्ट्रिय सम्पदा के रूप मे रहा कला साहित्य औ सङ्गीत के विकास मइहा जोर देयूक,
- (५) समाज मा विद्यमान धर्म, चलन, परम्परा, रीति रिवाज औ संस्कार के नाम पर होयवाला सब प्रकार कै विभेद असमानता, शोषण, औ अन्याय कै अन्त करयूक,
- (६) देश कै सांस्कृतिक विविधता का कायम रखतै समानता औ सह अस्तित्व के आधार पर विभिन्न जातपात, समुदाय कै भाषा लिपी संस्कृति, साहित्य, कला चलचित्र औ सम्पदा कै विकास करयूक,
- (७) बहुभाषिक नीति कै अवलम्बन कीन जाई ।

**(घ) अर्थ उद्योग औ वाणिज्य सम्बन्धी नीति :**

- (१) सार्वजनिक निजी औ सहकारी क्षेत्र कै सहभागिता औ स्वतन्त्र विकाश के मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र का सुदृढ (मजबुत) करयूक,
- (२) अर्थतन्त्र मा निजी क्षेत्र कै भूमिका का महत्व दइके उपलब्ध साधन श्रोत कै अधिकतम परिचालन कइके आर्थिक समृद्धि प्राप्त करयूक,

- (३) सहकारी क्षेत्र कै प्रवर्धन करतै राष्ट्रिय विकास मा येकर अत्याधिक परिचालन किया जाई,
- (४) आर्थिक क्षेत्र कै सब गतिविधि (काम)मा स्वक्षता जवाबदेही औ प्रतिस्पर्धा कायम करयूक रिखतै कै व्यवस्था करतै, सर्वांगीण राष्ट्रिय विकास मा प्रोत्साहन औ परिचालन करयूक,
- (५) उपलब्ध साधन श्रोत औ आर्थिक विकास कै प्रतिफल केर न्यायोचित वितरण करयूक,
- (६) तुलनात्मक लाभ के क्षेत्र कै पहिचान कइके उद्योग केर विकास विस्तार द्वारा निर्यात प्रवर्धन करतै वस्तु सेवा कै वजार विविधिकरण औ विस्तार करयूक,
- (७) कालाबजारी, एकाधिकार कृत्रिम अभाव सिर्जना (उत्पन्न) करैवाले प्रतिस्पर्धा का नियन्त्रण जस काम कै अन्त करतै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र का प्रतिस्पर्धा बनाय के व्यापारिक स्वक्षता औ अनुशासन कायम कइके उपभोक्ता कै हित संरक्षण करयूक,
- (८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कै विकाश के खातिर राष्ट्रिय उद्योग धन्धा औ साधन श्रोत का संरक्षण प्रवर्धन कइके नेपाली श्रम गुण औ कच्चा पदार्थ मा आधारित स्वदेशी लगानी का प्राथमिकता दीन जाय,
- (९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र के विकाश के खातिर स्वदेशी लगानी का प्राथमिकता दीन जाय,
- (१०) राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रति स्थापन निर्यात प्रवर्धन के क्षेत्र मा वैदेशिक पूंजी औ प्रविधि कै लगानी का आकर्षित करतै पूर्वाधार विकाश मइहा प्रोत्साहन वा परिचालन कीन जाय,
- (११) वैदेशिक सहायता लेत राष्ट्रिय आवश्यकता औ प्राथमिकता का आधार बनवतै इका, पारदर्शी बनावैक औ वैदेशिक सहायता से प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेट मइहा समाहित करयूक,
- (१२) गैर आवासीय नेपाली लोगन कै ज्ञान गुण प्रविधि औ पूंजी का राष्ट्रिय विकास मा उपयोग करयूक,
- (१३) औद्योगिक करिडोर विशेष आर्थिक क्षेत्र राष्ट्रिय परियोजना विदेशी लगानी कै परियोजना के सन्दर्भ मइहा अन्तर प्रदेश औ प्रदेश औ संघ के बीच समन्वय स्थापित कराय के आर्थिक विकाश का गतिशीलता प्रदान करयूक ।

**(ङ) कृषि औ भूमि सुधार सम्बन्धी नीति :**

- (१) भूमि (जमीन) मा रह मा दोहरा स्वामित कै अन्त करतै किसान के हित का ध्यान राखिके वैज्ञानिक भूमि सुधार करयूक,

- (२) अनुपस्थित भू-स्वामित्व का निरुत्साहित करतै जगा जमीन कै चकलाबन्दी कइके औ उत्पादन औ उत्पादकत्व बढ़ावैक,
- (३) किसान कै हक हित संरक्षण सम्बर्द्धन करतै कृषि कै उत्पादन औ उत्पादकत्व बढ़ावै खातिर भू उपयोग नीति कै अवलम्बन कइके भूमि कै व्यवस्थापन औ कृषि कै व्यवसायीकरण, उद्योगिकरण विविधिकरण औ आधुनिकीकरण करयक,
- (४) भूमि (जग्हा) केर उत्पादनशीलता प्रकृति औ वातावरणीय सन्तुलन समेत के आधार से नियमन औ व्यवस्थापन करतै वहकै समुचित उपयोग करयक,
- (५) कृषक के खातिर कृषि सामाग्री, कृषि उपज केर उचित मूल्य औ बजारमा पहुँच केर व्यवस्था करयक ।

**(च) विकास सम्बन्धि नीति :**

- (१) क्षेत्रिय सन्तुलन के साथेन समावेशी आर्थिक विकाश के खातिर क्षेत्रिय विकाश कै योजना के अन्तरगत दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक विकाश कै रणनीति औ कार्यक्रमन का तयार करिके समन्वयात्मक तरीका से कार्यान्वयन करयक,
- (२) विकाश के हिसाब से पाछे रहे क्षेत्र का प्राथमिकता देतै सन्तुलित वातावरण अनुकुल गुणस्तरीय औ दीर्घकालिन रुपमा भौतिक पुर्वाधार कै विकाश करै के,
- (३) विकाश निर्माण के प्रकृया मा स्थानीय जनसहभागिता का बढ़ावैक ।
- (४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान विज्ञान प्रविधि कै अविष्कार औ उन्नती विकाश मइहा लगानी बढ़ावैक औ वैज्ञानिक प्रविधिक बौद्धिक औ विशिष्ट प्रतिभावान कै संरक्षण करयक,
- (५) राष्ट्रिय आवश्यकता के अनुसार सूचना प्रविधि कै विकाश औ विस्तार कइके वहमा सर्वसाधारण जनता कै सहज औ सरल पहुँच का सुनिश्चित करयक औ राष्ट्रिय विकाश मइहा सूचना प्रविधि कै अधिकतम उपयोग करयक,
- (६) विकाश कै प्रतिफल वितरण मा विपन्न (गरिब) नागरिक का प्राथमिकता देतै जनता का न्योचित रुप से पावैक व्यवस्था करयक,
- (७) एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली कै विकाश कइके नागरिक का सब मेर कै सूचना औ विवरण एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन करैक औ वह का राज्य से मिलै वाला सेवा सुविधा औ राष्ट्रिय विकाश योजना मा (आवद्ध) करयक,

- (८) जनसांख्यिक तथ्यांक का अध्यावाधिक (पूर्ण करतै) करतै राष्ट्रिय विकाश योजना से (जोडयक) आवद्ध करयक,

**(छ) प्राकृतिक साधन श्रोत कै संरक्षण सम्बर्द्धन उपयोग औ सम्बन्धी नीति :**

- (१) राष्ट्रिय हित के अनुकूल औ अन्तरपुस्ता समन्वय के मान्यता का आत्मा से मनतै देश मइहा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत साधन कै संरक्षण सम्बर्द्धन औ वातावरण अनुकूल दीर्घकालीन रुपमा उपयोग करयक औ स्थानीय समुदाय का प्राथमिकता से अग्राधिकार देतै प्राप्त प्रतिफल कै न्यायोचित विवरण करयक,
- (२) जन सहभागिता मइहा आधारित स्वदेशी लगानी का प्राथमिकता देतै जलश्रोत कै बहु उपयोगी विकास करैक,
- (३) नवीकरणीय (नयाँ) उर्जा कै उत्पादन औ विकाश करतै नागरिक कै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति कै खातिर सुपथ औ सुलभ रुप मा विश्वासी उर्जा कै आपूर्ति सुनिश्चित करयक औ उर्जा कै समुचित प्रयोग करयक,
- (४) जल उत्पन्न प्रकोप नियंत्रण औ नदी कै व्यवस्था करतै दीर्घकालीन विश्वासी सिंचाई कै विकास करैक,
- (५) जन साधारण मइहा वातावरणीय स्वक्षता के सम्बन्ध मा चेतना बढ़ावैके औद्योगिक औ भौतिक विकास से वातावरण मा परै वाला जोखिम (खतरा) का न्यूनीकरण (कम) करतै बन, वनजन्तु पंक्षी, वनस्पति औ जैविक विधिता कै संरक्षण सम्बर्द्धन औ दीर्घकालीन उपयोग करयक,
- (६) वातावरणीय सन्तुलन के खातिर आवश्यक भू-भाग मइहा वन क्षेत्र कायम राखयक,
- (७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधता के ऊपर नकारात्मक असर परा अथवा परै वाले अवस्था मइहा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल (समाप्त)वा कम करै वाला उपयुक्त उपाय अपनावै खातिर,
- (८) वातावरण प्रदूषण करैवाले वह के खातिर दाइत्व उठावैक परि औ वातावरण संरक्षण मैहा पूर्व सावधानी वा पूर्व सूचित सहमति जस पर्यावरणीय दीर्घ कालीन विकाश कै सिद्धान्त अवलम्बन करयक,
- (९) प्राकृतिक प्रकोप से होयवाला खतरा (जोखिम) कै न्यूनीकरण (कम) करयक पूर्व सूचना तैयारी, उद्धार राहत तथा पूनःस्थापना करयक ।

**(ज) नागरिक के आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति :**

- (१) शिक्षा का वैज्ञानिक, प्रविधिक, व्यवसायिक ज्ञान अनुसार रोजगारमूलक औ जनमुखी बनउतै सक्षम प्रतिस्पर्धी नैतिक एवं राष्ट्रियहित प्रति समर्पित जनशक्ति तयार करयूक,
- (२) शिक्षा क्षेत्र मा राज्य कै लगानी बढउतै शिक्षा मा निजी क्षेत्र कै लगानी का नियमन, व्यवस्थापन कइके सेवा मूलक बनावै के,
- (३) उच्च शिक्षा का सहज गुणस्तरीय औ पहुँच के योग्य बनायके क्रमशः निःशुल्क बनावैत लइ जायूक,
- (४) नागरिक कै व्यक्तित्व विकाश के खातिर सामुदायिक सूचना केन्द्र औ पुस्तकालय कै स्थापना औ प्रवर्धन करयूक,
- (५) नागरिक का स्वस्थ बनावैक राज्य जन स्वास्थ्य के क्षेत्र मा आवश्यक लगानी बढावत जायूक,
- (६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मइहा सबकै सहज सुलभ औ समाज पहुँच निश्चित करयूक,
- (७) नेपाल कै परम्परा गत चिकित्सा पद्धति के रुप में रहा आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियो पैथिक समेत स्वास्थ्य पद्धति के संरक्षण प्रवर्धन करै के,
- (८) स्वास्थ्य क्षेत्र मइहा राज्य कै लगानी बढावैक औ यी क्षेत्रमा रहा निजी लगानी कै नियमन व्यवस्थापन कइके सेवा मूलक बनावै के,
- (९) स्वास्थ्य सेवा सर्व सुलभ गुणस्तरीय बनावैक स्वास्थ्य संस्था औ स्वास्थ्य के अनुसन्धान मा जोर देतै स्वास्थ्यकर्मी के संख्या बढवतै जायूक,
- (१०) नेपाल कै क्षमता औ आवश्यकता के आधार मा जनसंख्या व्यवस्थापन के खातिर परिवार नियोजन का प्रोत्साहित करतै मातृशिशु कै मृत्यु दर घटाय के औसत आयु बढावैक,
- (११) अव्यस्थित बसोवास का व्यवस्थापन करयूक औ योजना व्यस्थित बस्ती विकास करै के,
- (१२) कृषि क्षेत्र मइहा लगानी बढवतै खाद्य सम्प्रभुता के मान्यता के अनुसार जलवायु औ माटी के अनुकूल खाद्यान्न उत्पादन का प्रोत्साहित कइके खाद्यान्न कै दीर्घकालीन उत्पादन, आपूर्ति, संचय, सुरक्षा औ सुलभ प्रभावकारी बितरण कै व्यस्था करयूक,
- (१३) आधारभूत वस्तु औ सेवा मइहा सब नागरिक कै समान पहुँच निश्चित करतै दुर्गम औ पाछे परे क्षेत्र का विशेष प्राथमिकता दइके योजनाबद्ध आपूर्ति कै व्यवस्था करयूक,

- (१४) यातायात सुविधा मइहा नागरिक कै सरल सहज औ समान पहुँच का सुनिश्चित करतै यातायात क्षेत्र मा लगानी अभिवृद्धि करतै वातावरण अनुकूल प्रविधि का प्राथमिकता देतै सार्वजनिक यातायात का प्रोत्साहन औ निजी यातायात का नियमन कइके यातायात क्षेत्र का सुरक्षित व्यवस्थित औ अपाङ्ग व्यक्ति के अनुकूल बनावै के,
- (१५) नागरिक कै स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करतै स्वास्थ्य उपचार मइहा पहुँच कै व्यवस्था मिलावै के,

**(झ) श्रम औ रोजगार सम्बन्धि नीति :**

- (१) सबका काम करै पावैक अवस्था सुनिश्चित करतै देश कै मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्ती के रुप मा रहा श्रम शक्ती का दक्ष औ व्यवसायिक बनावैक औ स्वदेश मइहा रोजगारी कै अभिवृद्धि करयूक,
- (२) मार्गदित श्रम कै धारणा अनुसार सब श्रमिक कै आधारभूत अधिकार सुनिश्चित करतै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत करयूक,
- (३) बाल श्रम समेत श्रम शोषण कै सब रुप से अंत करयूक,
- (४) श्रमिक औ उद्यमी व्यवसायी के बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम करतै व्यवस्थापन मयहा श्रमिक कै सहभागिता का प्रोत्साहित करयूक ।
- (५) वैदेशिक रोजगारी का शोषणमुक्त सुरक्षित औ व्यवस्थित करयूक औ श्रमिक कै रोजगारी औ अधिकार कै प्रत्याभूत करतै यहि क्षेत्र कै नियमन औ व्यवस्थापन करयूक,
- (६) वैदेशिक रोजगारी से आर्जन भवा पूँजी, ज्ञान, क्षमता, प्रविधि औ अनुभव का स्वदेश मइहा उत्पादन मूलक क्षेत्र मा लगावै के प्रोत्साहित करयूक,

**(ञ) सामाजिक न्याय औ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति :**

- (१) असहाय अवस्था मा रहे एकल महिला केर ज्ञान क्षमता योग्यता के आधार मा रोजगारी कै प्राथमिकता देतै जीवनयापन के समुचित व्यवस्था करतै जादूक,
- (२) खतरा (जोखिम) मा परे, परिवारिक बहिष्कार मा परे, औ हिंसा पीडित महिला का पुनःस्थापित संरक्षण, सशक्तीकरण कइके स्वावलम्बी बनावै के,
- (३) प्रजनन अवस्था मे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोग कै सुनिश्चित करयूक,

- (४) बाल बच्चा के पालन पोषण, परिवार के देखभाल जस काम औ योगदान का आर्थिक रुप मइहा मूल्यांकन करैक ।
- (५) बाल बालिका के सर्वोच्चतम हित का प्राथमिकता के रुप मा ध्यान देय्क,
- (६) मुक्त कमैया कमलहरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासी लोगन के पहिचान कइके बसोवास के खातिर घर घडेरी औ जीवकोपार्जन के खातिर कृषि योग्य जमीन वा रोजगारी के व्यवस्था करतै पुनः स्थापन करय्क,
- (७) राष्ट्रिय विकास मैहा युवा के सहभागिता बढवतै राजनैतिक आर्थिक सामाजिक औ सांस्कृतिक अधिकार के पुरा उपयोग के वातावरण बनावैक युवा के सशक्तीकरण औ विकाश के खातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी समेत क्षेत्र मइहा विशेष अवसर प्रदान करतै व्यक्तित्व विकाश करय्क औ राज्य के सर्वाणीय विकाश मा योगदान के खातिर उपयुक्त अवसर प्रदान करय्क,
- (८) आदिवासी जनजाति के पहिचान सहित सम्मान पूर्वक जिन्दा रहय्क अधिकार सुनिश्चित करय्क औ अवसर तथा लाभ के खातिर विशेष व्यवस्था करतै यी समुदाय से सरोकार राखै वालेन का निर्णयो मा सहभागी करावैक औ आदिवासी जनजाति औ स्थानिय समुदाय के परम्परागत ज्ञान, गुण, संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज परम्परा अनुभव का संरक्षण सम्वर्धन करय्क,
- (९) अल्प संख्यक समुदायका अपन पहिचानन कायम रखिके सामाजिक औ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग करय्क अवसर औ लाभ के व्यवस्था करय्क,
- (१०) मधेसी समुदाय, मस्लिम औ पिछडा वर्ग कइहा आर्थिक, सामाजिक औ सांस्कृतिक अवसर औ लाभ के समान वितरण और बस समुदायक भीतर के विपन्न नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण औ विकास के अवसर औ लाभ के खातिर विशेष व्यवस्था करय्क,
- (११) उत्पीडित औ पिछडा क्षेत्र के नागरिक के संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण विकास औ आधारभूत आवश्यकता पूर्ति करय्क अवसर औ लाभ के खातिर विशेष व्यवस्था करय्क,
- (१२) सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय प्रदान करत सब लिङ्ग क्षेत्र, समुदाय के भीतर के आर्थिक रुप से विपन्न का प्राथमिकता प्रदान करय्क,

- (१३) स्वस्थ सक्षम (क्षमतावान) अनुशासित नागरिक तयार करय्क खेलकूद औ खिलाडी मइहा योजनाबद्ध लगानी करय्क औ खेलकूद का राष्ट्रिय एकता मजबूत करय्क औ अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्र मइहा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि करै वाले माध्यम के रुप मा विकास करय्क,
  - (१४) सामुदायिक औ राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था के लगानी औ भूमिका का जवाबदेही पारदर्शी बनवतै बस संस्था के स्थापना, स्वीकृति संचालन नियमन औ व्यवस्थापन के खातिर एकद्वार प्रणाली अपनावैक औ राष्ट्रिय आवश्यकता औ प्राथमिकता के क्षेत्र मा खाली बस संघ संस्था सब का सामिल करावै के,
- (ट) न्याय औ दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति :**
- (१) न्याय प्रशासन का शीघ्र शीघ्रतम सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी औ जनउत्तरदाई बनावै के,
  - (२) सामान्य प्रकृति के विवाद समाधान खातिर मेल मिलाप, मध्यस्थता जस वैकल्पिक उपाय का अपनावै के,
  - (३) राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक समेत सब क्षेत्र के भ्रष्टाचार औ अनियमितता के नियंत्रण के खातिर प्रभावकारी उपाय अपनावै के,
- (ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति :** नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक, औ प्रकृतिक सम्पदा सब के पहिचान संरक्षण प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार के मार्फत राष्ट्रिय, अर्थतन्त्र के महत्वपूर्ण आधार के रुप मइहा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योग के विकास करय्क पर्यटन संस्कृति के विकास करय्क आवश्यक वातावरण औ नीति निर्माण करय्क औ पर्यटन उद्योग के लाभ वितरण मइहा स्थानीय जनता का प्राथमिकता देय्क ।
- (ड) अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति :**
- (१) नेपाल के सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता औ राष्ट्रिय हित के रक्षा करय्क कृयाशील रहतै संयुक्त राष्ट्र संघ के बडा पत्र असलगनता पंचशील के सिद्धान्त अन्तरराष्ट्रिय कानून औ विश्व शान्ति के मान्यता के आधार मा राष्ट्र के सर्वोपरि हित का ध्यान मा रखतै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन करय्क, ।
  - (२) विगत मा भवा संधीन के पुनरालोकन करतै समानता औ पारस्परिक हित के आधार मइहा सन्धि सम्झौता करय्क ।

५२. **राज्य कै दायित्व :** नेपाल कै स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता औ स्वाधीनता का अक्षुण्ण रखतै मौलिक हक औ मानव अधिकार कै संरक्षण, सम्बर्धन राज्य के निर्देशक सिद्धान्त कै अनुसरण औ राज्य के नीतिन कै क्रमशः कार्यान्वयन करतै नेपाल का समृद्ध और समुन्नत बनावैक राज्यकेर दायित्व होई ।
५३. **प्रतिवेदन पेश करयक :** प्रतिवेदन के यहि भाग मा उल्लेखित राज्य केर निर्देशन सिद्धान्त नीति औ दाइत्व कार्यान्वयन के सम्बन्धमा किया काम औ प्राप्त उपलब्धी सहित कै वार्षिक नेपाल सरकार राष्ट्रपति के समक्ष पेश करी औ राष्ट्रपति ऊ प्रतिवेदन का प्रधान मंत्री के मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश करयक व्यवस्था करी,
५४. **अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था :** यी भाग मइहा उल्लेखित राज्य केर निर्देशक सिद्धान्त, नीति औ दायित्व कै प्रगतिशील कार्यान्वयन भवा न भवा कै अनुगमन औ मूल्यांकन करयक संघीय संसद मइहा कानून अनुसार एक समिति रही ।
५५. **अदालत मैहा प्रश्न उठावैक न मिली :** यी भागमा लिखा कौनौ विषय कार्यान्वयन भवा न भवा के सम्बन्ध मा कवनौ अदालत मा प्रश्न उठावै के न मिली ।

## भाग-५

### राज्य कै संरचना औ राज्य शक्ती कै विभाजन

#### ५६. राज्य कै संरचना :

- (१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कै मूल संरचना संघ, प्रदेश औ स्थानीय तह कइके तीन तह कै होई ।
- (२) नेपाल के राज्य शक्ती कै प्रयोग संघ प्रदेश औ स्थानीय तह संविधान तथा कानून अनुसार करिहै ।
- (३) यी संविधान प्रारम्भ होत समय नेपालमा कायम रहे अनुसूचि-४ मा उल्लेख भवा अनुसार जिल्ला भवा प्रदेश रहिहै ।
- (४) स्थानीय तह अन्तरगत गाउँपालिका, नगरपालिका औ जिल्ला सभा रहि है गाउँपालिका औ नगरपालिका मइहा रहै वाला वडा कै संख्या संघीय कानून अनुसार होई ।
- (५) संघीय कानून अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण अथवा आर्थिक विकास के खातिर विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम किया जाय सकत है ।
- (६) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह नेपाल कै स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीय विकास बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली मानव अधिकार, औ मौलिक हक कानूनी राज्य शक्ती पृथकीकरण औ नियंत्रण सन्तुलन बहुलता औ समानता मइहा आधारित समतामूलक समाज समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण करिहै ।

#### ५७. राज्य शक्ती कै विभाजन :

- (१) संघ कै अधिकार अनुसूचि-५ मइहा उल्लेख भवा विषय मा निहित रही औ यस अधिकार कै प्रयोग यहि संविधान औ प्रदेश कानून अनुसार होई ।
- (२) प्रदेश कै अधिकार अनुसूची-६ मा उल्लेख भवा अनुसार विषय मा निहित रही औ यस अधिकार कै प्रयोग यहि संविधान औ प्रदेश अधिकार अनुसार होई ।
- (३) संघ औ प्रदेश कै साझा अधिकार अनुसूचि-७ मा लिखा अनुसार विषयमा निहित रही औ ऊ अधिकार केर प्रयोग यहि संविधान, संघीय कानून औ प्रदेश कानून अनुसार होई ।
- (४) स्थानीय तह कै अधिकार अनुसूचि-८ मा लिखा अनुसार विषय मा निहित रही औ यस अधिकार कै प्रयोग यहि संविधान औ गाउँसभा औ नगरसभा से बनावे कानून अनुसार होई ।

- (५) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह कै साभा अधिकार अनुसूचि-९ मा लिखा विषय मइहा नीहित रही औ यी अधिकार कै प्रयोग यहि संविधान औ संघीय कानून प्रदेश कानून, गाउँसभा, नगरसभा से बना कानून अनुसार होई ।
- (६) उपधारा (३) औ (५) अनुसार प्रदेश सभा गाउँसभा वा नगरसभा कानून बनावत मा संघीय कानून से न बाभै वाला बनावयक परी औ प्रदेशसभा, गाउँ सभा, नगरसभा से बनावत कानून संघीय कानून से बाभा तौ बाभै वाले हद तक अमान्य होई ।
- (७) उपधारा (५) अनुसार गाउँसभा वा नगरसभा कानून बनावत मा प्रदेश के कानून से न बाभै वाले बनावयक परी । गाउँसभा, नगरसभा कै बनावत कानून प्रदेश के कानून से बाभा तौ बाभै वाले हद तह अमान्य होई ।

**५८. अवशिष्ट अधिकार :** यहि संविधान अनुसार संघ प्रदेश औ स्थानीय तह कै अधिकार कै सूची वा साभा सूची मइहा उल्लेख न भवा अथवा यी संविधानमा कवनौ तह का प्रयोग करयक न वतावा गये विषय मइहा संघ मै अधिकार होई ।

**५९. आर्थिक अधिकार कै प्रयोग :**

- (१) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह अपने अधिकार भीतर कै आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानून बनावयक वार्षिक बजेट बनावयक निर्णय करयक, नीति औ योजना तयार करयक औ वहकै कार्यान्वयन करिहै ।
- (२) संघ साभा सूचि के विषय मइहा औ आर्थिक अधिकार के अन्य क्षेत्र मइहा प्रदेश मा भी लागू होय वाला आवश्यक नीति मापदण्ड औ कानून बनावत सकिहै ।
- (३) संघ, प्रदेश औ स्थानीय तह अपने अपने तह कै बजेट बनइहै औ प्रदेश, स्थानीय तह कै बजेट पेश करैक समय संघीय कानून अनुसार होई ।
- (४) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह भी प्राकृतिक श्रोत केर प्रयोग अथवा विकास से प्राप्त लाभ कै समन्यायिक कै व्यवस्था करैका परी यस लाभ कै निश्चित अंश रोयल्टी सेवा अथवा वस्तु के रुप मइहा परियोजना प्रभावित क्षेत्र औ स्थानीय समुदाय का कानून अनुसार वितरण करयक परी ।
- (५) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह भी प्राकृतिक श्रोत कै उपभोग करत स्थानीय समुदायौ भी लगानी करै चाहत है तो तौ लगानी कै प्रकृति औ आकार के आधार मइहा कानून अनुसार कै अंश लगानी करै खातिर प्राथमिकता देयक परी ।
- (६) वैदेशिक सहायता औ ऋण लेय कै अधिकार नेपाल सरकार का होई । औ अस सहायता अथवा ऋण लेत मा देश कै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व होय के हिसाब से लिया जाई ।

- (७) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह केर बजेट घाटा व्यवस्थापन औ अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्ध कै व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**६०. राजस्व श्रोत कै विभाजन :**

- (१) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह भी अपने अधिकार क्षेत्र भीतर कै विषय मा कर लगावैक औ ऊ श्रोतन से राजस्व उठाय पहहै । लेकिन साभा सूचि के भीतर के विषय मइहा औ कवनौ भी तहके सूचि मा न परा विषयमा कर लगावैक औ राजस्व उठावैक व्यवस्था नेपाल सरकार के द्वारा निर्धारण किहे अनुसार होई ।
- (२) नेपाल सरकार भी संकलन किया राजस्व संघ प्रदेश औ स्थानीय तह का न्यायोचित वितरण करै कै व्यवस्था मिलाई ।
- (३) प्रदेश औ स्थानीय तह भी प्राप्त करयक वित्तिय हस्तान्तरण कै परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत औ वित्त आयोग के सिफारिस अनुसार होई ।
- (४) नेपाल सरकार भी प्रदेश औ स्थानीय तह का खर्च कै आवश्यकता औ राजस्व के क्षमता के आधार मइहा वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण करिहै ।
- (५) प्रदेश के द्वारा नेपाल सरकारसे प्राप्त अनुदान औ अपने श्रोत से उठयवाला राजस्व का स्थानीय तह के खर्च कै आवश्यकता औ राजस्व क्षमता के आधार मइहा प्रदेश कानून अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण करिहै ।
- (६) नेपाल सरकार भी संघीय संचित कोष से प्रदान करै वाला सशर्त अनुदान समपूरक अनुदान अथवा अन्य प्रयोजन के खातिर देयवाला विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।
- (७) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह के बीच मइहा राजस्व कै विभाजन करत सन्तुलित औ पारदर्शी रुप मइहा करै के परी ।
- (८) राजस्व विभाजन सम्बन्धी संघीय ऐन बनावत मा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश औ स्थानीय तह कै स्वायत्तता, प्रदेश औ स्थानीय तह भी जनता का देय परै वाला सेवा औ उन लोगन का प्रदान किया गवा आर्थिक अधिकार, राजस्व असूल करै वाला क्षमता, राजस्व सम्भावना औ उपयोग, विकास निर्माण मइहा करैवाला सहयोग क्षेत्रिय असन्तुलन, गरिबी औ असमानता कै न्यूनीकरण, वन्चितीकरण कै अन्त, आकस्मिक कार्य औ अस्थायी आवश्यकता पूरा करै मे सहयोग करैवाले विषय मइहा ध्यान देयक परी ।

**भाग-६**  
**राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति**

**६१. राष्ट्रपति :**

- (१) नेपाल मइहा एक राष्ट्रपति रहिहैं ।
- (२) राष्ट्रपति नेपाल कै राष्ट्रध्यक्ष होइहैं । उनका यी संविधान और संघीय कानून अनुसार अपने कार्य का सम्पादन करिहैं ।
- (३) राष्ट्रपति भी नेपाल कै राष्ट्रिय एकता कै प्रवर्धन करि है ।
- (४) संविधान कै पालन और संरक्षण करव राष्ट्रपति कै प्रमुख कर्तव्य होई ।

**६२. राष्ट्रपति कै निर्वाचन :**

- (१) राष्ट्रपति कै निर्वाचन संघीय संसद कै सदस्य और प्रदेश सभा कै सदस्य रहे निर्वाचक मण्डल से होई संघीय संसद कै सदस्य और प्रदेश सभा के सदस्य के मतभार संघीय कानून अनुसार फरक होई ।
- (२) उपधारा (१) मा चाहे जवन लिखा होय के बावजूद कवनौ प्रदेश मा प्रदेश सभा कै निर्वाचन न होय के कारण से राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रयोजन खातिर निर्वाचक मण्डल गठन करै का बाधा परा न माना जाई ।
- (३) उप धारा (१) अनुसार कै निर्वाचक मण्डल कै तत्काल कायम रहा कुल मत कै बहुमत प्राप्त करैवाला व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होई ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार कोई भी उम्मेदवार बहुमत प्राप्त न कइ पाए पर सबसे ज्यादा मत प्राप्त करै वाले दुई उम्मेदवार के बीच मा मतदान होई और अस मतदान मइहा कुल मत कै पचास प्रतिशत से जादा मत लावैवाला उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित होई ।
- (५) उप धारा (४) अनुसार के मतदानो से कवनौ उम्मेदवार पचास प्रतिशत से ज्यादा मत प्राप्त न पाये पर फिर मतदान होई । अस मतदान मइहा गिरा कुल सदर मत कै ज्यादा मत प्राप्त करै वाले उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचिन, होई ।
- (६) निर्वाचन, मनोनयन या नियुक्ती होयवाला राजनैतिक पद मइहा रहा व्यक्ति यी धारा अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होय से उनके वह पद अपनै (स्वतः) रिक्त होइ जाई ।
- (७) राष्ट्रपति कै निर्वाचन और वह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**६३. राष्ट्रपति कै पदावधि :**

- (१) राष्ट्रपति कै पदावधि निर्वाचित भवा मिति से पाँच साल कै होई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार पदावधि समाप्त भवा राष्ट्रपति दोसर निर्वाचित राष्ट्रपति अपन पद भार न लिहे तक यहि संविधान अनुसार कार्य सम्पादन करिहैं ।

**६४. राष्ट्रपति कै योग्यता :**

- (१) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति राष्ट्रपति होय खातिर योग्य होइहैं :-
  - (क) संघीय संसद कै सदस्य होयक योग्य भवा,
  - (ख) कम से कम पैतालिस वर्ष उमर पूरा भवा,
  - (ग) कोई कानून से अयोग्य न भवा,
- (२) उपधारा (१) मइहा कवनौ बात लिखा होय के बावजूद दुई बार राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति फिर निर्वाचन मा उम्मेदवार होयक न पइहैं ।

**६५. राष्ट्रपति कै पद रिक्त होय वाला अवस्था :** नीचे लिखा कवनौ भी अवस्था मइहा राष्ट्रपति कै पद रिक्त होई :-

- (क) ऊ अपनै उपराष्ट्रपति के पास लिखित राजीनामा (त्याग पत्र) दिहे मा ।
- (ख) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पास भए मा ।
- (ग) उनके पदावधि समाप्त भए मा,
- (घ) उनके मृत्यु भए मा,

**६६. राष्ट्रपति कै काम, कर्तव्य और अधिकार :**

- (१) राष्ट्रपति यहि संविधान और संघीय कानून अनुसार उनका प्राप्त अधिकार कै प्रयोग और कर्तव्य कै पालना करि है ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार अधिकार कै प्रयोग अथवा कर्तव्य कै पालन करत मा यहि संविधान वा संघीय कानून अनुसार कोई निकास अथवा पदाधिकारी के सिपारिस करैक निश्चित किया गवा व्यवस्था भवा काम के अलावा राष्ट्रपति से सम्पादन होय वाला कोई काम मन्त्रिपरिषद के सिपारिस और सहमती से होई । अस सिपारिस और सहमती प्रधान मंत्री मार्फत पेश होई ।
- (३) उपधारा(२) अनुसार राष्ट्रपति के नाम मा होयवाला निर्णय अथवा आदेश और तत्सम्बन्धी अधिकार पत्र कै प्रमाणीकरण संघीय कानून अनुसार होई ।

**६७. उपराष्ट्रपति :**

- (१) नेपाल मइहा एक उपराष्ट्रपति रहिहैं ।

**भाग-७**  
**संघीय कार्यपालिका**

- (२) राष्ट्रपति के अनुपस्थिती मइहा राष्ट्रपति से करैवाला काम का उपराष्ट्रपति से सम्पादन होई ।
- (३) निर्वाचन, मनोनयन अथवा नियुक्ति होयवाला पदमा रहे कवनौ व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद मइहा निर्वाचित होए पर उनकै बस पुरान पद अपनै खाली होय जाई ।
- ६८. उपराष्ट्रपति कै पद रिक्त होयवाला अवस्था :** नीचे लिखा कोई भी अवस्था मइहा उपराष्ट्रपति कै पद रिक्त होई :-
- (क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के थिर अपन लिखित त्याग पत्र (राजीनामा) दिहे मा ।
- (ख) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पास भए मा ।
- (ग) उनकै पदावधि समाप्त भए मा ।
- (घ) उनकै मृत्यु भए मा ।
- ६९. उपराष्ट्रपति के सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :** उपराष्ट्रपति कै योग्यता, निर्वाचन तरीका, पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपति के अनुसार होई ।
- ७०. राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग औ समुदाय कै होई :** यी संविधान अनुसार राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदाय कै प्रतिनिधित्व होयवाला करयक परी ।
- ७१. राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै शपथ :** राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति अपने कार्यभार शुरु करै से पहिले संघीय कानून अनुसार राष्ट्रपति प्रधान न्यायधिश के सामने औ उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के सामने पद औ गोपनीयता कै शपथ लेयक परी ।
- ७२. राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै पारिश्रमिक औ सुविधा :** राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै पारिश्रमिक औ अन्य सुविधा संघीय ऐन (कानून) अनुसार होई औ अस ऐन (कानून) न बने तक नेपाल सरकार के द्वारा कायम किहे अनुसार होई ।
- ७३. राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै कार्यालय :**
- (१) राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै कार्य संचालन (सम्पादन) के खातिर अलग अलग कार्यालय रही ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार कार्यालय काम संचालन के खातिर आवश्यक कर्मचारी औ अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार करी ।

- ७४. शासकीय स्वरूप :** नेपाल कै शासकीय स्वरूप बहुदलवाद मइहा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली होई ।
- ७५. कार्यकारिणी अधिकार :**
- (१) नेपाल कै कार्य यी संविधान औ कानून अनुसार मंत्रीपरिषद मइहा निहित होई ।
- (२) यी संविधान औ कानून के अधिन मा रहिके नेपाल कै शासन व्यवस्था कै सामान्य निर्देशन नियन्त्रण औ संचालन करयक अभिभारा मंत्री परिषद मा रही ।
- (३) नेपाल कै संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकार के नाम मा होई ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार नेपाल सरकार के नाम मइहा होय वाला निर्णय आदेश औ वह सम्बन्धी अधिकार पत्र कै प्रमाणीकरण संघीय कानून अनुसार होई ।
- ७६. मंत्रीपरिषद कै गठन :**
- (१) राष्ट्रपति प्रतिनिधी सभा मा बहुमत प्राप्त संसदीय दल के नेताका प्रधान मंत्री नियुक्त करिहै औ उनके अध्यक्षता महिया मंत्री परिषद कै गठन होई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार प्रतिनिधी सभा मा कवनौ दल कै स्पष्ट बहुमत न होय के अवस्था मइहा प्रतिनिधी सभा मा प्रतिधित्व करै वाला दुई अथवा दुई से ज्यादा दल के समर्थन मइहा बहुमत प्राप्त कै सकै वाला प्रतिनिधी सभा के सदस्य का राष्ट्रपति प्रधान मंत्री नियुक्त करिहै ।
- (३) प्रतिनिधी सभा के निर्वाचन कै अन्तिम परिणाम घोसणा भवा मिति से तीस दिन के भीतर उपधारा (२) अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त होय सकै कै अवस्था न भए पर अथवा वहि किसिम से नियुक्त प्रधानमंत्री उपधारा (४) अनुसार विश्वास कै मत प्राप्त न इक पाए पर राष्ट्रपति द्वारा प्रतिनिधि सभा मे सनसे ढेर सदस्य भग दल के संसदीय दल के नेताका प्रधानमंत्री नियुक्त करिहै ।
- (४) उपधारा (२) वा (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमंत्री बइसै नियुक्त भवा मिति से तीस दिने के भीतर प्रतिनिधि सभा से विश्वास कै मत प्राप्त करैक परी ।
- (५) उपधारा (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमंत्री भी उपधारा (४) अनुसार विश्वास कै मत प्राप्त न कै सकै मा उपधारा (२) अनुसार कोई भी

सदस्य प्रतिनिधि सभा मइहा विश्वास कै मत प्राप्त करै कै सकै के आधार प्रस्तुत किहिन तौ राष्ट्रपति वइसने सदस्य का प्रधानमंत्री नियुक्त करिहै ।

- (६) उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमंत्रीउ का भी उपधारा (४) अनुसार विश्वास कै मत प्राप्त करै के परी ।
- (७) उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमंत्रीउ विश्वास कै मत प्राप्त न कइ पाए पर अथवा प्रधानमंत्री नियुक्त न होइ पाए प्रधानमंत्री के सिफारिस से राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा का विघटन कइके छ महिना के भीतर दोसर प्रतिनिधि सभा कै निर्वाचन सम्पन्न होयक अनुसार निर्वाचन मिति निश्चित करिहै ।
- (८) यहि संविधान अनुसार भवा प्रतिनिधि सभा कै निर्वाचन कै अन्तिम परिणाम घोषडा भवा वा प्रधानमंत्री केर पद रिक्त भवा मिति से पैतिस दिन के भीतर यी धारा मुताबिक प्रधानमंत्री के नियुक्ती सम्बन्धी कार्य (प्रकृया) पुरा करैक परी ।
- (९) राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के सिफारिस से संघीय संसद के सदस्य के भीतर से समावेसी सिद्धान्त अनुसार प्रधानमंत्री सहित ज्यादा से ज्यादा पच्चीस जना कै मंत्री परिषद गठन करिहै ।

**स्पष्टीकरण :** यी भाग के प्रयोजन के खातिर (मंत्री) माने उपप्रधान मंत्री, राज्य मंत्री, औ सहायक मंत्री समझैक है ।

- (१०) प्रधानमंत्री औ मंत्री सामूहिक रूपसे संघीय संसद के प्रति उत्तरदाई होइहै औ मंत्री अपने मंत्रालय के काम के खातिर व्यक्तिगत रूप मा औ प्रधानमंत्री तथा संघीय संसद के प्रति उत्तरदाई रहिहै ।

### **७७. प्रधानमंत्री औ मन्त्री के पद रिक्त होयक अवस्था :**

- (१) नीचे लिखा कोई अवस्था मइहा प्रधानमंत्री कै पद रिक्त होई :-
  - (क) अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्यागपत्र (राजीनामा) दिहे मा ।
  - (ख) धारा (१००) अनुसार विश्वास कै प्रस्ताव पारित न होय सकै अथवा उनके विरुद्ध अविश्वास कै प्रस्ताव पारित भए मा ।
  - (ग) ऊ अपनै प्रतिनिधिसभा मे सदस्य न रहे मा ।
  - (घ) उनके मृत्यु भए मा ।
- (२) नीचे लिखा कोई अवस्था मइहा मन्त्री पद रिक्त होई :
  - (क) ऊ अपनै प्रधानमंत्री समक्ष लिखित त्यागपत्र दिहे मा,
  - (ख) प्रधानमंत्री उनका पद मुक्त किहे मा,
  - (ग) उपधारा (१) कै खण्ड (क) (ख) (ग) अनुसार प्रधानमंत्री कै पद रिक्त होए मा,
  - (घ) उनके मृत्यु भए मा,

- (३) उपधारा (१) अनुसार प्रधानमंत्री कै पद रिक्त भए पर दोसर मंत्री परिषद गठन नभए तक उहै मंत्री परिषद कार्य संचालन करी । लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त न भए तक के खातिर वरिष्ठतम मंत्री प्रधानमंत्री के रूप मइहा कार्य संचालन करिहै ।

### **७८. संघीय संसद कै सदस्य न भवा ब्यक्ति मंत्री होइहै :**

- (१) धारा (७६) कै उपधारा (९) मा चाहे जवन बात लिखा होय पर भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सिफारिस से संघीय संसद कै सदस्य न भवा कोई ब्यक्ति का मंत्री पद मइहा नियुक्त कइ सकत है ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार नियुक्त मंत्री का शपथ ग्रहण लेय के मिति से ६ महिना भीतर संघीय संसद कै सदस्यता प्राप्त करैक परी ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार अवधि भीतर संघीय संसद कै सदस्यता प्राप्त न कै सके पर तत्काल कायम रहा प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल तक ऊ मंत्री पद मइहा पुनः नियुक्ती के खातिर योग्य न रहिहै ।
- (४) उपधारा (१) मा चाहे जवन बात लिखा होय पर भी तत्काल कायम रहा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन मा पराजित भवा ब्यक्ति अस प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल मइहा उपधारा (१) अनुसार मंत्री पद मा नियुक्ती के खातिर योग्य न होइ है ।

**७९. प्रधानमंत्री औ मंत्री कै पारिश्रमिक औ अन्य सुविधा :** प्रधानमंत्री औ मंत्री कै पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय (ऐन) कानून अनुसार होई । अस ऐन (कानून) न बने तक नेपाल सरकार से निर्धारण किया अनुसार होई ।

**८०. शपथ :** प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री औ मंत्री का राष्ट्रपति के समक्ष औ राज्य मंत्री औ सहायक मंत्री का प्रधानमंत्री के समक्ष अपन कार्याभार सम्हालै से पहिले संघीय कानून अनुसार पद तथा गोपनीयता कै शपथ लेयूक परी ।

**८१. राष्ट्रपति का जानकारी देयक :** प्रधानमंत्री नीचे लिखा विषयन मा राष्ट्रपति का जानकारी करइहै :-

- (क) मंत्रीपरिषद कै निर्णय,
- (ख) संघीय संसद मइहा पेश होयवाला विधेयक,
- (ग) खण्ड (क) औ (ख) मा उल्लेख भवा विषय मइहा राष्ट्रपति जानकारी मौ कै दोसर आवश्यक बिवरण,
- (घ) नेपाल कै सम सामयिक परिस्थिती औ बैदेशिक सम्बन्ध कै विषय ।

**८२. नेपाल सरकार कै कार्य संचालन :**

- (१) नेपाल सरकार से स्वीकृत नियमावली अनुसार नेपाल सरकार कै कार्य विभाजन औ कार्य सम्पादन होई ।
- (२) उपधारा (१) अन्तर्गत नियमावली कै पालन भवा न भवा कै प्रश्न कोई अदालत मइहा उठावै के न मिली ।

**भाग-८**  
**संघीय व्यवस्थापिका**

**८३. संघीय व्यवस्थापिका :** प्रतिनिधिसभा औ राष्ट्रिय सभा नामकै दुइ सदन सहित कै एक संघीय व्यवस्थापिका होई जवने का संघीय संसद कहा जाई ।

**८४. प्रतिनिधि सभा कै गठन :**

(१) प्रतिनिधि सभा मइहा नीचे लिखित अनुसार दुई सय पचहत्तर सदस्य रहिहै :-

(क) नेपाल कै जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता औ विशिष्टता के आधार से एक सय (पैसठ्ठी) निर्वाचन क्षेत्र कामय कइके प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक जने कइके पहिले होयवाला निर्वाचित प्रणाली अनुसार निर्वाचित एक सय पयसठ सदस्य,

(ख) सम्पूर्ण देश का एक निर्वाचन क्षेत्र मान के राजनैतिक दल का मत देयवाला समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित होयवाले एक सौ दश सदस्य ।

(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होयवाला प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन खातिर राजनैतिक दल भी उम्मेदवारी देतमा जनसंख्या के आधार से महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा क्षेत्र समेत से बन्द सूची के आधार से प्रतिधित्व करवैक व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ऊ मेर से उम्मेदवारी देत मा भूगोल औ प्रदेशिक सन्तुलन का समेत ध्यान देयक परी ।

**स्पष्टीकरण :** यी उपधारा के प्रयोजन खातिर “खस, आर्य” माने क्षेत्री, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, सन्यासी, (दश नामी) समुदाय का समझा जाई ।

(३) उपधारा (२) अनुसार उम्मेदवारी देत मा अपांगता भवा व्यक्ति कै समेत प्रतिनिधित्व होयक व्यवस्था करैक परी ।

(४) उपधारा(१) अनुसार होयवाला प्रतिनिधि सभा सदस्य कै निर्वाचन कानून अनुसार गोप्य मतदान से होई ।

(५) अठारह वर्ष पूरा भवा हर एक नेपाली नागरिक का संघीय कानून अनुसार कोई एक निर्वाचन क्षेत्र मइहा मतदान करयक अधिकार होई ।

(६) प्रतिनिधि सभा कै सदस्य के खातिर होय वाला निर्वाचन (चुनाव) मइहा मतदान करयक अधिकार पाय कै धारा ८७ अनुसार योग्यता भवा व्यक्ति संघीय कानून के अधीन मा रहिके कवनो भी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मेदवार होय सकत है ।

लेकिन यकै व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र मइहा एकै वार उम्मेदवार होयक न पइहै ।

(७) प्रतिनिधि सभा केर कार्यकाल ६ महिना से ज्यादा बाँकी रहतै कोई सदस्य कै स्थान खाली भए पर ऊ स्थान जवने निर्वाचन के तरीका से पूर्ति भवा रहा वही तरीका से पूरा किया जाई ।

(८) यी भाग मा कही भी चाहे जवन बात लिखा होय के बावजूद संघीय संसद मइहा प्रतिनिधित्व करै वाला हरएक राजनैतिक दल से निर्वाचित कुल सदस्य संख्या केर कम से कम एक तिहाई सदस्य महिला (मेहरारन) होयक परी । वहि किसिम से निर्वाचित भये के उप धारा (१) कै खण्ड (क) औ धारा ८६ के उपधारा (२) केर खण्ड (क) अनुसार निर्वाचित सदस्यन के बीच कोई राजनैतिक दल कै एक तिहाई महिला (मेहरारन) सदस्य निर्वाचित न होए पर, वस राजनैतिक दल का उपधारा (१) कै खण्ड (ख) अनुसार सदस्य निर्वाचित करत के अपने दल से संघीय संसद मइहा निर्वाचित होय वाले कुल सदस्य के कम से कम एक तिहाई महिला (मेहरारन) सदस्य निर्वाचित होय वाले किसिम से निर्वाचित करयक परी ।

(९) प्रतिनिधि सभा कै निर्वाचन औ वहि सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून अनुसार होई ।

**८५. प्रतिनिधि सभा कै कार्य काल :**

(१) यी संविधान अनुसार पहिले विधान भवा के अलावा प्रतिनिधि सभा कै कार्यकाल पाँच वर्ष कै होई ।

(२) उपधारा (१) मइहा चाहे जवन लिखा होय के बावजूद संकटकालीन समय कै घोषणा अथवा आदेश लागू रहय के अवस्था मइहा संघीय ऐन, कानून के मुताबिक प्रतिनिधि सभा कै कार्यकाल एक वर्ष से ज्यादा न न बढै के हिसाब से बढावा जाय सकत है ।

(३) उपधारा (२) अनुसार बढाय गवा प्रतिनिधि सभा कै कार्यकाल संकटकालीन अवस्था कै घोषणा वा आदेश खारिज भवा मिति से ६ महिना पहुँचै के बाद स्वतः समाप्त होइ जाई ।

**८६. राष्ट्रिय सभा कै गठन औ सदस्यता कै पदावधि :**

(१) राष्ट्रिय सभा एक स्थाई सदन होय ।

(२) राष्ट्रिय सभा मइहा नीचे लिखा अनुसार उनसठ सदस्य रहि है :-

(क) प्रदेश सभा कै सदस्य गाउँपालिका कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष औ नगरपालिका कै प्रमुख औ उप प्रमुख समेत रहा निर्वाचन मण्डल

के द्वारा संघीय कानून अनुसार प्रदेश सभा के सदस्य गाउँपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथै नगरपालिका के प्रमुख, उपप्रमुख मत के मत के भार फरक होय के हिसाब से प्रत्येक प्रदेश से कम से कम तीन महिला (मेहरारु), एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भवा व्यक्ति अथवा अल्पसंख्यक सहित आठ जने का मिलाय के निर्वाचित छप्पन जने,

(ख) नेपाल सरकार के सिफारिस से राष्ट्रपति से मनोनीत कम से कम एक महिला (मेहरारु) सहित तीन जने ।

- (३) राष्ट्रिय सभा के सदस्यता के पदावधि छ वर्ष के होई । राष्ट्रिय सभा मइहा एक तिहाई सदस्य के पदावधि हरेक दुई वर्ष मा समाप्त होई । लेकिन यी संविधान प्रारम्भ होय के बाद पहिले बार सदस्य के पदावधि कायम करत के गोला प्रथा से एक तिहाई का दुई वर्ष दोसर एक तिहाई के चार वर्ष और बाँकी एक तिहाई के छ वर्ष के होयवाला कायम किया जाई ।
- (४) यी संविधान शुरु होय बाद राष्ट्रिय सभा के सदस्य के पदावधि पहिले बार गणना करत के राष्ट्रिय सभा के प्रथम बैठक के दिन से सम्पूर्ण सदस्यन के पदावधि प्रारम्भ भवा माना जाई ।
- (५) राष्ट्रिय सभा के रिक्त होई जाय वाला स्थान के पूर्ति ऊ स्थान रिक्त करैवाला सदस्य के निर्वाचन अथवा मनोनयन जवने तरीका से भवा रहा वही तरीका से बाँकी अवधि के खातिर किया जाई ।
- (६) राष्ट्रिय सभा के सदस्य के निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

#### ८७. सदस्य के खातिर योग्यता :

- (१) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति संघीय संसद के सदस्य होयक योग्य होई :-
- (क) नेपाल के नागरिक,
- (ख) प्रतिनिधि सभा के खातिर पच्चीस वर्ष और राष्ट्रिय सभा के खातिर पैतिस वर्ष उमर पूरा भवा ।
- (ग) नैतिक पतन देखायवाला फौजदारी कसूर मइहा सजाय न पावा,
- (घ) कोई संघीय कानून से अयोग्य न भवा ।
- (ङ) कोई लाभ के पद मइहा काम न करत होय ।

**स्पष्टिकरण :** यी खण्ड के प्रयोजन के खातिर “लाभ के पद” माने निर्वाचन अथवा मनोनयन से पूर्ति होयवाला राजनैतिक पद के अलावा

सरकारी कोष (खजाना) से पारिश्रमिक अथवा आर्थिक सुविधा पावै वाला अन्य पद जानयक है ।

- (२) कोई भी व्यक्ति एकै बार दूनौ सदन के सदस्य होयक न पाई ।
- (३) निर्वाचन, मनोनयन अथवा नियुक्ती होयवाले राजनैतिक पदमा रहा व्यक्ति यी भाग अनुसार संघीय संसद के पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भए पर संघीय संसद के सदस्य पद के सपथ ग्रहण किहे के दिन से उनके ऊ पद स्वतः रिक्त होई ।

**८८. शपथ :** संघीय संसद के प्रत्येक सदस्य के या वह के कवनो समिति के बैठक मइहा पहिली बार भाग लेयक पहिले संघीय कानून अनुसार शपथ लेय के परी ।

**८९. स्थान के रिक्तता :** नीचे लिखे कवनो अवस्था मा संघीय संसद के सदस्य के स्थान खाली (रिक्त) होई :-

- (क) ऊ अपने सभामुख या अध्यक्ष का लिखित त्यागपत्र (राजीनामा) दिहे मा ।
- (ख) उनके धारा ८७ अनुसार योग्यता न भए मा या न रहे पर,
- (ग) प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल अथवा राष्ट्रिय सभा सदस्य के पदावधि समाप्त भए पर,
- (घ) ऊ अपने सम्बन्धित सदन का सूचना (जानकारी) दिहे बिना लगातार दश बैठक मइहा अनुपस्थित भए पर,
- (ङ) जवन दल के उम्मेवार होइके सदस्य निर्वाचित भए रहे वहि दल के द्वारा संघीय कानून अनुसार ऊ अपने दल त्याग किहे के सूचना दिहे पर,
- (च) उनके मृत्यु भए पर ।

**९०. सदस्य के खातिर अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय :** संघीय संसद के कवनो सदस्य धारा ८७ अनुसार अयोग्य है वा नाई है के प्रश्न उठे पर वहके अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास करी ।

#### ९१. प्रतिनिधि सभा के सभा मुख और उपसभामुख :

- (१) प्रतिनिधि सभा के पहिला बैठक प्रारम्भ भवा मिति से पन्द्रह दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा के सदस्य लोग अपने भीतर से प्रतिनिधि सभा के सभामुख और उपसभामुख के निर्वाचन करिहै ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन करत मइहा प्रतिनिधि सभा के सभामुख और उपसभामुख मइहा एक जना महिला (मेहरारु) होयक ही परी और प्रतिनिधि सभा के सभामुख और उपसभामुख फरक फरक दल के प्रतिनिधि होयक परी ।

लेकिन प्रतिनिधि सभा मइहा एक से जादा दल कै प्रतिनिधि नभए पर या प्रतिनिधित्व होयक के भी उम्मेदवारी न दिहे के अवस्था मइहा यकै दल कै सदस्य प्रतिनिधि सभा कै सभामुख औ उपसभामुख होय मा बाधा न परी ।

- (३) प्रतिनिधि सभा कै सभामुख अथवा उपसभामुख कै पद रिक्त भएपर प्रतिनिधि सभा कै सदस्य सब अपनेन मध्ये से प्रतिनिधि सभा कै सभामुख औ उपसभामुख कै चुनाव कै के रिक्त (खाली) स्थान कै पूर्ति करिहै ।
- (४) प्रतिनिधि सभा के सभामुख के अनुपस्थिती मइहा उप सभामुख प्रतिनिधि सभा कै अध्यक्षता करिहै ।
- (५) प्रतिनिधि सभा कै सभामुख औ उपसभामुख कै चुनाव (निर्वाचन) न भवा के समय वा दुनौ पद रिक्त (खाली) रहै के अवस्था मइहा प्रतिनिधि सभा के बैठक कै अध्यक्षता उपस्थित मइहा सदस्यन मा उमिर के हिसाब से बडा सदस्य करि है ।
- (६) नीचे लिखा कवनो अवस्था मइहा प्रतिनिधि सभा कै सभामुख, उपसभामुख कै पद रिक्त (खाली) होई :-

(क) ऊ प्रतिनिधि सभा कै सदस्य न रहे पर,

लेकिन प्रतिनिधि सभा बिघटन भएके अवस्था मइहा अपने पद पर कायम रहे प्रतिनिधि सभा कै सभामुख औ उपसभामुख प्रतिनिधि सभा के खातिर होयवाला दोसर निर्वाचन कै उम्मेदवारी देय से पहिले दिन तक अपने पदमा कायम रहिहै ।

(ख) ऊ अपने लिखित त्याग पत्र दिहे पर,

(ग) ऊ अपने पद के अनुकूल आचरण न किहे कै प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा कै वहि समयमा कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै दुई तिहाई बहुमत से पारित भए पर,

- (७) प्रतिनिधि सभा कै सभामुख अपने पद अनुसार कै आचरण न किहे कै प्रस्ताव पर बिचार विमर्श (छलफल) होयवाले बैठक कै अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा कै उपसभामुख करिहै । वस प्रस्ताव के बिचार विमर्श (छलफल) मा प्रतिनिधि सभा कै सभामुख भाग लेयक औ मत देयक पइहै ।

## १२. राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष :

- (१) राष्ट्रिय सभा कै पहिला बैठक प्रारम्भ भवा मिति से पन्द्रह दिन के भीतर राष्ट्रिय सभा कै सब सदस्य अपने बीच मे से राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष कै चुनाव (निर्वाचन) करिहै ।

- (२) उपधारा (१) अनुसार चुनाव करत राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष मइहा एक जने महिला (मेहरारु) होय के हिसाब से करयक परी ।
- (३) राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष कै पद रिक्त(खाली) होए पर राष्ट्रिय सभा कै सब सदस्य अपने बीच से राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष कै चुनाव कइके अध्यक्ष खाली पद कै पूर्ति करिहै ।
- (४) राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष के अनुपस्थिति मइहा राष्ट्रिय सभा कै उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्षता करिहै ।
- (५) राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष कै निर्वाचन (चुनाव) न भवा अथवा पद रिक्त रहे अवस्थामा राष्ट्रिय सभा के बैठक कै अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मइहा उमिर के हिसाब से बडा सदस्य करिहै ।
- (६) नीचे लिखा कवनो अवस्था मइहा राष्ट्रिय सभा के अध्यक्षऔ उपाध्यक्ष कै पद रिक्त (खाली) होई :-
  - (क) ऊ राष्ट्रिय सभा कै सदस्य न रहे पर,
  - (ख) ऊ अपने लिखित त्याग पत्र (राजीनामा) दिहे पर,
  - (ग) ऊ अपने पद अनुसार आचरण न करै कै प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा कै वहि समय कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य संख्या कै दुई तिहाई बहुमत से पारित भए पर ।
- (७) राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष अपने पद अनुकूल आचरण न किहे कै कहा प्रस्ताव उपर बिचार विमर्श (छलफल) होयवाला बैठक कै अध्यक्षता राष्ट्रिय सभा कै उपाध्यक्ष करिहै । अस प्रस्ताव के बिचार विमर्श (छलफल) मइहा राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष भी भाग लेयक औ मत देयक पइहै ।

## १३. अधिवेशन कै आव्हान औ अन्त :

- (१) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के खातिर भवा चुनाव (निर्वाचन) कै अन्तिम परिणाम घोषणा भवा मिति से ३० (तीस) दिन के भीतर संघीय संसद कै अधिवेशन आव्हान करिहै । वहा के बाद यी संविधान अनुसार राष्ट्रपति समय मइहा दुनौ अथवा कवनौ सदन कै अधिवेशन आव्हान करिहै । लेकिन एक अधिवेशन कै समाप्ती औ दोसर अधिवेशन कै प्रारम्भ के बीच कै समय (अवधि) ६ महिना से ज्यादा न होई ।
- (२) राष्ट्रपति संघीय संसद कै दुनौ वा कवनौ सदन से अधिवेशन अन्त कै सकत है ।
- (३) राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिनिधि सभा कै अधिवेशनमा चालू न रहा अथवा बैठक स्थागित रहा अवस्था मा अधिवेशन वा बैठक बोलावै कै आवश्यक (वाञ्छनीय) है कहिके प्रतिनिधि सभा कै सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै एक

चौथाई सदस्य लिखित अनुरोध तो, वइसन अधिवेशन वा बैठक होयक मिति औ समय निश्चित होई । यी मेर निश्चित किया मिति, समय मइहा प्रतिनिधि सभा कै अधिवेशन वा बैठक बइठी ।

९४. **गण पुरक संख्या :** यी संविधान मा अन्यथा लिखा होय के अलावा संघीय संसद कै कोई भी सदन के बैठक मइहा सम्पूर्ण सदस्य संख्या कै एक चौथाई सदस्य उपस्थित न भएतक कवनो प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णय के खातिर पेश न होई ।

९५. **राष्ट्रपति से सम्बोधन :**

- (१) राष्ट्रपति ही संघीय संसद कै कवनो सदन कै बैठक वा दुनौ सदन कै संयुक्त बैठक का सम्बोधन करयक औ उके खातिर सदस्य कै उपस्थितका आव्हान कै पईहै ।
- (२) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन (चुनाव) पाछे कै पहिला अधिवेशन औ प्रत्येक वर्ष पहिला अधिवेशन प्रारम्भ भए पर संघीय संसद कै दूनौ सदन के संयुक्त बैठक का सम्बोधन करिहै ।

९६. **उपप्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यमन्त्री औ सहायक मन्त्री औ सहायक मंत्री भी दूनो सदन के बैठक मा भाग लेयक पइहै :** उप प्रधान मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री औ सहायक मंत्री भी संघीय संसद के कवनो सदन अथवा वह कै उपस्थित होयक औ करवाही तथा विचार विमर्श मइहा भाग लेयक पइहै । लेकिन अपना (खुद) सदस्य न भवा सदन अथवा वह कै समिति मइहा मत देयक (मतदान) न पइहै ।

९७. **समिति कै गठन :**

- (१) प्रतिनिधि सभा औ राष्ट्रिय सभा संघीय कानून अनुसार समितिन कै गठन कइ सकिहै ।
- (२) संघीय संसद के दुई सदन के बीच कै कार्यप्रणाली का व्यवस्थित करयक, कवनौ विधेयक मइहा रहा मत भिन्नता का अन्त करयक अथवा और कवनो खास काम के खातिर दुनौ सदन कै संयुक्त समिति गठन किया जाय कहिके कवनो सदन से प्रस्ताव पास भए पर मा संयुक्त समिति गठन किया जाई, वस संयुक्त समिति मइहा प्रतिनिधि सभा कै सदस्य पाँच जने राष्ट्रिय सभा कै सदस्य एक जने के अनुपात मइहा समावेशिता के आधार से अधिकतम पच्चीस जने सदस्य रहिहै ।

९८. **सदस्य कै स्थान खाली रहे पर के अवस्था मइहा सदन कै सन्चालन :** संघीय संसद कै कोई सदस्य कै स्थान रिक्त (खाली) भए भी सदन अपन कार्य संचालन कइ सकत है । संघीय संसद के कवनो सदन के कारवाही मइहा

भाग लेयक न पावैवाला कवनो व्यक्ति भाग लिहे कै बात पाछे जानकारी भए पर होई चुका काम अमान्य न होई ।

९९. **मतदान :** यी संविधान मइहा अन्यथा व्यवस्था कीन के अलावा संघीय संसद के कवनो सदनमा निर्णय के खातिर प्रस्तुत किया गवा चाहे जवन प्रस्ताव कै निर्णय उपस्थित होइकै मतदान करैवाले सदस्यन के बहुमत से होई । अध्यक्षता करैवाले व्यक्ति का मत देयक अधिकार न होई । लेकिन मत बराबर होय पर ऊ अपन निर्णायक मत देहै ।

१००. **विश्वास कै मत औ अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था :**

- (१) प्रधानमन्त्री कोई भी समय अपने ऊपर प्रतिनिधि सभा कै विश्वास है यी बात स्पष्ट करैक आवश्यक अथवा उपयुक्त विचार मइहा विश्वास के मत के खातिर प्रतिनिधि सभा मइहा प्रस्ताव रख सकत है ।
- (२) प्रधानमन्त्री कै प्रतिनिधित्व करैवाला दल विभाजित भए पर अथवा सरकार मइहा सहभागी दल अपन समर्थन वापस लिहे पर तीस दिन के भीतर प्रधानमंत्री विश्वास के मत के खातिर प्रतिनिधि सभा मइहा प्रस्ताव रखै के परी ।
- (३) उपधारा (१) औ (२) अनुसार पेश भवा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा मइहा तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य के सङ्ख्या कै बहुमत से पारित न होय सके मा प्रधानमंत्री अपने पद से मुक्त होइ है ।
- (४) प्रतिनिधि सभा मइहा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्यन के बीच मइहा एक चौथाई सदस्यन के प्रधानमंत्री पर सदन के विश्वास नाई है कहिके लिखित रुप मइहा अविश्वास प्रस्ताव पेश कै सकत है । लेकिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भए कै पहिले दुई वर्ष औ एक बार रखा अविश्वास कै प्रस्ताव फेल होय के बाद एक वर्ष कै भीतर फिर से अविश्वास कै प्रस्ताव पेश करयक न मिली ।
- (५) उपधारा (४) अनुसार अविश्वास कै प्रस्ताव पेश करत मा प्रधानमंत्री के खातिर प्रस्तावित सदस्य कै नाम लिखा होयक परी ।
- (६) उपधारा (४) अनुसा पेश भवा अविश्वास कै प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा मइहा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या के बहुमत से पारित भए पर प्रधानमन्त्री पदमुक्त होइहै ।
- (७) उपधारा (६) अनुसार अविश्वास कै प्रस्ताव पारित होइके प्रधानमंत्री कै पद रिक्त (खाली) भए पर उपधारा (५) अनुसार प्रस्ताव किहे प्रतिनिधि सभा सदस्य का राष्ट्रपति धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त करिहै ।

## १०१. महाभियोग :

- (१) यी संविधान औ कानून कै गम्भीर उलंघन करै के आधार मइहा प्रतिनिधि सभा मा तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै एक चौथाई सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कै प्रस्ताव पेश कै सकत है । वस प्रस्ताव संघीय संसद के दुनौ सदन कै तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या केर कम से कम दुई तिहाई बहुमत से पारित भए पर उन पद से मुक्त होइहैं ।
- (२) यी संविधान औ कानून कै गम्भीर उलंघन करे कै कार्यक्षमता कै अभाव अथवा खराब आचरण भए से अथवा ईमानदारी के साथ पदीय कर्तव्य कै पालन न करै कै अथवा आचार संहिता कै गम्भीर उलंघन करै के कारण पदीय जम्मेदारी पूरा न कै सकै के आधार मइहा प्रतिनिधि सभा मा तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या केर एक चौथाई सदस्य से नेपाल कै प्रधान न्यायाधीश, अथवा सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधीश न्याय परिषद कै सदस्य संवैधानिक निकाय कै प्रमुख वा पदाधिकारी के विरुद्ध महाभियोग कै प्रस्ताव पेश कै सकत है । अस प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा मइहा तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै दुई तिहाई बहुमत से पारित (पास) भए पर सम्बन्धित व्यक्ति पद से मुक्त होईहै ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार कै कोई व्यक्ति के विरुद्ध महाभियोग कै प्रस्ताव पेश करयक आधार औ कारन है कि नाई है, छानवीन कइके सिपारिस करयक प्रयोजन के खातिर प्रतिनिधि सभा मइहा एक महाभियोग सिपारिस समिति रही ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार समिति मइहा प्रतिनिधि सभा कै ग्यारह जने सदस्य रहिहै ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार महाभियोग से मुक्त होयवाला व्यक्ति संविधान कै गम्भीर उलंघन किये कै अथवा कार्यक्षमता कै अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्व के पालन इमानदारी के साथ न किये कै वा आचार संहिता कै गम्भीर उलंघन करे कै आधार मइहा प्राप्त सूचना जानकारी वा उजूरी के ग्राह है कहिके प्रतिनिधि सभा के कम से कम तीन जना सदस्य भी प्रमाणित कइके पेश किये पर उपधारा (३) के अनुसार समिति भी वस उजूरी के ऊपर संघीय कानून अनुसार छानवीन कइके महाभियोग सम्बन्धी कारवाही के खातिर प्रतिनिधि सभा के समक्ष सिफारिस करै के बाद उपधारा (२) अनुसार महाभियोग कै प्रस्ताव पेश होई सकत है ।

- (६) उपधारा (२) अनुसार महाभियोग कै कारवाई शुरु होए पर नेपाल कै प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधीश, न्यायपरिषद कै सदस्य संवैधानिक निकाय कै प्रमुख वा पदाधिकारी भी वस कारवाई कै निश्कर्ष न आवै तक अपने पद कै कार्य सम्पादन करयक न पडहै ।
- (७) उपधारा (१) वा (२) अनुसार महाभियोग कै आरोप लाग व्यक्ति का सफाई देयक (पेश करयक) मुनासिब मक्का देयक परी ।
- (८) यी धारा अनुसार महाभियोग पारित होइके पद मुक्त भए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नेपाल कै प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधीश, न्यायपरिषद कै सदस्य संवैधानिक निकाय कै प्रमुख अथवा पदाधिकारी भी पदमा रहत समय कवनौ अपराध किये हौं तो वस कसूर (अपराध) कै संघीय कानून अनुसार कारवाई करै मा बाधा अडचन न परी ।
- (९) उपधारा (१) वा (२) अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित होइके पद मुक्त भवा व्यक्ति वस पद से पावैवाला कवनो सुविधा लेयक औ भविष्य मा कवनो भी सार्वजनिक पद मा नियुक्त अथवा मनोनयन होयक न पडहै ।
- (१०) महाभियोग सम्बन्धी और व्यवस्था संघीय कानून जस होईहै ।

**१०२. अनाधिकार उपस्थित भए पर अथवा मतदान करे पर सजाय :** धारा ८८ अनुसार सपथ न लिया वा संघीय संसद कै सदस्य न भवा कोई व्यक्ति सदस्य के हैसियत से संघीय संसद कै कवनो सदन अथवा कवनो समिति के बैठक मा उपस्थित भए पर वा मतदान किये पर वस का विसन बैठक कै अध्यक्षता करेवाला व्यक्ति के आदेश से वइसे उपस्थित भवा औ मतदान किये के हरवार के खातिर पाँच हजार रुपैया जुरमाना होई । औ अस जुरमाना सरकारी बाँकी के अनुसार असूल उपर किया जाई ।

## १०३. विशेषाधिकार :

- (१) यी संविधान के अधिन मा रहे संघीय संसद के दुनौ सदन मइहा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रही औ सदन मा बोला गवा कवनो बात व्यक्त किया विचार दिया गवा मत का लैके कवनो भी सदस्य का हिरासत मा लेयक थाना मा राखैक अथवा वह के ऊपर कवनो अदालत मइहा कारवाई न चलावा जाई ।
- (२) यी संविधान के अधीन मा रहिके संघीय संसद के हर एक सदन का आपन काम करवाई औ निर्णय करयक पूर्ण अधिकार रही औ सदन के कवनो कारवाई नियमित है कि नाई है केर निर्णय करयक अधिकार खाली सम्बन्धित सदन का होई यी सम्बन्ध मइहा कवनौ अदालत मा प्रश्न न उठावा जाई ।

- (३) संघीय संसद के कवनो सदन के कवनौ कारवाई के ऊपर उके सही नियत के बारेमा शंका कइके कवनौ टीका टिप्पणी न किया जाई औ कवनौ सदस्य के बोले कवनौ बात के सम्बन्ध मइहा जाना जान गलत अथवा भ्रामक अर्थ लगाय के कवनौ मेर के प्रकाशन औ प्रशासन करयूक न मिली ।
- (४) उपधारा (१) औ (२) के व्यस्था संघीय संसद के सदस्य के अलावा सदन के बैठक मा भाग लेयक पावै वाले अन्य व्यक्ति के हक मा भी लागू होई ।
- (५) संघीय संसद के कवनौ सदन से दिया अधिकार के अन्तर्गत कोई लिखित, प्रतिवेदन मतदान अथवा कारवाई प्रकाशित किहे विषय का लइके कोई व्यक्ति ऊपर अदालत मइहा कारवाई न चली ।
- स्पष्टीकरण :** यी उपधारा औ उपधारा (१) (२) (३) औ (४) के प्रयोजन के खातिर “सदन” माने प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा समझैक परी औ वहि शब्द से संघीय संसद के संयुक्त बैठक वा समिति अथवा संयुक्त समिति का समेत जाना जाई ।
- (६) संघीय संसद के कवनौ भी सदस्य का संसद बोलावा के कारण सूचना जारी होय जायक बाद औ अधिवेशन समाप्त न भए के अवधि तक हिरासत मा न लिया जाई ।
- लेकिन कोई फौजदारी अभियोग मइहा कोई सदस्य का संघीय कानून अनुसार हिरासत मा लेयक यी उपधारा से बाधा पहुचत न माना जाई, ऊ मेर कवनौ सदस्य का हिरासत मइहा लिहे पर हिरासत मा लेयवाला अधिकारी उके सूचना सम्बन्धित सदन के अध्यक्षता करैवाले व्यक्ति का देयक परी ।
- (७) विशेष अधिकार के हनन का संघीय संसद के अवहेलना माना जाई औ कोई विशेष अधिकार के हनन भवा है कि नाई के सम्बन्ध मइहा निर्णय करयक अधिकार खाली सम्बन्धित सदन का होई ।
- (८) कोई कवनौ सदन के अवहेलना किहे पर सम्बन्धित सदन के अध्यक्षता करैवाला व्यक्ति ही सदन के निर्णय से ऊ व्यक्ति का सचेत करावैक नसिहत देयक अथवा तीन महिना से ज्यादा न बढैक हिसाब से कैद करयूक वा दश हजार रुपया तक जुर्माना के सकत है । औ अस जुर्माना सरकारी बाँकी के तरह असूल किया जाई ।
- लेकिन सम्बन्धित सदन का सन्तोष होय के हिसाब से वहि व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति क्षमा याचना किहे पर सदन क्षमा प्रदान करयूक अथवा निर्णित सजाय का माफी करै वा घटाय सकत है ।

- (९) संघीय संसद के विशेष अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

#### १०४. कार्य संचालन विधि :

- (१) संघीय संसद के प्रत्येक सदन अपने कार्य संचालन करै, बैठक के सुव्यवस्था कायम राखै औ समिति के गठन काम कारवाही औ कवनौ सदन वा समिति के कार्यविधि नियमित करै खातिर नियमावली बनईहै । वस नियमावली न बने तक संघीय संसद भी अपन कार्य विधि अपनै नियमित करिहै ।
- (२) संघीय संसद के संयुक्त बैठक के कार्य संचालन औ संघीय संसद के संयुक्त समिति गठन औ काम कारवाही संघीय संसद के दुनौ सदन के संयुक्त बैठक से स्वीकृत किहा नियमावली वा कार्य विधि अनुसार होई ।

#### १०५. बहस मा बन्देज :

- नेपाल के अदालत मा बिचाराधीन मुकदमा के सम्बन्ध मइहा न्याय निरूपण मा प्रतिकूल असर परै वाला विषय औ न्यायाधीश के कर्तव्य पालन के सिलसिलामा किया न्यायिक कार्य के सम्बन्ध मइहा संघीय संसद के कवनौ सदन मा बिचार विमर्श न किया जाई ।
- लेकिन महाभियोग के प्रस्ताव मइहा बिचार विमर्श करत न्यायाधीस के आचारण के सम्बन्ध मा कवनो बात व्यक्त करयक यी धारा से बाधा पहुँचा है न माना जाई ।

#### १०६. संघीय संसद के महासचिव औ सचिव :

- (१) राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के सभामुख औ राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष दुनौ के संयुक्त सिफारिस से संघीय संसद के महासचिव, सभामुख के सिफारिस से प्रतिनिधि सभा के सचिव औ राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष के सिफारिस से राष्ट्रिय सभा के सचिव नियुक्त करिहै ।
- (२) संघीय संसद के महासचिव, प्रतिनिधि सभा के सचिव औ राष्ट्रिय सभा के सचिव के योग्यता काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा के, और शर्त संघीय कानून अनुसार होई ।

१०७. **संघीय संसद के सचिवालय :** संघीय संसद के काम कारवाई संचालन, व्यवस्थापन करै खातिर एक सचिवालय रही । वहि सचिवालय के स्थापना औ वह सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

१०८. **परिश्रमिक :** प्रतिनिधि सभा के सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति के सभापति और संघीय संसद के सदस्यन के पारिश्रमिक औ सुविधा संघीय कानून अनुसार होई । वस कानून न बने तक नेपाल सरकार से निर्णय अनुसार होई ।

**भाग-९**  
**संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि**

**१०९. संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार :** संघीय संसद कै व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूचि-५, अनुसूचि-७ औ अनुसूचि-९ मुताबिक सूची मे लिखा अनुसार होई ।

**११०. विधेयक प्रस्तुत करयक विधि :**

- (१) यी संविधान के अधीन मा रहिके संघीय संसद के कवनौ भी सदन मा विधेयक प्रस्तुत किया जाय सकत है ।  
लेकिन अर्थ विधेयक खाली प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत किया जाई ।
- (२) अर्थ विधेयक, नेपाली सेना नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल नेपाल समेत सुरक्षा निकाय से सम्बन्धित विधेयक खाली सरकारी विधेयक के रुप मइहा प्रस्तुत किया जाई ।
- (३) “अर्थ विधेयक” माने नीचे लिखित सब वा कोई बिषय से सम्बन्ध होयवाले विधेयक का जनावत है :-  
(क) कर लगावै के उठावै के खारिज करै छुट देयक, परिवर्तन करयक अथवा कर प्रणाली का व्यवस्थित करै कै विषय,  
(ख) संघीय संचित कोष अथवा अन्य कोई संघीय सरकारी कोष कै संरक्षण करयक वस कोष मइहा रकम जमा करयक अथवा वस कोष से कवनौ रकम विनियोजन वा खर्च करयक कोशिस कै रकम घटा घटावै के वढावै के वा खारिज करै कै विषय,  
(ग) नेपाल सरकार के द्वारा कर्जा प्राप्त करयक अथवा जमानत देयक विषय व्यवस्थित करै के अथवा नेपाल सरकार के द्वारा लिहा वा लेयवाला आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून संसोधन करयक विषय,  
(घ) संघीय सरकारी कोष मइहा प्राप्त होयवाला सब मेर कै राजस्व, ऋण असूली से प्राप्त रकम औ अनुदान रकम जम्मा राखै के लगानी करै के वा नेपाल सरकार कै लेखा वा लेखा परीक्षण करयक विषय औ,  
(ङ) खण्ड (क) (ख) (ग) वा (घ) से प्रत्यक्ष सम्बन्ध भवा कै अन्य प्रासंगिक विषय ।  
लेकिन कवनो अनुमति पत्र, दस्तुर, नबिकरण दस्तुर जस दस्तुर शुल्क महसूल लगावै के वा कोई जरीवाना कैद होयक व्यवस्था भवा के कारण से कोई विधेयक का अर्थ विधेयक न माना जाई ।

(४) कोई विधेयक अर्थ विधेयक होय कि न होय प्रश्न खडा भए पर सभामुख कै निर्णय अन्तिम होई ।

**१११. विधेयक पारित करै कै विधि :**

- (१) संघीय संसद के एक सदन से पारित किया विधेयक यथासिघ्र दुसरे सदन मा भेजा जाई औ वडू सदन से पारित भये पर प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाई ।
- (२) प्रतिनिधि सभा से पारित किया अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभा मा भेजा जाई राष्ट्रिय सभा भी ऊ विधेयक के उपर विचार बिमर्स कइके विधेयक प्राप्त किहे के पन्द्रह दिन के भीतर कोई सुभावा भवा तो सुभावा सहित प्रतिनिधि सभा मइहा वापस भेजयक परी ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार सुभावा सहित वापस आवा विधेयक मइहा प्रतिनिधि सभा भी विचार बिमर्स कइके उचित लागे पर सुभावा का समावेश कइके प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के सामने पेश करिहै ।
- (४) उपधारा (२) अनुसार अर्थ विधेयक प्राप्त होय के पन्द्रह दिन तक राष्ट्रिय सभा भी ऊ विधेयक का वापत न करे पर प्रतिनिधि सभा भी प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के समाने पेश कइ सकत है ।
- (५) प्रतिनिधि सभा से पारित कइके राष्ट्रिय सभा मइहा भेजा अर्थ विधेयक के अलावा अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभा का अपने पास प्राप्त भवा दुई महिना के भीतर पारित कइके अथवा सुभावा के साथ वापत भेजे कै परी । वस समय सीमा भीतर राष्ट्रियसभा से ऊ विधेयक का वापस न किहे पर प्रतिनिधिसभा भी तत्काल कायम रहा सदस्य संख्या के बहुमत सदस्यन के निर्णय से वहि विधेयक का प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के सामने पेश कै सकिहै ।
- (६) अर्थ विधेयक के अलावा कोई सदन से पारित किया अन्य विधेयक दोसर सदन से अस्वीकृत किहे पर वा संसोधन सहित पारित किहे पर ऊ विधेयकका उत्पत्ती भवा सदन मा वापस भजे के परी ।
- (७) उपधारा (६) अनुसार राष्ट्रिय सभा से अस्वीकृत होइके वा संसोधन सहित प्रतिनिधि सभा मा वापस आवा विधेयक ऊपर विचार कइके प्रतिनिधि सभा कै तत्काल कायम रहा सदस्य संख्या कै बहुमत सदस्यन से प्रस्तुत रुप मइहा वा संसोधन सहित फिर पारित किहे पर ऊ विधेयक प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाई ।

- (८) उपधारा (६) अनुसार प्रतिनिधि समा से संसोधन सहित राष्ट्रिय सभा मा वापस आवा विधेयक राष्ट्रिय सभा भी तत्काल कायम रहा सदस्य संख्या के बहुमत सदस्य भी वइसै संसोधन सहित फिर पारित कइके प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाई ।
- (९) नीचे लिखा अनुसार कै विधेयक दुनौ सदन के संयुक्त बैठक मा प्रस्तुत किया जाई । और संयुक्त बैठक भी विधेयक प्रस्तुत रूप मइहा अथवा संसोधन सहित पारित किहे पर विधेयक उत्पत्ती भवा सदन ही प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के सामने पेश करिहै ।
- (क) राष्ट्रिय सभा कै पारित किया लेकिन प्रतिनिधि सभासे अस्वीकार किया, अथवा
- (ख) प्रतिनिधि सभा भी संसोधन सहित राष्ट्रिय सभा मा वापस भेजा लेकिन राष्ट्रिय सभा वस संसोधन से सहमत न होय सके वाले ।
- (१०) कोई विधेयक विचाराधीन रहेक अवस्था मइहा सदन कै अधिवेशन समाप्त भए पर भी सव विधेयक के उपर आगामी अधिवेशन मइहा कारवाई होय सकी ।
- लेकिन कवनौ विधेयक प्रतिनिधि सभा मइहा प्रस्तुत होयके विचाराधीन अवस्था मा रहे पर प्रतिनिधि सभा कै विघटन भए पर अथवा वह कै कार्यकाल समाप्त भए पर, वस विधेयक निष्कृत होई ।

**११२. विधेयक वापस लेयक :** विधेयक प्रस्तुतकर्ता ही सदन से स्वीकृति लइके विधेयक वापस लै सकत है ।

**११३. विधेयक मइहा प्रमाणीकरण :**

- (१) धारा १११ अनुसार प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के समने पेश करै वाला विधेयक का उत्पत्ती भवा सदन कै सभामुख वा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित कइके पेश करयक परी ।
- लेकिन अर्थ विधेयक के हक मइहा अर्थ विधेयक होय कहिके सभामुख का प्रमाणित करयक परी ।
- (२) यी धारा अनुसार प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के सामने पेश भवा विधेयक पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाणीकरण कइके वह कै सूचना जल्दी से जल्दी दुनौ सदन का देयक परी ।
- (३) प्रमाणीकरण के खातिर पेश भवा अर्थ विधेयक के अलावा अन्य विधेयक मइहा पुनः विचार करयक आवश्यक है जस राष्ट्रपति का महसूस भए पर, वस विधेयक पेश होय के पन्द्रह दिन के भीतर अपनै सन्देश के साथेन विधेयक उत्पत्ती भवा सदन मा वापस पठईहै ।

- (४) राष्ट्रपति के द्वारा कोई विधेयक का सन्देश सहित वापस किहे पर वस विधेयक के ऊपर दुनौ सदन भी फिर से विचार विमर्स कइके वस विधेयक प्रस्तुत रूप मइहा अथवा संशोधन सहित पास कइके पुनः पेश किहे पर यी प्रकार पेश भएके पन्द्रह दिन के भीतर राष्ट्रपति प्रमाणीकरण करिहै ।
- (५) राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण भए पर विधेयक ऐन (कानून) बनत है ।

**११४. अध्यादेश :**

- (१) संघीय संसद कै दुनौ सदन कै अधिवेशन चलत समय मइहा के अलावा अन्य अवस्था मा कुछ करयक आवश्यकता परे पर मन्त्री परिषद के सिपारिस से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कै सकत है ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार जारी भवा अध्यादेश ऐन (कानून) जइसै मान्य होई ।
- लेकिन वस प्रत्येक अध्यादेश,-
- (क) जारी भए पर संघीय संसद के दुनौ सदन कै बैठक मा पेश किया जाई दुनौ सदन के स्वीकार न किहे पर अपने आप निष्कृत होई जाई,
- (ख) राष्ट्रपति से कोई भी समय खारिज होय सकत है, औ
- (ग) खण्ड (क) वा (ख) अनुसार निष्कृत अथवा खारिज न भए पर दुनौ सदन कै बैठक शुरु होय के साठ दिन मा अपने आप निष्कृत होई जाई ।

**स्पष्टीकरण :** यी धारा के प्रयोजन के खातिर “दूनौ सदन कै बैठक बइठै कै दिन” माने संघीय संसद कै दूनौ सदन के बैठक सदन कै अधिवेशन प्रारम्भ भवा अथवा बैठक बैठा के दिन का समझैक परी औ ऊ शब्द भी संघीय संसद के सदन कै बैठक आगे पाछे कइके बइठै कै अवस्था जवन सदन कै बैठक (वाद मे) बइठा है वहि दिन का बतावत है ।

**भाग-१०**  
**संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली**

**११५. कर लगावै के अथवा ऋण लेयक न मिलि :**

- (१) कानून मुताविक बाहेक कोई आउर कर उठावै के न मिली ।
- (२) संघीय कानून अनुसार के अलावा नेपाल सरकार भी कोई ऋण लेयक औ जमानत न दे है ।

**११६. संघीय संचित कोष :** गुठी रकम के अलावा नेपाल सरकार का प्राप्त होयवाला सब प्रकारके राजश्व के जमानत मा लइके सब कर्जा ऐन (कानून) के अधिकार अन्तरगत दिया जौन भी ऋण असूल होत मा प्राप्त भवा सब धन औ नेपाल सरकारका प्राप्त होय वाला अन्य कौनौ भी रकम संघीय ऐन (कानून) द्वारा दोसर कौनौ व्यवस्था न किहे पर एक सरकारी कोषमा आमदानी किन जाई जौनेका संघीय संचित कोष कहा जाई ।

**११७. संघीय संचित कोष वा संघीय सरकारी कोष से व्यय :** निचे लिखा अनुसार कै रकम के अलावा संघीय संचित कोष अथवा अन्य कौनौ संघीय सरकारी कोष से कोई रकम निकालयक नाई सकत है ।

- (क) संघीय संचित कोष पर व्यय भार भवा रकम,
- (ख) संघीय विनियोजन ऐन (कानून) अनुसार खर्च होयवाला रकम,
- (ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेके अवस्था मइहा पेशकी के रुपमा संघीय ऐन (कानून) अनुसार खर्च होयवाला रकम, अथवा
- (घ) विशेष अवस्था मइहा व्यय के विवरण केवल भवा संघीय उधार खर्च ऐन (कानून) अनुसार खर्च होयवाला रकम ।

लेकिन संघीय आकस्मिक कोष के हकमा धारा १२४ अनुसार होई ।

**११८. संघीय संचित कोष पर व्यय भार :** निचे लिखा विषय से सम्बन्धित खर्च संघीय संचित कोष पर व्यय भार होई औ अस व्यय के खातिर संघीय संसद कै स्वीकृति आवश्यक रही ।

- (क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कै पारिश्रमिक औ सुविधा कै रकम ।
- (ख) नेपाल कै प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधीश औ मन्त्री परिषद के सदस्य का देयवाला पारिश्रमिक तथा सुविधा कै रकम ।
- (ग) प्रतिनिधि सभा कै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का देयवाला पारिश्रमिक तथा सुविधा कै रकम ।
- (घ) सम्बैधानिक निकाय कै प्रमुख औ पदाधिकारी का देयवाला पारिश्रमिक औ सुविधा कै रकम ।

- (ड) प्रदेश प्रमुख कै पारिश्रमिक औ सुविधा कै रकम ।
- (च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति कै कार्यालय सर्वोच्च अदालत न्यायपरिषद संवैधानिक निकाय औ प्रदेश प्रमुख कै कार्यालय केर प्रशासनिक व्यय ।
- (छ) नेपाल सरकार कै दायित्व ऋण के सम्बन्धी व्यय भार ।
- (ज) नेपाल सरकार के विरुद्ध अदालत से भवा फैसला वा आदेश अनुसार देयवाला रकम ।
- (झ) संघीय कानून अनुसार संघीय संचित कोष पर व्यय भार होयवाला रकम ।

**११९. राजस्व औ व्यय कै अनुमान :**

- (१) नेपाल सरकार के अर्थ मन्त्री ही प्रत्येक आर्थिक वर्ष के सम्बन्धमा संघीय संसद के दुनौ सदन के संयुक्त बैठक मइहा निचे लिखा विषयन सबका सवमावेश कइके वार्षिक अनुमान पेश करयक परी ।
  - (क) राजस्व के अनुमान ।
  - (ख) संघीय संचित कोष पर व्यय भार होयवाला आवश्यक रकम ।
  - (ग) संघीय विनियोजन ऐन कानून अनुसार व्यय होयवाला आवश्यक रकम ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार वार्षिक अनुमान पेश करत मा आगे कै आर्थिक वर्ष मा प्रत्येक मन्त्रालय का दिया गवा खर्च कै रकम औ वस खर्च अनुसार कै लक्ष्य हासिल भवा वा नाई भवा ऊ सब कै विवरण भी साथे पेश करयक परी ।
- (३) नेपाल सरकार कै अर्थ मन्त्री भी उप धारा (१) अनुसार राजस्व औ व्यय कै अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिना कै १५ गते संघीय संसद मा पेश करि है ।

**१२०. विनियोजन ऐन (कानून) :** विनियोजन ऐन कानून अनुसार व्यय होयवाला रकम सम्बन्धित शिर्षक मा उल्लेख कइके विनियोजन विधेयक मा राखा जाई ।

**१२१. पूरक अनुमान :**

- (१) कोई आर्थिक वर्ष मइहा निचे लिखा अवस्था परे पर नेपाल सरकार कै अर्थ मन्त्री ही प्रतिनिधि सभा मा पूरक अनुमान पेश कै सकत है :
  - (क) चालू आर्थिक वर्ष खातिर विनियोजन ऐन (कानून) से कोई सेवा के खातिर खर्च करयक अधिकार दीन रकम कम भए पर ऊ वर्ष के खातिर विनियोजन ऐन (कानून) से अधिकार न दिया गवा नवा सेवा मा खर्च करयक आवश्यक भए पर, अथवा

(ख) चालू आर्थिक वर्ष मइहा विनियोजन कानून से अधिकार दिए रकम से जादा खर्चा होई गए पर ।

(२) पूरक अनुमान मइहा रखा रकम सम्बन्धित शिर्षक मा उल्लेखित कइके पूरक विनियोजन विधेयक मा रखा जाई ।

#### १२२. पेशकी खर्च :

(१) यी भाग मइहा अन्ते चाहे जौन बात लिखा भए पर भी विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहे अवस्था मइहा आर्थिक वर्ष खातिर अनुमान किया गवा व्यय कै कोई अंश पेशकी कै रुप मइहा संघीय कानून अनुसार खर्च किया जाय सकत है ।

(२) धारा ११९ अनुसार राजस्व औ व्यय के अनुमान पेश न किहे तक पेशकी खर्च विधेयक प्रस्तुत न किया जाई औ पेशकी के रकम आर्थिक वर्ष के व्यय अनुमान कै एक तिहाई से जादा न होई ।

(३) संघीय पेशकी खर्च ऐन (कानून), अनुसार खर्च भवा रकम विनियोजन विधेयक मइहा समावेश किया जाई ।

१२३. **उधार खर्च :** यी भाग मइहा अन्ते जवन भी बात लिखा होय पर भी प्राकृतिक कारण, अथवा बहिरी आक्रमण के आशंका अथवा आन्तरिक विघ्न अथवा अन्य कारण से शंकट कै अवस्था भए पर धारा ११९ के उप धारा (१) अन्तर्गत आवश्यक वतावै के अव्योहारिक अथवा राज्य सुरक्षा वा हितके नजर से अवा छिनीय भए पर नेपाल सरकार कै अर्थ मन्त्री भी व्यय कै विवरण खाली भवा उधार खर्च कै विधेयक प्रतिनिधि सभा मा पेश कै सकत है ।

#### १२४. संघीय आकस्मिक कोष :

(१) संघीय कानून अनुसार आकस्मिक कोष के नाम से एक कोष स्थापना किया जाय सकत है । और वस कोष मइहा समय समय पर संघीय कानून अनुसार निर्धारण भवा रकम जमा कीन जाई ।

(२) उपधारा (१) अनुसार कै कोष नेपाल सरकार के नियन्त्रण मा रही औ नेपाल सरकार ऊ कोष से आकस्मिक काम के खातिर खर्च कै सकत है ।

(३) उप धारा (२) अनुसार खर्च भवा रकम संघीय कानून अनुसार यथासिध्द कोषमा वापस किया जाई ।

१२५. **आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानून :** संघीय कानून अनुसार विनियोजित रकम एक शिर्षक से दोसरे शिर्षक मइहा रकमान्तर करयूक औ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

## भाग-११

### न्यायापालिका

#### १२६. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत से प्रयोग होई :

- (१) नेपाल कै न्याय सम्बन्धी अधिकार यी संविधान, अन्य कानून औ न्याय के मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकाय से प्रयोग किया जाई ।
- (२) मुकदमा मामिला के विषय मइहा अदालत से दिया आदेश औ निर्णय का सब कोई का पालन करयूक परी ।

#### १२७. अदालत :

- (१) नेपाल मइहा निचे लिखा अनुसार अदालत होई :
  - (क) सर्वोच्च अदालत
  - (ख) उच्च अदालत
  - (ग) जिला अदालत
- (२) उप धारा (१) मा लिखा के अलावा कानून अनुसार मुकदमा देखै खातिर स्थानीय स्तर मइहा न्यायिक निकाय अथवा विवाद समाधान खातिर वैकल्पिक उपाय अपनावै के खातिर आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन किया जाय सकत है ।

#### १२८. सर्वोच्च अदालत :

- (१) नेपाल मा एक सर्वोच्च अदालत होई ।
- (२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत होई । यी संविधान अन्यथा व्यवस्था होय के अलावा हर अदालत औ न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत के मातहत मा रहि है । संविधान औ कानून कै व्याख्या करयूक अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालत का होई ।
- (३) सर्वोच्च अदालत भी अपने औ अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर परै वाला अदालत, विशिष्टीकृत अदालत अथवा अन्य न्यायिक के न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय मा निरीक्षण सुपरिवेक्षण कइके आवश्यक निर्देशन दइ सकत है ।
- (४) मुकदमा मामिला के विषयमा सर्वोच्च अदालत से किया संविधान औ कानून कै व्याख्या अथवा प्रतिपादन किया कानूनी सिद्धान्त का सब कोई का पालन करयूक परी । सर्वोच्च अदालत भी अपने अथवा मातहत के अदालत के न्याय सम्पादन कै काम मा कोई आवरोध वाधा किहे पर अथवा आदेश, फैसला कै अवज्ञा किहे पर कानून अनुसार अवहेलना मा कारवाई कइके सजाय कै सकत है ।

**१२९. नेपाल के प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशन के नियुक्ती औ योग्यता :**

- (१) सर्वोच्च अदालत मइहा नेपाल के प्रधानन्यायाधीश औ ज्यादा से ज्यादा बीस जने न्यायाधीश रहिहै ।
- (२) संवैधानिक परिषद के सिफारिस से प्रधान न्यायाधीश के औ संवैधानिक परिषद के सिफारिस से सर्वोच्च अदालत के अन्य न्यायाधीश के नियुक्ती राष्ट्रपति से होई ।
- (३) सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद पर कम से कम तीन वर्ष काम किया व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश के पद मा नियुक्त होय्क योग्य होई ।
- (४) प्रधानन्यायाधीश के पदावधि ६ वर्ष के होई ।
- (५) कानूनमा स्नातक उपाधी प्राप्त कइके उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश के पद मइहा कम से कम पाँच वर्ष काम किया वा कानून मा स्नातक उपाधी प्राप्त कइके वरिष्ठ अधिवक्ता अथवा अधिवक्ता के हैसियत से कम से कम पन्द्रह वर्ष निरन्तर वकालत किया अथवा कम से कम पन्द्रह वर्ष तक न्याय अथवा कानून के क्षेत्र मइहा निरन्तर काम कइके विशिष्ट कानून विद के रूपमा ख्याती प्राप्त किया । अथवा न्याय सेवा के राज पत्राकित प्रथम श्रेणी वा ऊ से ऊपर के पदमा कम से कम बारह वर्ष काम किहे नेपाली नागरिक का सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद मइहा नियुक्ती के खातिर योग्य माना जाई ।  
**स्पष्टीकरण :** यी संविधान लागू अहोय से पहिले पुनरावेदन अदालत मइहा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश होईके काम किहे अवधि का यी उप धारा के प्रयोजन के खातिर उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश के हैसियत मइहा काम किया अवधि माना जाई ।
- (६) प्रधान न्यायाधीश के पद रिक्त (खाली) भए पर अथवा कवनौ कारण से प्रधान न्यायाधीश अपने पद के कम करैमा असमर्थ भए पर वा विदा (छुट्टि) मा रहे पर वा नेपाल से बाहेर जाय के ननाते से प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत मइहा उपस्थित न होय्क अवस्था पर सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश होईके काम करिहै ।

**१३०. प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीश के सेवा शर्त औ सुविधा :**

- (१) प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश भी कम से कम ५ वर्ष काम कइके त्यागपत्र दिहे पर वा अनिवार्य अवकाश अथवा उनके मृत्यु भए पर संघीय कानून अनुसार निवृत्ति भरण पड़ है ।

- (२) यी संविधान मइहा अन्य व्यवस्था किहे के अलावा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के पारिश्रमिक सेवा औ अन्य शर्त संघीय कानून अनुसार होई ।
- (३) उप धारा (१) औ (२) मा चाहे जौन लिखा होय पर भी महाअभियोग से पद मुक्त भए अथवा नैतिक पतन भवा फौजदारी कसूर मा अदालत से सजाय पाए सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश उपदान अथवा निवृत्ति भरण न पड़है ।
- (४) प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश का कष्ट पहुँचे के हिसाब से उनके पारिश्रमिक सेवा अन्य शर्त परिवर्तन न किया जाई ।  
लेकिन अधिकतम आर्थिक संकट के कारण संकटकालीन अवस्था के घोषणा भए के अवस्था पर यी व्यवस्था लागू न होई ।

**१३१. प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के पद रिक्त (खाली)**

**होय :** नीचे लिखा कवनौ अवस्था मइहा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के पद रिक्त (खाली) होई :-

- (क) ऊ अपने राष्ट्रपति के पास लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उनके उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,
- (ग) उनके बिरुद्ध धारा (१०१) अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित भए पर,
- (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वास्थ्यता के कारण सेवामा रहि के कार्य सम्पादन करैमा असमर्थ है कहिके प्रधान न्यायाधीश के हक मइहा संवैधानिक परिषद औ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के हक मइहा न्याय परिषद के सिफारिसमा राष्ट्रपति से पद मुक्त भए पर ।
- (ङ) ऊ नैतिक पतन भवा के फौजदारी कसूर मा अदालत से सजाय पाए पर ।
- (च) उनके मृत्यु भए पर ।

**१३२. प्रधान न्यायाधीश औ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश का अउर कवनौ काम मइहा लगावै के न होई :**

- (१) प्रधान न्यायाधीश औ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश का न्यायाधीश पद के अलावा अउर कौनौ पद के काम मइहा लगावैक अथवा काज मइहा न रखा जाई ।  
लेकिन नेपाल सरकार न्याय परिषद से परामर्स कइके सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश का न्यायिक जाँच परताल के काम मइहा अथवा कुछ खास समय के खातिर कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण के कोई काम मा राखा जाय सकत है ।

- (२) प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश होय चुका व्यक्ति यी संविधान मा अन्यथा लिखा भवा के अलावा कवनौ भी सरकारी पद मा नियुक्ती के खातिर ग्राहय न होई ।

### १३३. सर्वोच्च अदालत के अधिकार क्षेत्र :

- (१) यी संविधान से दिया गवा मौलिक हक के ऊपर अनुचित बन्देज लगाए पर अथवा अन्य कोई कारण से कवनौ कानून यी संविधान से बाभे पर वस कानून वा वह के कवनौ भाग वा प्रदेश सभा से बनावा कवनौ कानून संघीय संसद से बना कोई कानून से बाभे पर वा नगरसभा, गाँव सभा से बनावा कोई कानून संघीय वा प्रदेश सभा से बनावा कोई कानून से बाभे पर वस कानून अथवा वहके कोई भाग हटावै के खातिर कोई भी नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालत मइहा निवेदन दै सकत है । औ वही अनुसार कोई कानून बाभ्ता है मालूम भए पर वस कानून का शुरु से ही अथवा निर्णय भए के मिति से अमान्य घोषित करयक असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालत का होई ।
- (२) यी संविधान से दिया गवा मौलिक हक के प्रचलन के खातिर अथवा दोसर उपचार के व्यवस्था भए पर भी वस उपचार अप्रयाप्त वा प्रभावहीन भए पर और कोई कानूनी हक प्रचलन के खातिर वा सार्वजनिक हक वा सरोकार के कवनौ विवाद मा समावेश भवा कवनो संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न के निरुपण के खातिर आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी करयक, उचित उपचार प्रदान करयक प्रचलन करावै के वा विवाद समाप्त करावै के असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालत का होई ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध अधिकार पृच्छा सहित अन्य और आदेश दै सकत है ।  
लेकिन अधिकार क्षेत्र के अभाव भए के अलावा संघीय संसद वा प्रदेश सभा के आन्तरिक काम कारवाई औ संघीय संसद वा प्रदेश सभा से चलावा विशेषाधिकार के कारवाई वही सम्बन्ध से निश्चित किया गवा सजाय मइहा यी उप धारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत हस्तक्षेप न करी ।
- (४) यहि संविधान के अधीन मा रहिके सर्वोच्च अदालत का संघीय कानून मा व्यवस्था भवा अनुसार मुकदमा के शुरु, कारवाई औ फैसला करयक, पुनरावेदन सुनयक, साधक, जाचै के, मुकदमा दोहरीयावै के, निवेदन सुनयक वा अपन फैसला वा अन्तिम आदेश के पुनरावलोकन

करयक अधिकार रही । ऊ मेर पुनरावलोकन करत मा पहिले फैसला किहे न्यायाधीश के बाहेक अन्य न्यायाधीश करिहै ।

- (५) उच्च अदालत से शुरु कारवाई कइके फैसला किहे मुकदमा के पुनरावेदन सुनयक संविधान औ कानून के ब्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भए पर सार्वजनिक महत्व के विषय अथवा सर्वोच्च अदालत से निर्णय होयक उपयुक्त है कहिके उच्च अदालत अपने राय सहित सिपारिस किए पर मुकदमा के निरुपण करयक अधिकार सर्वोच्च अदालत का होई ।
- (६) सर्वोच्च अदालत के अन्य अधिकार औ कार्यविधि संघीय कानून अनुसार होई ।

### १३४. मुद्दा भेज सकेक :

- (१) सारभूत रूप मइहा समान प्रश्न समावेश भवा मुद्दामा सर्वोच्च अदालत औ उच्च अदालत मइहा बिचाराधीन रहै के अवस्था पर अस प्रश्न सार्वजनिक महत्व के होय अस सर्वोच्च अदालत का लागे पर अथवा महान्यायाधिकाता वा मुद्दा के पक्ष से निवेदन मा देखे पर अस मुद्दा का मगाय के साथेन राखिके फैसला करयक अधिकार सर्वोच्च अदालत का होई ।
- (२) कोई उच्च अदालत मा दायर भवा मुद्दा सुनवाई होत मा निष्पक्षता मा प्रश्न उठयक विशेष परिस्थिती भए पर कारण औ आधार देखाय के कानून अनुसार एक उच्च अदालत से दोसरे उच्च अदालत मइहा वस मुद्दा भेज के सुनवाई करयक सर्वोच्च अदालत आदेश दै सकत है ।

**१३५. बहस पैरवी करयक न पावैक :** प्रधान न्यायाधीश औ सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश भी सेवा निवृत्त भए पर कवनौ भी कार्यालय अदालत मइहा बहस पैरवी, मेल मिलाप मध्यस्थता सम्बन्धी काम करयक न पइहै ।

**१३६. प्रधान न्यायाधीश के जुम्मेवारी :** सर्वोच्च अदालत औ मातहत के अदालत विशिष्टीकृत अदालत अथवा अन्य न्यायिक निकायन के न्याय प्रशासन का प्रभावकारी बनावै के अन्तिम जुम्मेवारी प्रधान न्यायाधीश के होई ।

### १३७. संवैधानिक इजलास के गठन :

- (१) सर्वोच्च अदालत मइहा एक संवैधानिक इजलालस रही । वस इजलास मा प्रधान न्यायाधीश औ न्याय परिषद के सिपारिस से प्रधान न्यायाधीश के कहा अन्य चार जना न्यायाधीश रहि है ।
- (२) उप धारा (१) अनुसार इजलालस भी धारा १३३ के उपधारा (१) अनुसार परा निवेदन के अलावा नीचे लिखा मुद्दा के शुरु कारवाई औ फैसला करिहै ।

(क) संघ औ प्रदेश, प्रदेश औ प्रदेश, प्रदेश औ स्थानीय तह औ स्थानीय तहन के बीच कै अधिकार क्षेत्र के बारेमा भवा बिवाद के सम्बन्धमा ।

(ख) संघीय संसद औ प्रदेश सभा सदस्य कै निर्वाचन सम्बन्धी बिवाद औ संघीय संसद के सदस्य वा प्रदेश सभा के सदस्य कै अयोग्यता सम्बन्धी ।

(३) धारा १३३ मा जो भी लिखा होई पर भी सर्वोच्च अदालत मइहा बिचाराधीन कौनौ मुद्दा मा गम्भीर सम्वैधानिक व्याख्या कै प्रश्न समावेश भवा देखे पर वस मुद्दा उप धारा(१) अनुसार के इजलास से देख्य खातिर प्रधान न्यायाधीश आदेश दै सकत है ।

(४) संवैधानिक इजलास कै संचालन सम्बन्धी औ व्यवस्था सर्वोच्च अदालत के निर्धारण करे अनुसार होई ।

### १३८. वार्षिक प्रतिवेदन :

(१) सर्वोच्च अदालत न्याय परिषद औ न्याय सेवा आयोग भी हरेक वर्ष अपन वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष पेश करि है । राष्ट्रपति भी वस प्रतिवेदन का प्रधान मन्त्री के मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश करिहै ।

(२) उप धारा (१) अनुसार प्रस्तुत भवा वार्षिक प्रतिवेदन के ऊपर बिचार विमर्श भए पर संघीय संसद भी कोई सुझाव देयक आवश्यक भए पर नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकाय का दै सकत है ।

(३) उप धारा (१) अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

### १३९. उच्च अदालत :

(१) प्रत्येक प्रदेश मइहा एक उच्च अदालत रही ।

(२) उच्च अदालत भी अपने औ अपने मातहत कै अदालत वा न्यायिक निकायन से होयवाला न्याय सम्पादन के काम मा कोई अवरोध किहे पर अथवा फैसला केर अवज्ञा किहे पर संघीय कानून अनुसार अवहेलना मइहा कारवाई चलाय के सजा दै सकत है ।

(३) प्रत्येक उच्च अदालत मइहा मुख्य न्यायाधीश के अलावा संघीय कानून मा व्यवस्था भए के अनुसार संख्या मा न्यायाधीश रहि है ।

### १४०. उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश कै नियुक्ती औ योग्यता :

(१) प्रधान न्यायाधीश ही न्याय परिषद के सिपारिस से उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश कै नियुक्ती करिह है ।

(२) कानून मइहा स्नातक उपाधि प्राप्त कइके जिला न्यायाधीश के पदमा कम से कम पाँच वर्ष काम किहे वा कानून मइहा स्नातक उपाधि प्राप्त कइके वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता के रुप से कम से कम दश वर्ष निरंतर कानून के अध्यापन अन्वेषण वा कानून, न्याय सम्बन्धी और कोई क्षेत्र मइहा निरन्तर काम किहे वा न्याय सेवा कै कमसे कम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के पद मइहा कम से कम पाँच वर्ष काम किहा नेपाली नागरिक उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश के पद मैहा नियुक्ती के खातिर योग्य माना जाई ।

(३) उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश औ न्यायाधीश कै नियुक्ती करत मे उप धारा (२) अनुसार योग्यता भवा व्यक्तिन के बीच से जिला न्यायाधीश के हक मइहा उनकै वार्षिक रुप मइहा फैसला किहा मुद्दा के अनुपात औ ऊपर के अदालत मा अन्तिम निर्णय होत मइहा मुद्दा सदर, बदर अथवा उल्टा हाये के मूल्यांकन के आधारपर न्याय सेवा कै कम से कम राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी के पदमा कम से कम पाँच वर्ष काम किहे व्यक्ति के हक मइहा ज्येष्ठता, योग्यता औ कार्य सम्पादन के स्तर का मूल्यांकन के आधार मइहा अन्य के हक मइहा वरिष्ठता, व्यवसायिक, निरन्तरता, इमान्दारिता, पेशागत आचरण औ न्याय औ कानून के क्षेत्र मइहा किया योगदान कै मूल्यांकन कइके नियुक्ती किया जाई ।

(४) मुख्य न्यायाधीश कै पद रिक्त भए पर वा और कोई कारण से न्यायाधीश अपने पद पर काम करै मा असमर्थ भए पर अथवा छुट्टी पर रहेपर वा प्रदेश से वाहेर गए पर के कारण से मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालत मइहा उपस्थित त न होय सकै कै अवस्था रहे पर उच्च अदालत कै वरिष्ठतम न्यायाधीश काम चलाउन (कायम मुकायम) मुख्य न्यायाधीश होइके काम करिहै ।

### १४१. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश कै सेवा केर सर्त औ सुविधा :

(१) यी संविधान मइहा अन्यथा व्यवस्था किहे के अलावा उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश औ न्यायाधीश कै पारिश्रमिक औ सेवा कै अन्य सर्त संघीय कानून अनुसार होई ।

(२) उप धारा (१) मइहा चाहे जौन लिखा होई तौ भी न्याय परिषद से कारवाई होइ के पद मुक्त भए अथवा नैतिक पतन वाले फौजदारी कसूर मइहा अदालत से सजाय पाएके पद मुक्त भए उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश भी उपदान वा निवृत्ति भरण न पइहै ।

लेकिन शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता के कारण सेवा मा रहकै कार्य सम्पादन करेक असमर्थ रहेक कहके न्याय परिषद पदमुक्त करेक अवस्था मा यी व्यवस्था लागु न होई ।

- (२) उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश का कठिनाई होयवाला कइके उनके पारिश्रमिक सेवा अन्य सर्त परिवर्तन न किया जाई । लेकिन चरम आर्थिक विश्रुखलता के कारण संकटकाल घोसणा भए पर भी व्यवस्था लागु न होई ।

#### १४२. मुख्य न्यायाधीश औ न्यायाधीश कै पद रिक्त होई :

- (१) नीचे लिखा कोई अवस्था मइहा अच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश औ न्यायाधीश कै पद रिक्त होई ।
- (क) अपनै प्रधान न्यायाधीश के पास लिखित त्याग पत्र दिहे पर ।
- (ख) उनके उमिर त्रिसठ वर्ष पूरा भए पर ।
- (ग) उनके कार्यक्षमता केर अभाव, खराब आचरण ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य कै पालन न किहे, बदनियत पूर्वक काम कारवाई किहे पर वा उनके पालन करै वाला आचार संहितन कै गम्भीर उल्लंघन करै के आधार पर न्याय परिषद के सिफारिस से प्रधान न्यायाधीश के पद मुक्त किहे पर ।
- (घ) ऊ शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता के कारण सेवा मा रहिके काम करयक असमर्थ है कहिके न्याय परिषद के सिफारिस से प्रधान न्यायाधीश से पद मुक्त भए पर ।
- (ङ) उनके नैतिक पतन भवा है कहिके फौजदारी अदालत से सजाय पाए पर ।
- (च) उनके मृत्यु भए पर ।
- (२) उपधारा (१) कै खण्ड (ग) अनुसार पद मुक्त करै से पहिले आरोप लाग न्यायाधीश का आव सफाई देयक मुनासिब मौका देयक परी । यी मेर कारवाई प्रारम्भ भवा न्प्रधानन्यायाधीश कारवाही समाप्त न भए तक अपने पद कै काम करयक न पइहै ।
- (३) पद मुक्त भवा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा रहत समय किहे कसूर मइहा संघीय कानून अनुसार कारवाई करय मा बाधा न परी ।

#### १४३. मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका अन्य कौनौ काम मा लगावयक न होय औ सरुवा (बदली) सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश का न्यायाधीश के पद के अलावा अन्य कवनौ पदमा काम मा लगावेक अथवा काज मा पठवयक न मिलि ।

लेकिन नेपाल सरकार के न्याय परिषद से परामर्श कइके उच्च अदालत कै न्यायाधीश का न्यायिक जाँच परताल के काम मइहा अथवा कुछ खास समय खातिर कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकार के कोई काम मा लगावा जाय सकत है ।

- (२) न्याय परिषद के सिफारिस से प्रधान न्यायाधीशौ ही उच्च अदालत के न्यायाधीश का एक उच्च अदालत के न्यायाधीश से दोसर उच्च अदालत के न्यायाधीश मइहा पठय सकत है ।

#### १४४. उच्च अदालत कै अधिकार क्षेत्र :

- (१) यी संविधान से दिया गवा मौलिक हक के प्रचलन के खातिर अथवा दोसर उपचार कै अवस्था न भए पर वा दोसर उपचार कै व्यवस्था भए पर भी उक्त उपचार अप्रयाप्त वा प्रभावहीन देखे पर अन्य कवनौ कानूनी हक के प्रचलन के खातिर वा सार्वजनिक हक सरोकार कै कोई विवाद समावेश भए पर कवनौ कानूनी प्रश्न के निरुपण कै खातिर आवश्यक औ उप मुक्त आदेश जारी करयक अधिकार उच्च अदालत का होई ।
- (२) उपधारा (१) के प्रयोजन के खातिर उच्च अदालत वन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध अधिकार पृच्छा समेत कवनौ भी उपयुक्त आदेश जारी कै सकत है ।
- लेकिन अधिकार क्षेत्र कै अभाव होय के अलावा संघीय संसद वा प्रदेश सभा कै आन्तरिक काम करवाई औ संघीय संसद वा प्रदेश सभा से चलावा विशेषाधिकार कै कारवाई औ वहि सम्बन्ध मा निर्धारित सजाय मा यी उप धारा अनुसार उच्च अदालत हस्तक्षेप न करी ।
- (३) उच्च अदालत का संघीय कानून अनुसार शुरु मुद्दा देखे यक पुनरावेदन सुनयक औ साधक जाँचैक अधिकार रही ।
- (४) उच्च अदालत कै अन्य अधिकार औ कार्य विधि संघीय कानून अनुसार होई ।

#### १४५. मुद्दा पठय सकिहै :

- (१) उच्च अदालत खुद अपने अधिकार क्षेत्र भीतर के मातहत अदालत मइहा बिचाराधीन रहा मुकदमा मा प्रदेश कानून के सम्बन्ध कै प्रश्न समावेश औ वह मुद्दा कै निर्णय करयक करयक वदी प्रश्न के निरुपण करयक अनिवार्य है अस लागे पर वस मेर मुद्दा का मातहत अदालत से मगाय के मुद्दा कै पुरै निर्णय करयक अथवा ऊ प्रश्न मइहा खाली निर्णय कइके मुद्दा शुरु अदालत वापिस भेज सकत है ।

(२) कोई जिला अदालत मइहा दायर भवा मुकदमा कै सुनवाई होत मा न्यायिक निष्पक्षता मइहा प्रश्न उठयक विशेष परिस्थिती भए पर कारण औ आधार खोली के संघीय कानून अनुसार अपने मातहत कै एक जिला से दोसरे जिला अदालतमा बस मुद्दा पठाय के सुनवाई करयक उच्च अदालत आदेश दै सकत है ।

**१४६. बहस पैरवी करै पावएक हक :** उच्च अदालत कै न्यायाधीस होइके सेवा निवृत्त भवा व्यक्ति अपने न्यायाधीश से सेवा किहे उच्च अदालत औ मातहत के अदालत के अलावा अन्य उच्च अदालत औ सर्वोच्च अदालत मइहा उपस्थित होइके बहस पैरवी करयक पइहै ।

**१४७. मुख न्यायाधीश कै जिम्मेदारी :** उच्च अदालत औ बहके मातहत के अदालत वा अन्य न्यायिक निकाय के न्याय प्रशासन का प्रभावकारी बनवै कै जिम्मेदारी मुख्य न्यायाधीश कै होई । ऊ प्रयोजन के खातिर मुख न्यायाधीश भी यी संविधान तथा संघीय कानून के अधीन मा रहिके मातहत के अदालत औ न्यायिक निकाय का आवश्यक निर्देशन दै सकत है ।

**१४८. जिला अदालत :**

- (१) प्रत्येक जिला मइहा एक जिला अदालत रही ।
- (२) प्रदेश कानून अनुसार स्थापित स्थानीय स्तर कै न्यायिक निकाय जिला अदालत के मातहत मइहा रहिहै । जिला अदालत भी अपने मातहत कै न्यायिक निकायन कै निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण करयक औ आवश्यक निर्देशन दै सकत हैं ।

**१४९. जिला अदालत के न्यायाधीश कै नियुक्ती योग्यता तथा परिश्रमिक औ सेवा कै अन्य सर्त :**

- (१) जिला अदालत के न्यायाधीश कै नियुक्ती न्याय परिषद के सिपारिस से प्रधान न्यायाधीश से होई ।
- (२) जिला अदालत मइहा रिक्त न्यायाधीश कै पद नीचे लिखे अनुसार पूर्ति किया जाई ।
  - (क) रिक्त पद मइहा बीस प्रतिशत पदमा कानून से स्नातक उपाधि प्राप्त कइके न्याय सेवा के राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी के पद मइहा कम से कम ३ वर्ष काम किहे अधिकृत बीच से ज्येष्ठता योग्यता औ कार्यक्षमता के मूल्याङ्कन के आधार से,
  - (ख) रिक्त (खाली) पद मइहा चालिस प्रतिशत पद मइहा कानून से स्नातक उपाधि प्राप्त किहे न्याय सेवा के राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी के पद मइहा कम से काम तीन वर्ष काम किहे अधिकृत के बीच से खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार से,

(ग) रिक्त (खाली) पदमा बाँकी चालिस प्रतिशत पद मइहा कानून से स्नातक उपाधि प्राप्त किहे अधिवक्ता के रुप मइहा निरन्तर कम से कम आठ वर्ष वकालत किहे कानून से स्नातक उपाधि प्राप्त कइके न्याय सेवा के राजपत्रांकित पदमा कम से कम आठ वर्ष काम किहे वा कानून कै अध्यापन अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी आउर कवनो क्षेत्र मइहा कम से कम आठ वर्ष काम किहे नेपाली नागरिक के बीच से खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार से ।

(३) उपधारा (२) के खण्ड (ख) औ (ग) अनुसार योग्यता भवा व्यक्ति के बीच से संघीय कानून अनुसार न्याय सेवा आयोग ही लिखित औ मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लइके योग्यता क्रम अनुसार जिला न्यायाधीश मइहा नियुक्ति के खातिर न्याय परिषद का सिपारिस करिहै ।

(४) जिल्ला न्यायाधीश कै पारिश्रमिक औ सेवा कै अन्य सर्त संघीय कानून अनुसार होई ।

(५) जिला अदालत के न्यायाधीस का कठिनाई होयवाले स्थिती से पारिश्रमिक औ सेवा कै अन्य सर्त परिवर्तन न किया जाई । लेकिन चरम आर्थिक विश्रुंखलता के कारण संकटकाल घोषणा भवा अवस्था मा यी व्यवस्था लागू न होई ।

(६) नीचे लिखा कवनो भी अवस्था मइहा जिला अदालत के न्यायाधीश कै पद रिक्त (खाली) होई ।

(क) ऊ अपनै प्रधान न्यायाधीश के पास लिखित त्याग पत्र दिहे पर ।

(ख) उनकै उमिर त्रिसठ वर्ष पूरा भए पर ।

(ग) उनकै कार्यक्षमता कै अभाव, खराब आचरण, ईमानदारी पूर्व अपन कर्तव्य कै पालन न किहे पर बदनियत पूर्वक काम कारवाही किहे वा अपने पालन करै वाला आचार संहिता कै गम्भीर उल्लंघन किहे के आधार मइहा न्याय परिषद के सिपारिस से प्रधान न्यायाधीश के पद मुक्त किहे पर ।

(घ) ऊ शारीरिक वा मानसिक अवस्थता के कारण सेवा मा रहिके कार्य सम्पादन करै मा असमर्थ है कहिके न्याय परिषद के सिपारिस से प्रधान न्यायाधीश के द्वारा मदमुक्त किहे पर ।

(ङ) ऊ नैतिक पतन देखयवाला फौजदारी कसूर मइहा अदालत से सजाय पाए पर ।

(च) उनकै मृत्यु भए पर ।

- (७) उपधारा ६ कै खण्ड (ग) अनुसार पद मुक्त करै से पहिले आरोप लाग जिला न्यायाधीश का अपन सफाई पेश करयक मुनासिब मौका देयक परी । यी मेर कारवाई शुरु भएकै जिला न्यायाधीश भी कारवाही कै अन्तिम फैसला न भए तक अपने पद कै कार्य सम्पादन करैक न पइहै ।
- (८) पद मुक्त भवा जिला न्यायाधीश अपने पद मा रहत समय किहे कसूर मइहा संघीय कानून अनुसार कारवाई करै मा बाधा न परी ।

**१५०. जिला न्यायाधीश का अन्य कवनौ काम मइहा लगावयक न होई औ स्थान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था :**

- (१) जिला न्यायाधीश का न्यायाधीश के पद के अलावा अन्य कवनौ पद मइहा काम लगावयक अथवा काज मइहा पठवयक न मिली । लेकिन नेपाल सरकार भी न्याय परिषद से परामर्स कैके जिला न्यायाधीश का न्यायिक जाँच परताल के काम मइहा कुछ खास समय के खातिर कानून अथवा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण औ निर्वाचन सम्बन्धी काम मा लगाय सकत है ।
- (२) न्याय परिषद के सिपारिस से प्रधान न्यायाधीश ही जिला न्यायाधीश कै एक जिला अदालत से दोसर जिला अदालत मइहा स्थानन्तरण कै सकत है ।

**१५१. जिला अदालत कै अधिकार क्षेत्र :**

- (१) जिला अदालत का संघीय कानून मइहा अन्यथा व्यवस्था होय के अलावा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सम्पूर्ण मुद्दा कै शुरु कारवाही औ फैसला करयक बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा समेत कानून अनुसार देखयक अर्ध न्यायिक निकाय से भवा निर्णय फैसला के उपर कानून अनुसार पुनरावेदान सुनयाक प्रदेश कानून अनुसार गठित स्थानीय स्तर कै न्यायिक निकाय से भवा निर्णय (फैसला) के उपर पुनरावेदान सुनयक औ अपने औ अपने माताहत के अदालत कै न्याय सम्पादन के काम मा कोइ अवरोध किहे पर वा आदेश वा फैसला कै अवज्ञा किहे पर संघीय कानून अनुसार अवहेलना कै कारवाई चलाय के सजाय कै सकै कै अधिकार होई ।
- (२) जिला अदालत कै अधिकार क्षेत्र औ कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**१५२. विशिष्टीकृत अदालत :**

- (१) धारा १२७ मइहा लिखा के अलावा खास किसिम औ प्रकृत कै मुकदमा कै कारवाही औ फैसला करयक संघीय कानून अनुसार अन्य विशिष्टीकृत

अदालत न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण कै स्थापना और गठन किया जाय सकत है ।

लेकिन कवनौ खास मुकदमा के खातिर विशिष्टीकृत अदालत न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण कै गठन न किया जाई ।

- (२) एक वर्ष से जादा कैद सजाय होवाले फैजदारी कसूर सम्बन्धित मुकदमा अदालत वा विशिष्टीकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय के अलावा अन्य निकाय के अधिकार क्षेत्र मइहा न परी ।

**१५३. न्याय परिषद :**

- (१) यी संविधान अनुसार न्यायाधीश कै नियुक्ती स्थानन्तरण, अनुसासन सम्बन्धी कारवाई बर्खासी औ न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषय कै सिपारिस करयक वा परामर्श देयक एक न्याय परिषद रही जिमा निचे लिखे यहि मेर अध्यक्ष औ सदस्य रहिहै :-
- (क) प्रधान न्यायाधीश - अध्यक्ष  
(ख) संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री - सदस्य  
(ग) सर्वोच्च अदालत कै वरिष्ठतम न्यायाधीश १ जना - सदस्य  
(घ) राष्ट्रपति से प्रधानमन्त्री के सिपारिस से नियुक्त कानून विद - सदस्य  
(ङ) नेपाल वार एसोसिएसन के सिपारिस से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कम से कम बीस वर्ष अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता - सदस्य
- (२) उपधारा (१) के खण्ड (घ) औ (ङ) मुताबिक सदस्य कै पदावधी चार वर्ष कै होई औ उनकै पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के समान होई ।
- (३) उपधारा (१) कै खण्ड (घ) औ (ङ) अनुसार कै सदस्य सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश के समान आधार मइहा आधार पर तरीका से पद मुक्त होइहै ।
- (४) न्याय परिषद कै अध्यक्ष तथा सदस्य भी कोई न्यायाधीश के सम्बन्धमा आवा उजूरी से सम्बन्धी मुद्दा कै अध्यक्षता कइके न्याय परिषद मा वह कै प्रतिवेदन दै सकत है ।
- (५) कोई न्यायाधीश के विषय मा आवा उजूर के सम्बन्ध मइहा प्रारम्भिक जाँच परताल करावत से विशेषज्ञ से विस्तृत जाँच परताल करावै के परी लागेपर न्याय परिषद ही जाँच परताल समिति गठन कै सकत है ।
- (६) यी संविधान अनुसार महाभियोग के कारवाई से पदमुक्त होय सकै वाले न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार कइके

अधिकार कै दुरुपयोग किहे पर न्याय परिषद से अनुसन्धान कइके कानून अनुसार मुद्दा चलाय सकत है ।

- (७) न्याय परिषद का यी संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालत कै प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश उच्च अदालत कै मुख्य न्यायाधीश औ न्यायाधीश के पद मइहा नियुक्त होय कै योग्यता पहुँचै वाले ब्यक्तिन कै अधावधिक अभिलेख तयार करयक परी ।
- (८) न्याय परिषद कै अन्य कामक कर्तव्य औ अधिकार संघीय कानून अनुसार होई ।

**१५४. न्याय सेवा अयोग :**

- (१) नेपाल सरकार ही कानून अनुसार संघीय न्याय सेवा कै राजपत्रांकित पद मइहा नियुक्ती, स्थानान्तरण, पदोन्नती करत मा अथवा वस पद मा कार्यरत रहा कोई कर्मचारी का विभागीय सजाय देत के न्याय सेवा आयोग कै सिपारिस अनुसार करिहै ।

लेकिन संघीय सरकारी सेवा मा कार्यरत न रहा ब्यक्ति का संघीय न्याय सेवा के राजपत्रांकित पद मइहा नवा भर्ति से स्थायी नियुक्ती करत वा संघीय न्याय सेवा के राज पत्रांकित पद से वही सेवा के राजपत्रांकित पद मइहा पदोन्नती करत नेपाल सरकार का भी लोक सेवा आयोग के सिपारिस अनुसार करयक परी ।

**स्पष्टीकरण :** यी धारा के प्रयोजन के खातिर संघीय न्याय सेवा कै राजपत्रांकित पद मइहा नियुक्ती करत के लेयवाला खुला औ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग ही लेई ।

- (२) न्याय सेवा आयोग मा निचे लिखा अनुसार अध्यक्ष औ सदस्य रहि है :
- |  |           |
|--|-----------|
| (क) प्रधान न्यायाधीस                     | - अध्यक्ष |
| (ख) संघीय कानून तथा न्यायमन्त्री         | - सदस्य   |
| (ग) सर्वोच्च अदालत कै वरिष्ठतम न्यायाधीस | - सदस्य   |
| (घ) लोक सेवा आयोग कै अध्यक्ष             | - सदस्य   |
| (ङ) महान्यायाधिवक्ता                     | - सदस्य   |
- (३) न्याय सेवा आयोग कै अन्य काम कर्तव्य अधिकार संघीय कानून अनुसार होई ।

**१५५. सेवा कै सर्त सुविधा सम्बन्धी ब्यवस्था :** संघीय न्याय सेवा के कर्मचारिन कै पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवा कै सर्त सम्बन्धी ब्यवस्था संघीय ऐन (कानून) अनुसार होई ।

**१५६. प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी ब्यवस्था :** प्रदेश न्याय सेवा आयोग कै गठन औ प्रदेश न्याय सेवा कै कर्मचारिन कै पारिश्रमिक सुविधा औ सेवा कै सर्त सम्बन्धी ब्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**१५७. महान्यायाधिवक्ता :**

- (१) नेपाल मइहा एक महान्यायाधिवक्ता रहि है ।
- (२) राष्ट्रपति ही प्रधानमन्त्री के सिपारिस पर महान्यायाधिवक्ता कै नियुक्त करि है । प्रधानमन्त्री के इच्छा अनुसार के अवधि तक महान्यायाधिवक्ता अपने पद पर कायम रहिहै ।
- (३) सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधीश होयवाला योग्यता भवा ब्यक्ति महान्यायाधिवक्ता के पद मइहा नियुक्ती के खातिर योग्य होई ।
- (४) निचे लिखा कवनौ अवस्था मा महान्यायाधिवक्ता कै पद रिक्त (खाली) होई ।
- (क) ऊ अपनै प्रधानमन्त्री के मार्फत राष्ट्रपति का लिखित त्याग पत्र दिहे पर ।
- (ख) उनका प्रधानमन्त्री के सिपारिस पर राष्ट्रपति से पद मुक्त किहे पर ।
- (ग) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (५) महान्यायाधिवक्ता कै पारिश्रमिक औ अन्य सुविधा सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधीस के अनुसार होई । महान्यायाधिवक्ता के सेवा कै अन्य सर्त कानून अनुसार होई ।

**१५८. महान्यायाधिवक्ता कै काम कर्तव्य औ अधिकार :**

- (१) महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकार कै मुख्य कानूनी सल्लाहकार होई । सवैधानिक औ कानूनी विषयमा नेपाल सरकार औ नेपाल सरकार ही निश्चित किहे अन्य अधिकारी का राय सल्लाह देयक महान्यायाधिवक्ता कै कर्तव्य होई ।
- (२) नेपाल सरकार कै हकहित वा सरोकार नीहित रहा मुद्दा मा महान्यायाधिवक्ता अथवा उनके मातहत कै सरकारी वकील, से नेपाल सरकार कै प्रतिनिधित्व करिहै । यी संविधान मइहा अन्यथा ब्यवस्था भवा के अलावा कोई अदालत वा न्यायिक वा अधिकारी के सामने नेपाल सरकार के तर्फ से मुद्दा चलावै के वा न चलावै के वा यी सब कै अन्तिम निर्णय करयक अकार महान्यायाधिवक्ता का होई ।
- (३) नेपाल सरकार के तर्फ से दायर किया मुद्दा वापस लेत मा महान्यायाधिवक्ता कै राय लेयक परी ।

- (४) महान्यायाधिवक्ता भी संघीय संसद वा वहकै कोई समिति के किहे आमन्त्रण अनुसार वस बैठक मा उपस्थित होय के कानूनी प्रश्न के सम्बन्ध मइहा राय व्यक्त कै सकत है ।
- (५) अपने पदीय कर्तव्य कै पालन करत मा महान्यायाधिवक्ता का नेपाल कै हरेक अदालत, कार्यालय, पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होयक अधिकार होई ।
- (६) उपधारा (२) के अतिरिक्त मान्यायाधिवक्ता का अपने कर्तव्य पालन करतमा नीचे लिखा काम करयक अधिकार होई ।
- (क) नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी होइके के दायर भवा मुद्दा मामिला मा नेपाल सरकार के तरफ से प्रतिरक्षा करयक ।
- (ख) मुद्दा मामिला रोह मइहा सर्वोच्च अदालत से किया कानून कै व्याख्या अथवा प्रतिपादन किया कानूनी सिद्धान्त कै कार्यान्वयन भवा न भवा कै अनुगमन करै का वा करावै का ।
- (ग) हिरासतमा रहा व्यक्ति का भी संविधान के अधीनमा रहिके मानवोचित व्यवहार न किया गवा वा वस व्यक्ति का अपनेन से वा कानून व्यवसायी के मार्फत भेट मुलाकात करयक न दिया गवा कै उजुर भए पर वा जानकारी मा आए पर छानवीन कइके वस होयसे रोके का सम्बन्धित अधिकारी का आवश्यक निर्देशन देयक ।
- (७) महान्यायाधिवक्ता यहि यी धारा अनुसार अपन काम कर्तव्य औ अधिकार का निश्चित किए सर्त के भीतर रहिके प्रयोग औ पालन करै के खातिर मातहत कै सरकारी वकील का प्रत्यायोजन कै सकत है ।
- (८) यी धारा मा लिखा काम, कर्तव्य औ अधिकार के अतिरिक्त महा न्यायाधिवक्ता कै अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार यी संविधान औ संघीय कानून अनुसार होई ।

#### १५९. वार्षिक प्रतिवेदन :

- (१) महान्यायाधिवक्ता प्रत्येक वर्ष यी संविधान औ संघीय कानून अनुसार अपने से सम्पादन किया काम कै वार्षिक प्रतिवेदन तयार कइके राष्ट्रपति के समक्ष पेश करिहै, औ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के मार्फत वस प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश करयक लगइहै ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार पेश करै वाला प्रतिवेदन मइहा अन्य विषय के अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता से वर्ष भर मे संवैधानिक एवं कानूनी विषय मैहा दिया राय सल्लाह कै संक्षिप्त विवरण सहित कै सङ्ख्या,

नेपाल सरकारवादी वा प्रतिवादी होईके दायर भवा मुद्दा सम्बन्धित विवरण, के दायर भवा मुद्दा मामिला कै प्रतिरक्षा किहे कै विवरण, नेपाल सरकार वादी होयके चलै वाले मुद्दा मइहा भविष्य मा करयक सुधार औ अपराध कै प्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण उल्लेख करै के परी ।

#### १६०. मुख्य न्यायाधिवक्ता :

- (१) महान्यायाधिवक्ता के मातहत मा प्रत्येक प्रदेश मा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहिहै ।
- (२) मुख्य न्यायाधिवक्ता कै नियुक्ती, सम्बन्धित मुख्यमन्त्री के सिफारिस से प्रदेश प्रमुख से होई । मुख्यमन्त्री के इच्छानुसार अवाधि तक मुख्य न्यायाधिवक्ता अपने पद पर कायम रहिहै ।
- (३) उच्च अदालत के न्यायाधीश कै होयवाले योग्यता भवा व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ता के पदमा नियुक्ती के खातिर योग्य होइहै ।
- (४) नीचे लिखा कोई अवस्था मा मुख्य न्यायाधिवक्ता कै पद रिक्त (खाली) होई
- (क) ऊ अपनै मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश प्रमुख के पास लिखित त्याग पत्र दिहे पर ।
- (ख) उनका मुख्यमन्त्री के सिफारिस से प्रदेश प्रमुख पद मुक्त किहे पर ।
- (ग) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (५) मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकार कै मुख्य कानूनी सल्लाहकार होई । संवैधानिक, औ कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकार निर्णय किहे अन्य अधिकारी का रायसल्लाह देयक मुख्य न्यायाधिवक्ता कै कर्तव्य होई ।
- (६) मुख्य न्यायाधिवक्ता कै कार्यालय अन्तर्गत कै कर्मचारिन कै व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ता कै कार्यालय करी ।
- (७) मुख्य न्यायाधिवक्ता कै पारिश्रमिक औ अन्य सुविधा उच्च अदालत के न्यायाधीश के बराबर होई । मुख्य न्यायाधिवक्ता कै काम कर्तव्य औ अधिकार तथा सेवा कै अउर सर्त प्रदेश कानून अनुसार होई ।

१६१. सेवा कै सर्त औ सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ता के मातहत मा रहै वाले अन्य कर्मचारिन के पारिश्रमिक, सुविधा औ सेवा के सर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन (कानून) अनुसार होई ।

**भाग-१३**  
**प्रदेश कार्यपालिका**

**१६२. प्रदेश कै कार्यकारीणी अधिकार :**

- (१) यी संविधान औ प्रदेश कानून अनुसार मन्त्री परिषद मा नीहित रही । लेकिन संघीय सासन लागू भए के कारण से प्रदेश कार्यकारीणी कायम न रहे पर नेपाल सरकार के निर्देशन अनुसार प्रदेश प्रमुख ही प्रदेश कै कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग करिहै ।
- (२) यी संविधान औ अन्य कानून के अधीन मा रहिके प्रदेश कै शासन व्यवस्था केर सामान्य निर्देशन नियन्त्रण औ संचालन केर कै अभिभारा प्रदेश मन्त्री परिषद मा रही ।
- (३) प्रदेश कै कार्यकारीणी कार्य सब प्रदेश सरकार के नाम मा होइहै ।
- (४) यी संविधान के अधीन मा रहिके प्रदेश कै कार्य कारिणी अधिकार अनुसूची-६, अनुसूची-७ औ अनुसूची-९ अनुसार कै सुचिमा उल्लेख भवा मुताविक होइहै ।  
लेकिन संघ औ प्रदेश कै साभा अधिकार के विषय के सम्बन्ध मइहा यी संविधान औ संघीय कानून मा स्पष्ट उल्लेख भवा के अलावा प्रदेश मन्त्री परिषद भी कार्यकारीणी अधिकार कै प्रयोग करत मा नेपाल सरकार से समन्वय कइके करै करै के परी ।
- (५) उपधारा (३) मुताविक प्रदेश सरकार के नाममा होयवाला निर्णय वा आदेश औ तदसम्बन्धी अधिकार पत्र कै प्रमाणिकरण प्रदेश कानून मुताविक होइहै ।

**१६३. प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था :**

- (१) प्रत्येक प्रदेश मइहा नेपाल सरकार कै प्रतिनिधि के रूप मा प्रदेश प्रमुख रहिहै ।
- (२) राष्ट्रपति प्रत्येक प्रदेश के खातिर एक प्रदेश प्रमुख नियुक्त करिहै ।
- (३) राष्ट्रपति के द्वारा पदावधि समाप्त होय से पहिले उनका पद मुक्त किके के अलावा प्रदेश प्रमुख कै पदावधि पाँच वर्ष कै होई ।
- (४) व्यक्ति एक बार से ज्यादा एकै प्रदेश मइहा प्रदेश प्रमुख होयक न पाइहै ।

**१६४. प्रदेश प्रमुख कै योग्यता :** नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति प्रदेश प्रमुख होय के खातिर योग्य होइ है ।

- (क) संघीय संसद कै सदस्य होय के योग्य भवा ।

(ख) पैतिस वर्ष उमर पूरा भवा ।

(ग) कोई कानून से अयोग्य न भवा ।

**१६५. प्रदेश प्रमुख के पद रिक्त (खाली) होयक अवस्था :**

- (१) नीचे लिख कोई अवस्था मइहा प्रदेश प्रमुख कै पद रिक्त (खाली) होई ।
  - (क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के पास लिखित त्याग पत्र दिहे पर ।
  - (ख) उनकै पदावधि समाप्त भए पर वा राष्ट्रपति उनका पद मुक्त किके पर ।
  - (ग) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (२) कोई प्रदेश कै प्रदेश प्रमुख कै पद रिक्त (खाली) होय के अवस्था मा प्रदेश प्रमुख के नियुक्ती न भए तक के खातिर राष्ट्रपति ही दोसर कवनौ प्रदेश प्रमुखका ऊ प्रदेश केर समेत कामकाज करै के लिए निश्चित कै सकत है ।

**१६६. प्रदेश प्रमुख कै काम कर्तव्य औ अधिकार :**

- (१) प्रदेश प्रमुख यहि संविधान औ कानून अनुसार उनका प्राप्त अधिकार कै प्रयोग औ कर्तव्य कै पालना करिहै ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार अधिकार कै प्रयोग करत के अथवा कर्तव्य कै पालन करत मा यी संविधान वा कानून अनुसार कोई निकाय मा पदाधिकारी कै सिपारिस करयक कहिके निश्चित व्यवस्था भवा काम के अलावा प्रदेश प्रमुख से सम्पादन होयवाला जवन भी काम प्रदेश मन्त्री परिषद के सहमती औ सम्मति से होई । अस सिपारिस वा सहमती मुख्य मन्त्री के मार्फत पेश होई ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार प्रदेश प्रमुख के नाम से होयवाला निर्णय वा आदेश औ वह सम्बन्धी अधिकार पत्र कै प्रमाणीकरण प्रदेश कानून अनुसार होई ।

**१६७. प्रदेश प्रमुख कै शपथ :** प्रदेश प्रमुख का आपन कार्यभार शुरू करै से पहिले संघीय कानून अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद औ गोपनीयता कै शपथ लेयक परी ।

**१६८. प्रदेश मन्त्री परिषद कै गठन :**

- (१) प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभा मइहा बहुमत प्राप्त संसदीय दल के नेता का मुख्य मन्त्री नियुक्त करिहै औ उनही के अध्यक्षता मइहा प्रदेश मन्त्री परिषद कै गठन होई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार प्रदेश सभा मा कवनौ भी दल कै स्पष्ट बहुमत नरहै के अवस्था मा प्रदेश सभा मा प्रतिनिधित्व करै वाला दुई वा दुई

से ज्यादा दल के समर्थन से बहुमत प्राप्त कै सकै वाले प्रदेश सभा सदस्य का प्रदेश प्रमुख मुख्य मन्त्री नियुक्त करिहै ।

- (३) प्रदेश सभा के निर्वाचन कै अन्तिम परिणाम घोषणा होय के मिति से ३० दिन के भीतर उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त होयक अवस्था न भएपर अथवा न भएपर अथवा वस नियुक्त मुख्यमन्त्रियौ भी धारा (४) अनुसार विश्वास कै मत प्राप्त न कइ पाये पर प्रदेश प्रमुख प्रदेश सभा मा सबसे ज्यादा सदस्य होय वाले संसदीय दल के नेता का मुख्यमन्त्री नियुक्त करिहै ।
- (४) उपधारा (२) औ (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री का नियुक्त होय के तीस दिन के भीतर प्रदेश सभा से विश्वास कै मत प्राप्त करै के परी ।
- (५) उपधारा (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भी उपधारा (४) अनुसार विश्वास कै मत प्राप्त नकइ पाये पर उपधारा (२) अनुसार कोई भि सदस्य, प्रदेश प्रमुख सभा मइहा विश्वास कै मत प्राप्त कै सकै के अवस्था भएपर प्रदेश प्रमुख वस सदस्य का मुख्यमन्त्री नियुक्त करिहै ।
- (६) उपधारा (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री का उपधारा (४) अनुसार विश्वास कै मत प्राप्त परी ।
- (७) उपधारा (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भी विश्वास कै मत प्राप्त न कइ पाये पर वा मुख्यमन्त्री नियुक्त नहोय सके पर मुख्यमन्त्री के सिफारिस से प्रदेश प्रमुख ही प्रदेश सभा का विघटन कइके ६ महिना के भीतर दोसर प्रदेश सभा के सम्पन्न करै के लिए मिति निश्चित करिहै ।
- (८) यी संविधान अनुसार भवा प्रदेश सभा कै निर्वाचन कै अन्तिम परिणाम घोषणा भवा प्रदेश कै अथवा मुख्यमन्त्री कै पद रिक्त (खाली) भवा कै मिति से पैतालिस दिन के भीतर यी धारा अनुसार मुख्यमन्त्री कै नियुक्ती सम्बन्धी प्रकृया सम्पन्न करै के परी ।
- (९) प्रदेश प्रमुख भी मुख्यमन्त्री के सिफारिस से प्रदेश सभा कै सदस्य मध्ये से समावेसी सिद्धान्त के अनुसार मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभा के कुल सदस्य संख्या कै बीस प्रतिशत से ज्यादा न होयके हिसाब से प्रदेश मन्त्री परिषद गठन करिहै ।

**स्पष्टीकरण :** यी भाग के प्रयोजन के खातिर मन्त्री माने मन्त्री, राज्य मन्त्री औ सहायक मन्त्री का जानैक चाही ।

- (१०) मुख्यमन्त्री औ मन्त्री सामुहिक रूप से प्रदेश सभा के प्रति उत्तरदायी होइहै औ मन्त्री अपने मन्त्रालय के काम के खातिर व्यक्तिगत रूप से मुख्यमन्त्री औ प्रदेश सभा के प्रति उत्तरदायी रहिहै ।

### १६९. मुख्यमन्त्री औ मन्त्री कै पद रिक्त (खाली) होयक अवस्था :

- (१) निचे लिखे कोई अवस्था मा मुख्यमन्त्री के पद खाली होई:-
  - (क) ऊ अपनै प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
  - (ख) धारा (१८८) अनुसार विश्वास कै मत पारित न होय सके पर वा उनके विरुद्ध अविश्वास कै प्रस्ताव पारित भए पर,
  - (ग) ऊ प्रदेश सभा कै सदस्य नरहे पर,
  - (घ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (२) निचे लिखा कवनौ अवस्था मा मन्त्री पद रिक्त खाली होई:-
  - (क) ऊ अपनै मुख्यमन्त्री समक्ष लिखित त्यागपत्र दिहे पर,
  - (ख) मुख्यमन्त्री ही उनका पद मुक्त किहे पर,
  - (ग) उपधारा (१) कै खण्ड (क) (ख) औ (ग) अनुसार मुख्यमन्त्री कै पद रिक्त (खाली) भए पर,
  - (घ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (३) उपधारा (१) अनुसार मुख्यमन्त्री कै पद रिक्त (खाली) भए पर भी दोसर प्रदेश मन्त्री परिषद गठन न भएतक वही पुरान मन्त्री परिषद ही कार्य सञ्चालन करी ।  
लेकिन मुख्यमन्त्री कै मृत्यु भएपर दोसर मुख्यमन्त्री नियुक्त न भएतक वरिष्ठतम मन्त्री मुख्यमन्त्री के रूप से कार्य सञ्चालन करिहै ।

### १७०. प्रदेश सभा के सदस्य न भवा व्यक्ति भी मंत्री होइ सकैक :

- (१) धारा १६८ कै उपधारा ९ मैहा जो कुछ लिखा होय पर भी प्रदेश प्रमुख ही मुख्यमन्त्री के सिफारिस पर प्रदेश सभा कै सदस्य न भवा कोई व्यक्ति का मन्त्री पद मैहा नियुक्त कै सकत है ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार नियुक्त मन्त्री का शपथ प्रहण किहे मितिसे ६ महिना के भीतर प्रदेश सभा कै सदस्यता प्राप्त करै के परी ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार कै अवधि के भीतर प्रदेश सभा कै सदस्यता प्राप्त न कै सके पर तत्काल कायम रहा प्रदेश सभा के कार्यकाल तक ऊ मन्त्री पद मइहा पुनः नियुक्ती के खातिर योग्य न होइहै ।
- (४) उपधारा (१) मइहा चाहे जवन लिखा होय पर भी तत्काल कायम रहा प्रदेश सभा के निर्वाचन मा पराजित भवा व्यक्ति ऊ प्रदेश सभा के कार्य काल तक उपधारा (१) अनुसार मन्त्री पद मइहा नियुक्ती के खातिर योग्य न होइहै ।

१७१. मुख्यमन्त्री औ मन्त्री कै परिश्रमिक तथा अन्य सुविधा : मुख्यमन्त्री औ मन्त्री कै पारिश्रमिक औ अन्य सुविधा प्रदेश ऐन (कानून) अनुसार होई । अस ऐन (कानून) न वने तक प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार होई ।

१७२. **शपथ :** मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रमुख के समक्ष और राज्य मंत्री और सहायक मंत्री का, मुख्यमंत्री के समक्ष आपन कार्य भार ग्रहण करैसे पहिले प्रदेश कानून अनुसार पद तथा गोपनीयता कै शपथ लेयूक परी ।

१७३. **प्रदेश प्रमुख का जानकारी देयक :** मुख्यमंत्री नीचे लिखा विषय के बारे मा प्रदेश प्रमुख का जानकारी देहै:-

- (क) प्रदेश मंत्री परिषद कै निर्णय,
- (ख) प्रदेश सभा मा पेश होय वाला विधेयक,
- (ग) खण्ड (क) और (ख) मइहा उल्लेखित विषय मा प्रदेश प्रमुख जानकारी मागे कै अन्य आवश्यक विवरण,
- (घ) प्रदेश कै समसामयिक परिस्थिती ।

१७४. **प्रदेश सरकार कै कार्य संचालन :**

- (१) प्रदेश सरकार से स्वीकृत नियमावली अनुसार प्रदेश सरकार कै कार्य विभाजन और कार्य सम्पादन होई ।
- (२) उपधारा (१) अर्न्तगत के नियमावली के पालन भवा नाई भवा वाले प्रश्न का अदालत मा उठावै के न मिली ।

## भाग-१४

### प्रदेश व्यवस्थापिका

१७५. **प्रदेश व्यवस्थापिका :** प्रदेश कै व्यवस्थापिका एक सदनात्मक होई, जिका प्रदेश सभा कहिहै ।

१७६. **प्रदेश सभा कै गठन :**

- (१) प्रत्येक प्रदेश सभा मइहा नीचे लिखे अनुसार कै संख्यामा सदस्य रहि है ।
  - (क) सम्बन्धित प्रदेश से प्रतिनिधि सभा मा पहिले होय वाला निर्वाचित होयूक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित भए सदस्य संख्या कै दूना सङ्ख्या मा होय वाले सदस्य,
  - (ख) खण्ड (क) अनुसार कायम भए सदस्य संख्या का साठ प्रतिशत मान के बाँकी चालिस प्रतिशत मइहा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली से निर्वाचित होय वाले सदस्य ।
- (२) उपधारा १ कै खण्ड (क) अनुसार सदस्य निर्वाचन कै खातिर भूगोल और जनसंख्या के आधार मा संघीय कानून अनुसार निर्वाचन क्षेत्र कायम क्रिया जाई ।
- (३) प्रदेश सभा कै साठ प्रतिशत सदस्य पहिले होय वाले निर्वाचित होय कै निर्वाचन प्रणाली अनुसार और चालिस प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित होइहै ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार होयवाला प्रदेश सभा सदस्य कै निर्वाचन कानून अनुसार वालिग मताधिकार के आधार से गोप्य मतदान द्वारा होई ।
- (५) अठारह वर्ष उमेर पूरा भवा प्रदेश के क्षेत्र के भीतर बसोबास करै वाला प्रत्येक नेपाली नागरिक का कानून अनुसार कवनौ एक निर्वाचन क्षेत्र मइहा मतदान करै कै अधिकार होई ।
- (६) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार होयावाला प्रदेश सभा कै निर्वाचन के खातिर राजनैतिक दल भी उम्मेदवारी देत के जनसङ्ख्या के आधार से महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खास आर्य, मधेसी, थारु मुस्लिम, पिछडा क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेत से बन्दसूची के आधार मा प्रतिनिधित्व होयूक व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई । वहि मेर से उम्मेदवारी देत मा सम्बन्धित प्रदेश कै भौगोलिक सन्तुलन का समेत ध्यान देयूक परी ।

**स्पष्टीकरण :** यी भाग के प्रयोजन के खातिर खस आर्य माने, क्षेत्री, ब्रहमण, ठकुरी, सन्यासी (दशनमी) समुदाय का समभै के परी ।

- (७) उपधारा (६) अनुसार राजनैतिक दल से उम्मेदवारी देत समय अपाङ्गता भवा व्यक्ति कै समेत प्रतिनिधित्व होयक व्यवस्था करयक परी ।
- (८) प्रदेश सभा कै कार्यकाल ६ महिना से ज्यादा समय बाँकी रहतै कोई सदस्य कै स्थान रिक्त (खाली) भए पर वस स्थान जवने निर्वाचन प्रणाली से पूर्ति भवा रहा वही प्रकृया से पूर्ति किया जाई ।
- (९) यी धारा मइहा औ जगह महिया जो भी लिखा होय के बाबजूद भी प्रदेश सभा मा प्रतिनिधित्व करैवाले प्रत्येक राजनैतिक दल से निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्या से कम से कम एक तिहाई सदस्य महिला होयक परी । यी मेर निर्वाचित करत मा उपधारा (९) कै खण्ड (क) अनुसार निर्वाचित सदस्य न मइहा कोई राजनैतिक दल कै एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित न भए पर वस राजनैतिक दल का वही उपधारा कै खण्ड (ख) अनुसार सदस्य निर्वाचित करत मा अपने दल से प्रदेश सभा मइहा निर्वाचित होय वाला कुल सदस्य कै कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य के हिसाब से निर्वाचित करै के परी ।
- (१०) प्रदेश सभा कै सदस्य के खातिर होय वाला निर्वाचन मा मतदान करयक अधिकार पाए धारा १७८ अनुसार योग्यता भवा कोई भी व्यक्ति कानून के दायरा मा रहि के प्रदेश के कवनौ भी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मेदवार होय सकत है ।
- लेकिन यकै व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र मा यकै बार उम्मेदवार होयक न पइहै ।
- (११) प्रदेश सभा कै निर्वाचन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून के अनुसार होई ।

#### १७७. प्रदेश सभा कै कार्यकाल :

- (१) यी संविधान अनुसार पहिले विघटन भवा के अलावा प्रदेश सभा कै कार्यकाल पाँच वर्ष कै होई ।
- (२) उपधारा (१) मा जो भी लिखा होय पर भी सम्बन्धित प्रदेश मइहा संकटकालीन अवस्था केर घोषणा या आदेश लागू रहा अवस्था मा प्रदेश ऐन (कानून) अनुसार प्रदेश सभा कै कार्यकाल एक वर्ष से ज्यादा नबढैक के अनुसार बढ़ावा जाय सकत है ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार बढ़ावा गवा प्रदेश सभा कै कार्यकाल सम्बन्धित प्रदेश मइहा संकटकालीन अवस्था वा आदेश खारिज होय के मितिसे ६ महिना होय के बाद अपनै समाप्त होई ।

#### १७८. प्रदेश सभा के सदस्य के खातिर योग्यता :

- (१) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति प्रदेश सभा के सदस्य होयक योग्य होइहै:-
- (क) नेपाली नागरिक,
- (ख) सम्बन्धित प्रदेश कै मतदाता होय पर,
- (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भवा,
- (घ) नैतिक पतन देखाय वाला फौजदारी कसूर मइहा सजाय न पावा
- (ङ) कोई कानून से अयोग्य न भवा,
- (च) कोई लाभ के पद पर कार्यरत न रहा ।
- स्पष्टीकरण :** यी खण्ड के प्रयोजन खातिर “लाभ कै पद” माने निर्वाचन या मनोनयन के द्वारा पूर्ति होय वाला राजनीतिक पद वाहेक सरकारी कोष से पारिश्रमिक या आर्थिक सुविधा पावै वाला आउर पद समझा जाई ।
- (२) निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ती होय वाले पदमा कार्यरत रहा व्यक्ति यी भाग अनुसार प्रदेश सभा के सदस्य पद मइहा निर्वाचित भएपर वस पद कै शपथ लेय के दिन से उनकै पुरान पद स्वतः रिक्त (खाली) होई ।

**१७९. प्रदेश सभा के सदस्य कै शपथ :** प्रदेश सभा कै सदस्य लोग न का प्रदेश सभा अथवा व कै कवनौ समिति कै बैठक मा पहिली बार भाग लेय से पहिले प्रदेश कानून अनुसार शपथ लेयक परी ।

**१८०. प्रदेश सभा सदस्य कै स्थान रिक्त (खाली) होई :** नीचे लिखा कोई भी अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्य कै स्थान रिक्त खाली होई:-

- (क) ऊ अपनै प्रदेश सभा के सभामुख का लिखित त्याग पर दिहे पर,
- (ख) उनकै धारा १७८ अनुसार योग्यता नभए पर वा न रहे पर,
- (ग) प्रदेश सभा कै कार्यकाल समाप्त भए पर वा विघटन भए पर,
- (घ) ऊ प्रदेश सभा का सूचना न दइके लगातार १० बैठक मा अनुपस्थित रहे पर,
- (ङ) जवन दल कै उम्मेदवार होइके सदस्य निर्वाचित भए रहे, वही दल संघीय कानून अनुसार ऊ दल त्याग किहे कै खबर सूचित किहे पर,
- (च) उनकै मृत्यु भए पर ।

**१८१. प्रदेश सभा सदस्य कै अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय :** प्रदेश सभा कै कोई सदस्य धारा १७८ अनुसार अयोग्य है वा होई गवा है कै प्रश्न खडा भए पर वहकै निर्णय सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास ही करी ।

#### १८२. प्रदेश सभा कै सभामुख औ उप सभामुख :

- (१) प्रदेश सभा कै पहिला बैठक शुरु भवा के मिति से पन्द्रह दिन के भीतर प्रदेश सभा के सदस्य लोग अपने बीच मे से प्रदेश सभामुख औ प्रदेश उप सभा मुख कै निर्वाचन (चुनाव) करिहै ।

(२) उपधारा (१) अनुसार निर्वाचन (चुनाव) करत मा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख मा एक जना महिला होयके हिसाब से करयूक परी औ प्रदेश सभा मुख वा प्रदेश उपसभामुख का फरक फरक दल कै प्रतिनिधि होयूक परी

लेकिन प्रदेश सभा मइहा एक से ज्यादा दल कै प्रतिनिधित्व न भवा अथवा प्रतिनिधि कोइकै भी उम्मेदवारी न दिहे के अवस्था मइहा यकै दल के सदस्य प्रदेश सभा मुख औ प्रदेश उप सभामुख होय मा वाधा न परी ।

(३) प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुख कै पद रिक्त (खाली) भए पर प्रदेश सभा कै सदस्य लोग अपने बीच मे से निर्वाचन (चुनाव) कइके प्रदेश सभा मुख वा प्रदेश उपसभामुख कै पदपूर्ति करिहै ।

(४) प्रदेश सभामुख के अनुपस्थिति मा प्रदेश उपसभामुखै प्रदेश सभा कै अध्यक्षता करिहै ।

(५) प्रदेश सभामुख औ प्रदेश उपसभामुख कै निर्वाचन न भवा वा दूनौ पद रिक्त भए के अवस्था मा प्रदेश सभा के बैठक कै अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमिर के हिसाब से जेष्ठ सदस्य करिहै ।

(६) नीचे लिखा कोई भी अवस्था मइहा प्रदेश सभामुख औ प्रदेश उपसभामुख कै पद रिक्त (खाली) होई :-

(क) ऊ अपनै प्रदेश सभा कै सदस्य नरहे पर,

लेकिन प्रदेश सभा विघाटन भवो अवस्था मइहा अपने पद पर कार्यरत रहे प्रदेश सभामुख औ प्रदेश सभा मुख उप प्रदेश सभा के होय वाला दूसर निर्वाचन कै उम्मेदवारी देय के एक दिन पहिले के दिन तक अपने पद मा कायम रहिहै ।

(ख) ऊ अपनै त्याग पत्र दिहे पर,

(ग) ऊ अपने पद के अनुसार आचरण न किहे कै प्रस्ताव प्रदेश सभा मा ततकाल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य के दुई तिहाई बहुमत से पारित भए पर ।

(७) प्रदेश सभा मुख पद के अनुकूल आचरण न किहे कै कहा प्रस्ताव के उपर विचार विमर्स (छलफल) होय वाले बैठक कै अध्यक्षता उपसभामुख ही करिहै । अस प्रस्ताव के छलफल (विचार विमर्स) मा प्रदेश सभा मुख भी भाग लेयूक औ मत देयूक पइहै ।

### १८३. प्रदेश सभा कै अधिवेशन कै आक्लान औ अन्त :

(१) प्रदेश प्रमुख ही प्रदेश सभा के खातिर भवा निर्वाचन (चुनाव) कै अन्तिम परिणाम घोषणा भवा मिति से वीस दिन के भीतर प्रदेश सभा

कै अधिवेशन आहवान करिहै । ऊ के बाद यी संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुख समय समय मे अन्य अधिवेशन आहवान करिहै ।

लेकिन एक अधिवेशन कै समाप्ती औ दोसर अधिवेशन के प्रारम्भ के बीच कै अवधि ६ महिना से ज्यादा न होई ।

(२) प्रदेश प्रमुख ही प्रदेश सभा के अधिवेशन कै अन्त कै सकत है ।

(३) प्रदेश प्रमुख ही प्रदेश सभा कै अधिवेशन चालू न रहा अथवा बैठक स्थगित भवा के अवस्था मा अधिवेशन वा बैठक बोलवै के आवश्यक है कहिके प्रदेश सभा कै सम्पूर्ण सदस्य संख्या कै एक चौथाई सदस्य लोग लिखित अनुरोध किहे पर वस अधिवेशन वा बैठक कै मिति औ स्थान कै निर्णय करिहै । यी मेर निर्णय हिके मिति समय मइहा प्रदेश सभा कै अधिवेशन प्रारम्भ होई वा बैठक बइठी ।

### १८४. प्रदेश प्रमुख से सम्बोधन :

(१) प्रदेश प्रमुख ही प्रदेश सभा के बैठक का सम्बोधन करयूक औ वहेके खातिर सदस्यन कै उपस्थिति केर आहवान कै सकत है ।

(२) प्रदेश प्रमुख ही प्रदेश सभा के खातिर भवा निर्वाचन (चुनाव) बाद के पहिला अधिवेशन औ प्रत्येक वर्ष कै पहिला अधिवेशन कै प्रारम्भ भए पर प्रदेश सभा के बैठक का सम्बोधन करिहै ।

१८५. प्रदेश सभा कै गणपूरक संख्या : यी संविधान मा अन्यथा लिखा होयूक अलावा प्रदेश सभा के बैठक मा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या केर एक चौथाई सदस्य उपस्थित न भए तक कोई प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णय के खातिर प्रस्तुत न किया जाई ।

१८६. प्रदेश सभामा मतदान : प्रदेश सभा मा निर्णय के खातिर प्रस्तुत किया गवा जवन भी प्रस्ताव कै निर्णय उपस्थित होय के मतदान करैवाले सदस्यन के बहुमत से होई । अध्यक्षता करै वाले व्यक्ति का मत देयूक अधिकार न होई । लेकिन मत बराबर भए पर अध्यक्षता करै वाला व्यक्ति अपन निर्णायक मत दै सकत है ।

### १८७. प्रदेश सभा कै विशेषाधिकार :

(१) यी संविधान के अधीन मा रहिके प्रदेश सभा मइहा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रही औ प्रदेश सभा मा व्यक्त किया कवनौ वात वा दिए मत का लइके कोई भी सदस्य का पकरै के अथवा हिरासत मा राखै के वा उनके ऊपर कोई अदालत मइहा कारवाही न चलावा जाई ।

(२) यी संविधान के अधीन मा रहिके प्रदेश सभा का आपन काम कारवाई औ निर्णय करयूक पूर्ण अधिकार रही औ प्रदेश सभा कै कोई काम

कारवाई नियमित है कि नाई है कहि के निर्णय करयक अधिकार खाली प्रदेश सभा का होई । यी सम्बन्ध महिया कवनो अदालत मा प्रश्न न उठावा जाई ।

- (३) प्रदेश सभा के कवनौ कारवाई के ऊपर वहकै सही नियत के बारेम शंका कइके कवनौ टीका टिप्पणी न किया जाई औ कोई सदस्य के बोले कोइ बात के सम्बन्धमा जानजान गलत अथवा भ्रमपूर्ण अर्थ लगाय के कवनौ प्रकार कै प्रकाशन वा प्रसारण करयक न मिली ।
- (४) उपधारा (१) औ (३) के व्यवस्था प्रदेश सभा सदस्य के अलावा प्रदेश सभा के बैठक मा भाग लेय पावै वाले अन्य व्यक्ति के हक मा भी लागू होई ।
- (५) प्रदेश सभा के अधिकार कै अन्तर्गत कवनौ लिखित प्रतिवेदन, मतदान वा कारवाई प्रकाशित किहे का विषय का लइके कोई व्यक्ति के ऊपर अदालत मइहा कारवाई न चली ।

**स्पष्टीकरण :** यी उपधारा औ उपधारा (१) (२) (३) औ (४) के प्रयोजन के खातिर “प्रदेश सभा” माने प्रदेश सभा के समिति के बैठक का सहित का बनावत है ।

- (६) प्रदेश सभा के सदस्य का अधिवेशन बोलावै कै सूचना जारी होयक वाद अधिवेशन समाप्त न होय तक के अवधि भर हिरासत मा न लिया जाई । लेकिन कोई फौजदारी अभियोग मइहा कोई सदस्य का कानून अनुसार हिरासत मा लेयक यी उपधारा से वाधा न होई । यी मेर कोई सदस्य का हिरासत मा लिहे पर हिरासत मा लेय वाला अधिकारी भी वहकै सूचना प्रदेश सभा कै अध्यक्षता करै वाले व्यक्ति का तुरन्त देयक परी ।
- (७) विशेषाधिकार के हनन का प्रदेश सभा कै अवहेलना माना जाई औ कोई विशेषाधिकार कै हनन भवा है वा नाई भवा है के सम्बन्ध मा निर्णय करयक अधिकार खाली प्रदेश सभा का खाली होई ।
- (८) कोई भी प्रदेश सभा कै अवहेलना किहे पर वस सभा कै अध्यक्षता करै वाला व्यक्ति प्रदेश सभा के निर्णय से वस व्यक्तिक । सचेत करावै के, नसीहत देयक वा तीन महिना मा न बढै के हिसाब से कैद करयक वा दश हजार रुपिया तक जुर्माना कै सकत है औ वस जुर्माना सरकारी बाँकी के समान असूल ऊपर किया जाई ।  
लेकिन प्रदेश सभा का सन्तोष होयक के हिसाब से वस व्यक्ति के द्वारा क्षमायाचना किहे पर वस सभा भी क्षमा प्रदान करयक वा निर्णय किया सजाय का माफी अथवा कम कै सकत है ।
- (९) प्रदेश सभा के विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून अनुसार होई ।

#### १८८. विश्वास कै मत औ अविश्वास के प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) मुख्यमंत्री ही कोई भी समय अपने ऊपर प्रदेश सभा कै विश्वास है यी बात का स्पष्ट करयक आवश्यक अथवा उपयुक्त समझे पर विश्वास के मत के खातिर प्रदेश सभा के समक्ष प्रस्ताव रखि सकत है ।
- (२) मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करै वाला दल विभाजित भए पर अथवा सरकार मा सामिल भवा दल अपन समर्थन वापस लिहे पर तीस दिन के भीतर मुख्यमंत्रीउ का विश्वास कै मत के खातिर प्रदेश सभा के समक्ष प्रस्ताव रखै क परी ।
- (३) उपधारा (१) औ (२) अनुसार पेश भवा प्रस्ताव प्रदेश सभा मा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या के बहुमत से पारित न होइ सके पर मुख्यमंत्री अपने पद से मुक्त होइहै ।
- (४) प्रदेश सभा मइहा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्यन के एक चौथाई सदस्य भी मुख्यमंत्री पर प्रदेश सभा कै विश्वास नाई है कहिके लिखित रूप मइहा अविश्वास कै प्रस्ताव पेश कै सकत है ।  
लेकिन मुख्यमंत्री नियुक्त भए के पहिले दुई वर्ष मइहा औ एक वार रखा अविश्वास कै प्रस्ताव असफल भए पर एक वर्ष के मितरै फिर से वस अविश्वास के प्रस्ताव पेश न कै पइहै ।
- (५) उपधारा (४) अनुसार अविश्वास कै प्रस्ताव पेश करत मा मुख्यमंत्री के खातिर प्रस्तावित सदस्य कै नाम भी उल्लेख करयक परी ।
- (६) उपधारा (४) अनुसार पेश भवा अविश्वास कै प्रस्ताव प्रदेश सभा मइहा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या के बहुमत से पारित भए पर मुख्यमंत्री पद मुक्त होइ है ।
- (७) उपधारा (६) अनुसार अविश्वास कै प्रस्ताव पारित होइके मुख्यमंत्री कै पद रिक्त (खाली) भए पर उपधारा (५) अनुसार प्रस्ताव किहा प्रदेश सभा सदस्य का प्रदेश प्रमुख धारा (१६८) अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त करिहै ।

#### १८९. मन्त्री, राज्यमन्त्री औ सहायक मन्त्री भी प्रदेश सभा के बैठक मा भाग लेयक

**पावै :** मन्त्री, राज्यमन्त्री औ सहायक मन्त्री भी प्रदेश सभा औ वह कै समिति के बैठक मइहा उपस्थित होयक औ कारवाई तथा विचार विमर्स (छलफल) मइहा भाग लेयक पइ है ।

लेकिन प्रदेश सभा कै सदस्य न भवा मन्त्री, राज्यमन्त्री, औ सहायक मन्त्री भी प्रदेश सभा के बैठक मा वा समिति मइहा मतदान करयक औ प्रदेश सभा कै सदस्य रहे मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री अपने सदस्य रहे समिति के अलावा के समिति के बैठक मा मतदान करयक न पइहै ।

- १९०. प्रदेश सभा मझहा अनाधिकार उपस्थित भए पर वा मतदान किहे पर सजाय :**  
धारा १७९ अनुसार शपथ न लिया वा प्रदेश सभा कै सदस्य न भवा कोई व्यक्ति सदस्य के हैसियत से प्रदेश सभा वा वहकै कोई समिति के बैठक मा उपस्थित भए पर वा मतदान किहे पर वहका वस बैठक कै अध्यक्षता करै वाला व्यक्ति के आदेस से उमेर उपस्थित भए के वा मतदान किहे के प्रत्येक वार कै खातिर पाँच हजार रुपिया जुर्माना होई औ वस जुर्माना सरकारी बाँकी के समान असुल होई ।
- १९१. वहस मा बन्देज :** नेपाल कै कवनौ अदालत मझहा विचाराधीन मुकदमा के सम्बन्ध मझहा न्याय निरूपण पर प्रतिकूल असर परै वाला विषय तथा न्यायाधीस के कर्तव्य पालन के सिलसिला किहा न्याययिक कार्य के सम्बन्धमा प्रदेश सभा मझहा कोई विचार विमर्स (छलफल) न किया जाई ।
- १९२. सदस्य कै स्थान रिक्त (खाली) रहेके अवस्था मा प्रदेश सभा कै कार्य संचालन :**  
प्रदेश सभा कै कोई सदस्य कै स्थान रिक्त (खाली) रहे के अवस्था मझहा समेत प्रदेश सभा आपन कार्य संचालन कै सकत है । औ प्रदेश सभा के कारवाई मझहा भाग न लै पावैक वाला कोई व्यक्ति भाग लिहे कै वात पाछे पता लागे पर भी होय सकस चुका अमान्य न होई ।
- १९३. प्रदेश सभा समिति गठन कै सकै :** प्रदेश सभा के कार्य प्रणाली का व्यवस्थित करे खातिर प्रदेश सभा नियमावली अनुसार आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन कै सकत है ।
- १९४. प्रदेश सभा कै कार्य संचालन विधि :** प्रदेश सभा भी अपन कार्य संचालन करयक बैठक कै सुव्यवस्था कायम राखैक औ समितिन कै गठन काम कारवाई औ समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित करै के खातिर नियमावली बनाई । औ यी प्रकार नियमावली न बनेतक प्रदेश सभा ही अपन कार्यविधि अपनै नियमित करिहै ।
- १९५. प्रदेश सभा कै सचिव औ सचिवालय :**
- (१) प्रदेश प्रमुखै ही प्रदेश सभा मुख के सिपारिस से प्रदेश सभा कै सचिव नियुक्त करिहै ।
  - (२) प्रदेश सभा कै काम करवाई संचालन औ व्यवस्थापन करै के खातिर एक सचिवालय रही । वहि मेर के सचिवालय कै स्थापना औ ततसम्बन्धी और व्यवस्था प्रदेश कानून के अनुसार होई ।
  - (३) प्रदेश सभा कै सचिव कै योग्यता काम कर्तव्य अधिकार औ सेवा केर अन्य सर्त प्रदेश कानून अनुसार होई ।
- १९६. परिश्रमिक :** प्रदेश सभा कै सभामुख उपसभामुख औ सदस्य केर पारिश्रमिक औ सुविधा प्रदेश कानून अनुसार होई । वस कानून न बने तक प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार होई ।

- १९७. प्रदेश सभा कै व्यवस्थापकीय अधिकार :** प्रदेश सभा कै व्यवस्थापकीय अधिकार अनुसूची ६, अनुसूची ७ औ अनुसूची ९ अनुसार कै सूची मा लिखित भवा अनुसार होई ।
- १९८. प्रदेश सभा मझहा विधेयक प्रस्तुत करयक विधि :**
- (१) यी संविधान के अधीन मा रहिके प्रदेश सभा मझहा विधेयक पेश किया जाय सकत है ।
  - (२) खाली अर्थ विधेयक औ शान्ति सुरक्षा से सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयक के रुप मझहा प्रस्तुत किया जाई ।
  - (३) “अर्थ विधेयक” माने निचे लिखा सब वा कोई विषय से सम्बन्ध होय वाला विधेयक माना जाई :-
    - (क) प्रदेश मा कर लगावैक, उठावैक, खारिज, करयक, छुट देयक, परिवर्तन करयक अथवा कर प्रणाली का व्यवस्थित करयक विषय,
    - (ख) प्रदेश संचित कोष अथवा अन्य कोई प्रदेश सरकारी कोष कै संरक्षण करयक, वस कोष मझहा रकम जमा करयक वा वस कोष से कोई रकम विनियोजन अथवा खर्च करयक वा विनियोजन वा खर्च करै वाला रकम का घटावैक, बढावैक अथवा खारिज करैवाला विषय,
    - (ग) प्रदेश सरकार से ऋण प्राप्त करयक वा जमानत देयक विषय व्यवस्थित करयक अथवा प्रदेश सरकार के किया वा लेय वाला आर्थिक दायित्व सम्बन्धी कानून का संशोधन करैवाला विषय,
    - (घ) प्रदेश सरकारी कोष मा प्राप्त होय वाला सब प्रकार कै राजस्व, ऋण असुली से प्राप्त रकम औ अनुदान कै रकम जम्मा रखै के, लगानी करयक वा प्रदेश सरकार कै लेखा वा लेखा परीक्षण करै वाला विषय,
    - (ङ) खण्ड (क) (ख) (ग) वा (घ) से प्रत्यक्ष सम्बन्ध भवा प्रासंगिक विषय ।
 लेकिन कोई अनुमति पत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, जस दस्तुर, शुल्क, महसुल लगावैक वा कवनौ जुरमाना वा कैद होयक व्यवस्था भएके कारण से खाली कोई विधेयक अर्थ विधेयक न माना जाई ।

- (४) कोई विधेयक अर्थ विधेयक होय ना न होय कै प्रश्न उठे पर प्रदेश सभा के सभामुख कै निर्णय अन्तिम होई ।

**१९९. विधेयक पारित करैवाला विधि :**

- (१) प्रदेश सभा से पारित भवा विधेयक प्रमाणीकरण के खातिर प्रदेश प्रमुख के सामने पेश किया जाई ।
- (२) कोई विधेयक विचाराधीन रहे के अवस्था मा प्रदेश सभा कै अधिवेशन केर अन्त भए पर भी ऊ विधेयक के उपर दुसरे अधिवेशन मा कार्यवाही होय सकत है ।
- लेकिन कोई विधेयक प्रदेश सभा मा विचाराधीन रहे के अवस्था मा प्रदेश सभा विघटन भए पर वा कार्यकाल समाप्त भए पर वस विधेयक निष्क्रिय होई ।

**२००. विधेयक वापस लै सकत है :** विधेयक प्रस्तुत कर्ता ही प्रदेश सभा के स्वीकृति लइके विधेयक वापस लै सकत है ।

**२०१. विधेयक मा प्रमाणी करण :**

- (१) धारा १९९ अनुसार प्रमाणीकरण के खातिर प्रदेश प्रमुख के समक्ष पेश करै वाला विधेयक प्रदेश सभा कै सभामुख से प्रमाणित कराय कै पेश करयक परी ।
- (२) यी धारा अनुसार प्रमाणीकरण के खातिर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश भवा विधेयक प्रदेश प्रमुखौ पन्द्रह दिन के भीतर प्रमाणीकरण कइके वहकै सूचना यथासम्भव जल्दी प्रदेश सभा का देहै ।
- (३) प्रमाणीकरण के खातिर पेश भवा अर्थ विधेयक के अलावा अन्य विधेयक के सम्बन्ध मइहा पुनर्विचार करै कै आवश्यक है कहिके प्रदेश प्रमुख का लागे पर ऊ विधेयक पेश भएके पन्द्रह दिन के भीतर सन्देश के साथ प्रदेश सभा मइहा वापस पठय सकत है ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखै कवनौ विधेयक सन्देश के साथ वापस किहे पर वस विधेयक के ऊपर प्रदेश सभा से पुनर्विचार कइके वस विधेयक का प्रस्तुत रुप से वा संशोधन सहित पारित कइके पुनः (फिर) पेश किहे मा यहि किसिम से पशे होय केपन्द्रह दिन के भीतर प्रदेश प्रमुख प्रमाणीकरण करिहै ।
- (५) प्रदेश प्रमुख से प्रमाणीकरण भए पर विधेयक ऐन (कानून) बनिहै ।

**२०२. अध्यादेश :**

- (१) प्रदेश सभा कै अधिवेशन चलत रहै कै अवस्था के अलावा अन्य अवस्था मइहा तत्काल कुछ करयक आवश्यक भएपर प्रदेशमन्त्री परिषद् के सिपारिस से प्रदेश प्रमुख अध्यादेश जारी कै सकत है ।

- (२) उपधारा (१) अनुसार जारी भवा अध्यादेश ऐन (कानून) के समान मान्य होई ।

लेकिन वहि किसिम कै हरेक अध्यादेश,-

- (क) जारी होय के बाद बइठा प्रदेश सभा के बैठक मा पेश किया जाई औ प्रदेश सभा के स्वीकार न किहे पर खुदै निष्कृत्य (रद्द) होई,
- (ख) प्रदेश प्रमुख से कोई भी समय खारिज होय सकत है, औ
- (ग) खण्ड (क) वा (ख) अनुसार निष्क्रिय वा खारिज न भए पर प्रदेश सभा कै बैठक बइठै के खुदै साठ दिन के बाद अपनै निष्कृत्य होई ।

**भाग-१६**  
**प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली**

**२०३. कर लगाव के अथवा ऋण लेयक न मिली :**

- (१) कानून अनुसार के अलावा प्रदेश मइहा कोई कर लगाव के अथवा असुला न जाई ।
- (२) संघीय कानून अनुसार के अलावा प्रदेश सरकार भी कोई ऋण लेयक औ जमानत देयक न पड़हैं ।

**२०४. प्रदेश संचित कोष :** गुठी रकम के अलावा प्रदेश सरकार का प्राप्त होय वाला सब प्रकार के राजस्व के जमानत मा लिया सब कर्जा प्रदेश ऐन के अधिकार अन्तर्गत दिया हरेक ऋण असुल होत मा प्राप्त भवा सब धन औ नेपाल सरकार से प्राप्त होय वाला अनुदान एवं रिण रकम प्रदेश ऐन (कानून) से और कोई व्यवस्था न किहे पर एक प्रदेश सरकारी कोष मइहा आमदानी किया जाई जिका प्रदेश संचित कोष कहा जाई ।

**२०५. प्रदेश संचित कोष वा प्रदेश सरकारी कोष से व्यय :** नीचे लिखा रकम के अलावा प्रदेश संचित कोष वा अन्य कोई प्रदेश सरकारी कोष से कोई रकम निकाल नाई सकत है ।

- (क) प्रदेश संचित कोष पर व्यय भार भवा रकम ।
- (ख) विनियोजित ऐन (कानून) अनुसार खर्च होय वाला रकम ।
- (ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहै के अवस्था मइहा पेशकी के रूप मा ऐन (कानून) अनुसार खर्च होय वाला रकम ।
- (घ) विशेष अवस्था मइहा खाली व्यय के विवरण भवा उधार खर्च ऐन ( कानून से व्यय होय वाला रकम) लेकिन प्रदेश आकस्मिक कोष के हकमा धारा २१२ अनुसार होई ।

**२०६. प्रदेश संचित कोष पर व्यय भार :** नीचे लिखा विषय से सम्बन्धित खर्च प्रदेश संचित कोष के ऊपर व्ययभार होई औ यी मेर व्यय के खातिर प्रदेश सभा के स्वीकृति आवश्यक न परी ।

- (क) प्रदेश सभामुख औ प्रदेश उप सभामुख का देय वाला पारिश्रमिक औ सुविधा के रकम ।
- (ख) प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य का देय वाला पारिश्रमिक औ सुविधा के रकम ।
- (ग) प्रदेश सरकार के दायित्व के ऋण सम्बन्धी व्ययभार

- (घ) प्रदेश सरकार के विरुद्ध अदालत से भवा फैसला वा आदेश अनुसार भुक्तानी देय वाला रकम ।
- (ङ) प्रदेश कानून से प्रदेश संचित कोष पर व्ययभार होयक निर्धारण किया रकम ।

**२०७. राजस्व औ व्यय के अनुमान :**

- (१) प्रदेश के अर्थ मन्त्री ही प्रत्येक आर्थिक वर्ष के सम्बन्ध मा प्रदेश सभा के समक्ष निम्नलिखित विषय समेत प्रष्ट कइके वार्षिक अनुमान पेश के सकत है :
  - (क) राजस्व के अनुमान,
  - (ख) प्रदेश संचित कोष पर व्यय भार होयवाला आवश्यक रकम सब, औ,
  - (ग) प्रदेश विनियोजित ऐन (कानून) अनुसार व्यय होय वाला आवश्यक रकम सब ।
- (२) उप धारा (१) अनुसार वार्षिक अनुमान पेश करत मा आगे के आर्थिक वर्ष मइहा प्रत्येक मन्त्रालय का अलग किया खर्च के रकम औ खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भवा कि नाई वह के विवरण भी साथे पेश करयूक परी ।

**२०८. प्रदेश विनियोजित ऐन (कानून) :** प्रदेश विनियोजन ऐन (कानून) अनुसार व्यय होय वाला रकम शिर्षक मा उल्लेख कइके विनियोजन विधेयक मा रखा जाई ।

**२०९. पूरक अनुमान :**

- (१) कोई आर्थिक वर्ष मइहा नीचे लिखा अवस्था आएपर प्रदेश के अर्थमन्त्री ही प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश के सकत है ।
  - (क) चालु आर्थिक वर्ष के खातिर प्रदेश विनियोजन ऐन (कानून) अनुसार कोई सेवा के खातिर खर्च करयूक अख्तियारी दिहे पर भी रकम प्रयाप्त न भए पर ऊ वर्ष के खातिर प्रदेश विनियोजन ऐन से अधिकार दिहे के नयाँ सेवा मइहा खर्च करयूक आवश्यक भए पर
  - (ख) चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन अनुसार अख्तियारी दिहे के रकम से ज्यादा खर्च होय गए पर ।
- (२) पूरक अनुमान मा रखा गवा रकम सम्बन्धित शिर्षक मा उल्लेख कइके पूरक विनियोजन विधेयक मा रखा जाई ।

## २१०. पेशकी खर्च :

- (१) यी भाग मइहा अन्यत्र जो भी लिखा होय पर प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहे कै अवस्था पर आर्थिक वर्ष के खातिर अनुमान किया गवा व्यय कै कोई अंश पेशकी के रुप मइहा प्रदेश ऐन (कानून) अनुसार खर्च कै सकत है ।
- (२) धारा २०७ अनुसार राजस्व औ व्यय कै अनुमान पेश न किहे तक पेशकी खर्च विधेयक प्रस्तुत न किया जाई औ पेशकी कै रकम आर्थिक वर्ष के व्यय अनुमान के एक तिहाई से ज्यादा न होई ।
- (३) प्रदेश पेशकी खर्च ऐन अनुसार खर्च भवा रकम प्रदेश विनियोजन विधेयक मइहा समावेश किया जाई ।

२११. **उधार खर्च :** यी भाग मा अन्यत्र जो भी लिखा होय पर भी प्राकृतिक कारण वा अन्य कारण से प्रदेश मइहा संकट कै अवस्था होय पर धारा २०७ कै उपधारा (१) अनुसार आवश्यक विवरण खोलयूक अव्यवहारिक अथवा प्रदेश के सुरक्षा के हिसाब से अवान्छनीय देखेपर प्रदेश कै अर्थमन्त्री हस् व्यय कै खाली विवरण भवा उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश कै सकत है ।

## २१२. प्रदेश आकस्मिक कोष :

- (१) प्रदेश ऐन अनुसार प्रदेश आकस्मिक कोष के नाम से एक कोष स्थापना कै सकत है औ वस कोष मइहा समय समयमा प्रदेश ऐन अनुसार निर्धारित रकम जमा किया जाई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार कै कोष प्रदेश सरकार के नियन्त्रण मा रही । प्रदेश सरकार ही वस कोष से आकस्मिक काम के खातिर खर्च कै सकत है ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार खर्च भवा रकम प्रदेश ऐन अनुसार जल्दी से जल्दी वापस किया जाई ।

२१३. **आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन :** प्रदेश ऐन अनुसार विनियोजित रकम, एक शिर्षक से दोसर शिर्षक मा रकमान्तर करयूक औ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐन अनुसार होई ।

## भाग -१७

### स्थानीय कार्यपालिका

## २१४. स्थानीय तह कै कार्यकारिणी अधिकार :

- (१) स्थानीय तह कै कार्यकारिणी अधिकार यी संविधान औ संघीय कानून के अधीनमा रहिके गाउँपालिका वा नगरपालिका मा निहित रही ।
- (२) स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूचि ८ औ अनुसूचि ९ अनुसार सूचि मा उल्लेख भवा अनुसार होई ।
- (३) यी संविधान औ अन्य कानून के अधीनमा रहिके गांवपालिका औ नगरपालिका कै शासन व्यवस्था के सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण औ सञ्चालन करयूक अभिभारा गांवपालिका औ नगरपालिका का होई ।
- (४) गांवपालिका औ नगरपालिका कै कार्यकारिणी कार्य गांवपालिका औ नगरपालिका के नाम मा होई ।
- (५) उपधारा (४) अनुसार गांवपालिका औ नगर पालिका के नाम से होय वाला निर्णय, आदेश औ वह सम्बन्धी अधिकार पत्र कै प्रमाणीकरण स्थानीय कानून अनुसार होई ।

## २१५. गाँउ कार्यपालिका अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) प्रत्येक गांवपालिका मइहा एक जना गाँउ कार्यपालिका अध्यक्ष रहिहै । उनके अध्यक्षता मा गाँउ कार्यपालिका गठन होई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार गाँउ कार्यपालिका मइहा एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष औ उपधारा (४) अनुसार निर्वाचित सदस्य रहिहै ।
- (३) अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष कै निर्वाचन सम्बन्धित गाँउपालिका क्षेत्र भीतर कै मतदाता एक व्यक्ति एक मत के आधार से गोप्य मतदानद्वारा पहिला होय वाला निर्वाचित होयूक निर्वाचन प्रणाली अनुसार करिहै ।

**स्पष्टीकरण :** यी धारा के प्रयोजन के खातिर अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष के माने गाँउ कार्यपालिका कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष का जनावत है ।

- (४) धारा २२२ अनुसार गाँउ सभा कै निर्वाचन (चुनाव) कै अन्तिम परिणाम प्राप्त भएके मिति से पन्द्रह दिन के भीतर गाँउ सभा कै सदस्य सब अपने विच मे से निर्वाचित किया चार जनी महिला सदस्य औ उप धारा (५) अनुसार योग्यता भवा दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय से गाँउ सभा से निर्वाचित किया दुई जने सदस्य भी गाँउ कार्यपालिका कै सदस्य होईहै ।

- (५) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष औ सदस्य पद मइहा निर्वाचित होय्क योग्य होइहै ।
- (क) नेपाली नागरिक,  
 (ख) एककीस वर्ष उमेर पूरा भए कै,  
 (ग) गांवपालिका के मतदाता नामावली मा नाम समावेश भए कै,  
 (घ) कोई कानून से अयोग्य न भवा ।
- (६) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष औ सदस्य कै पदावधि पाँच वर्ष कै होई ।
- (७) अध्यक्ष के पदमा दुई कार्यकाल निर्वाचित भवा व्यक्ति गांवपालिका के निर्वाचन मा उम्मेदवार होय्क न पइहै ।
- (८) नीचे लिखा कवनौ अवस्था मइहा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष औ सदस्य कै पद रिक्त (खाली होई)
- (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के समक्ष औ उपाध्यक्ष अध्यक्ष के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,  
 (ख) उनकै पदावधि समाप्त भए पर,  
 (ग) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (९) अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष कै एक वर्ष से ज्यादा पदावधि बाँकी रहे के अवस्था मइहा उपधारा (८) अनुसार पद रिक्त भए पर बाँकी अवधि के खातिर रिक्त (खाली) पद कै पूर्ति उपनिर्वाचन से होई ।

#### २१६. नगर कार्यपालिका प्रमुख औ उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) प्रत्येक नगरपालिका मा एक जना नगर कार्यपालिका प्रमुख रहिहै । उनही के अध्यक्षता मा नगर कार्यपालिका गठन होई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार नगर कार्यपालिका मइहा एकजना उपप्रमुख प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष औ उपधारा (४) अनुसार निर्वाचित सदस्य रहि है ।
- (३) प्रमुख औ उपप्रमुख कै निर्वाचन सम्बन्धित नगरपालिका के क्षेत्र भीतर के मतदाता के द्वारा एक व्यक्ति एक मत के आधार से गोप्य मतदानद्वारा पहिला होयवाला निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली अनुसार करिहै ।
- स्पष्टीकरण :** यी धारा के प्रयोजन के खातिर प्रमुख औ उपप्रमुख माने नगर कार्यपालिका कै प्रमुख औ उपप्रमुख जानय्क चाही ।
- (४) धारा २२३ अनुसार नगर सभा के निर्वाचन कै अन्तिम परिणाम प्राप्त भएके मिति से पन्द्रह दिन के भीतर नगर सभा के सदस्य सब अपने बीच मे से निर्वाचित भवा पाँच जनी महिला सदस्य औ उपधारा (५) अनुसार योग्यता भए के दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा से

- निर्वाचित किहा तीन जना सदस्य सहित नगर कार्यपालिका कै सदस्य होइ है ।
- (५) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति प्रमुख, उपप्रमुख वार्ड अध्यक्ष औ सदस्य पदमा निर्वाचित होय्क योग्य होइहै ।
- (क) नेपाली नागरिक,  
 (ख) एककाइस वर्ष उमिर पूरा भवा,  
 (ग) नगरपालिका के मतदाता नामावली मा नाम समावेश भवा औ  
 (घ) कोई कानून से अयोग्य न भवा ।
- (६) प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड अध्यक्ष औ सदस्य कै पदावधि निर्वाचित होय के मिति से पाँच वर्ष कै होई ।
- (७) प्रमुख के पद मइहा दुई कार्यकाल निर्वाचित भवा व्यक्ति नगरपालिका के निर्वाचनमा उम्मेदवार होय्क न पइहै ।
- (८) नीचे लिखा कोई भी अवस्था मइहा प्रमुख, उपप्रमुख, वार्ड अध्यक्ष औ सदस्य कै पद रिक्त (खाली) होई
- (क) प्रमुख उपप्रमुख के समक्ष औ उपप्रमुख प्रमुख के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,  
 (ख) उनकै पदावधि समाप्त भए पर,  
 (ग) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (९) प्रमुख वा उपप्रमुख कै एक वर्ष से ज्यादा पदावधि बाकी रहे के अवस्था मा उपधारा (८) अनुसार पद रिक्त भए पर बाकी अवधि के खातिर रिक्त (खाली) पद के पूर्ति उपनिर्वाचन से होई ।

#### २१७. न्यायिक समिति :

- (१) कानून अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के विवाद निरुपण करै के खातिर गांउपालिका औ नगरपालिका ही प्रत्येक गांवपालिका मइहा उपाध्यक्ष के संयोजकत्व मा औ प्रत्येक नगरपालिका उपप्रमुख के संयोजकत्व मा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रही ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार न्यायिक समिति मइहा गांउ सभा वा नगर सभा के अपने बीच मे से निर्वाचित किह । दुई जने सदस्य रहिहै ।

#### २१८. गांउ कार्यपालिका औ नगर कार्यपालिका कै कार्य संचालन : गांउपालिका औ नगरपालिका से स्वीकृत नियमावली अनुसार गांउ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका कै कार्य विभाजन औ कार्य सम्पादन होई ।

#### २१९. स्थानीय तह कै कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : यी भाग मे लिखा के अलावा स्थानीय तह कै कार्यकारिणी सम्बन्धी और व्यवस्था यी संविधान के अधीनमा रहिके संघीय कानून अनुसार होई ।

## २२०. जिला सभा औ जिला समन्वय समिति :

- (१) जिला भीतर के गांउ पालिका औ नगरपालिका सब के बीचमा समन्वय करयक एक जिला सभा रही ।
- (२) जिला सभा मइहा जिला भीतर के गांउपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष औ नगरपालिका के प्रमुख औ उपप्रमुख सदस्य रहिहै । गांउ सभा औ नगरसभा के निर्वाचन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होय के मिति से तीस दिन के भीतर जिला सभा के पहिला बैठक बइठी ।
- (३) जिला सभौ मा एक जने प्रमुख औ एक जने उपप्रमुख, कम से कम तीन जनी महिला औ कमसे कम एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित ज्यादा से ज्यादा नौ जना सदस्य भवा के जिला समन्वय समिति के निर्वाचन (चुनाव) करिहै । जिला समन्वय समिति ये जिला सभा के तरफ से करै वाला सम्पूर्ण कार्य सम्पादन करी ।
- (४) सम्बन्धित जिला भीतर के गांउ सभा वा नगर सभा के सदस्य जिला समन्वय समिति के प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य पद के उम्मेदवार होयक योग्य होइ है । जिला समन्वय समिति के प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य के पद मइहा निर्वाचित भए पर बस व्यक्ति के गांउ सभा नगर सभा के सदस्य पद अपनै रिक्त (खाली) होई ।
- (५) जिला समन्वय समिति के प्रमुख, उपप्रमुख औ सदस्य के पदावधी निर्वाचन होइ के मिति से पांच वर्ष के होई ।
- (६) नीचे लिखा कोई अवस्था मइहा जिला समन्वय समिति के प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य के पद रिक्त होई  
(क) प्रमुख उपप्रमुख के समक्ष औ उपप्रमुख वा सदस्य प्रमुख के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,  
(ख) उनके पदावधी समाप्त भए पर,  
(ग) उनके मृत्यु भए पर ।
- (७) जिला सभा के काम कर्तव्य औ अधिकार नीचे लिखा अनुसार होई  
(क) जिला भीतर के गांउपालिका औ नगरपालिका के बीच मइहा समन्वय करयक,  
(ख) विकास निर्माण सम्बन्धी काम मइहा सन्तुलन कायम करैक औ वहके अनुगमन करयक,  
(ग) जिला मा रहा संघीय औ प्रदेश सरकारी कार्यालय औ गांवपालिका औ नगरपालिका के बीच मा समन्वय करयक,  
(घ) प्रदेश कानून अनुसार अन्य काम करयक ।
- (८) जिला सभा के सञ्चालन, जिला समन्वय समिति के सदस्य सबका पावै वाला सुविधा औ जिला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून अनुसार होई ।

## भाग १८ स्थानीय व्यवस्थापिका

### २२१. स्थानीय तहके व्यवस्थापिकीय अधिकार :

- (१) ये संविधान के अधीनमा रहिके स्थानीय तहके व्यवस्थापिकीय अधिकार गांव सभा औ नगर सभामा नीहित रही ।
- (२) गांव सभा औ नगर सभा के व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूचि ८ औ अनुसूचि ९ अनुसार के सुची मइहा उल्लेख (लिखा) अनुसार होई ।

### २२२. गांउ सभा के गठन :

- (१) प्रत्येक गांउ पालिका मइहा एक गांउ सभा रहिहै ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार गांउ सभा मइहा गांउपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष औ प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित चार जने सदस्य औ धारा २०५ के उपधारा (४) अनुसार दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय से निर्वाचित गांव कार्यपालिका के सदस्य रहिहै ।
- (३) उपधारा (१) अनुसार गठन होय वाला गांउ सभा मा प्रत्येक वार्ड से कम से कम दुई जनी महिला के प्रतिनिधित्व होई ।
- (४) संघीय कानून अनुसार गांउ पालिका मा रहै वाला प्रत्येक वार्ड मइहा वार्ड अध्यक्ष औ चार जने सदस्य वार्ड समिति गठन होई । बस वार्ड अध्यक्ष औ वार्ड सदस्य के निर्वाचन पहिला होय वाला निर्वाचित, निर्वाचन प्रणाली अनुसार होई ।
- (५) अठारह वर्ष पूरा भवा के गांउ पालिका के मतदाता नामावली मइहा नाम समावेश भवा व्यक्ति का संघीय कानून मा व्यवस्था भएके अनुसार मतदान करयक अधिकार होई ।
- (६) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति गांउ सभा के सदस्य के पद मइहा उम्मेदवार होयक योग्य होई ।  
क) नेपाली नागरिक,  
ख) एक्काइस वर्ष उमिर पूरा भए के,  
ग) गांउपालिका के मतदाता नामावली मइहा नाम समावेश भवा के,  
घ) कोई कानून से अयोग्य न भवा के ।
- (७) गांउ सभा के निर्वाचन औ तत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून के अनुसार होई ।

### २२३. नगर सभा के गठन :

- (१) प्रत्येक नगर पालिका मइहा एक नगर सभा रही ।

- (२) उपधारा (१) अनुसार नगर सभा मइहा नगर कार्यपालिका कै प्रमुख, उपप्रमुख वार्ड अध्यक्ष औ प्रत्येक वार्ड से निर्वाचित चार जने सदस्य औ धारा २१६ कै उपधारा (४) अनुसार दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय से निर्वाचित नगर कार्य पालिक कै सदस्य रहिहै ।
- (३) उपधारा (१) अनुसार गठन होय वाला नगर सभा मइहा प्रत्येक वार्ड से कम से कम दुई जनी महिला कै प्रतिनिधित्व होई ।
- (४) संघीय कानून अनुसार नगरपालिका मइहा रहा प्रत्येक वार्डमा वार्ड अध्यक्ष औ चार जने सदस्य रहा वार्ड समिति गठन होई । अस वार्ड अध्यक्ष औ वार्ड सदस्य कै निर्वाचन पहिला होय वाला निर्वाचित होय कै निर्वाचन प्रणाली अनुसार होई ।
- (५) अठारह वर्ष उमिर पूरा भवा औ नगरपालिका के मतदाता नामावली मइहा नाम समावेश भवा व्यक्ति का संघीय कानून अनुसार मतदान करयक अधिकार होई ।
- (६) निचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति नगर सभा के सदस्य पद मा उम्मेदवार होयक योग्य होई ।
  - (क) नेपाली नागरिक,
  - (ख) एककीस वर्ष उमिर पूरा भवा,
  - (ग) नगरपालिका के मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भवा, औ
  - (घ) कवनौ कानून से अयोग्य न भवा कै ।
- (७) नगर सभा कै निर्वाचन औ वह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**२२४. गांउ औ नगर सभा कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष :** गांउ कार्यपालिका कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष तथा नगर कार्य पालिका कै प्रमुख औ उपप्रमुख क्रमसः गांउ सभा औ नगर सभा कै पदेन अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष होइके कार्य सम्पादन करिहै ।

**२२५. गांउ सभा औ नगर सभा कै कार्यकाल :** गांउ सभा औ नगर सभा कै कार्यकाल निर्वाचन (चुनाव) होय के मिति से पांच वर्ष कै होई । अस कार्यकाल समाप्त (खतम) होय के ६ महिना के भीतर दोसर गांउ सभा औ नगर सभा कै निर्वाचन सम्पन्न करै के परी ।

**२२६. कानून बनाय सकय :**

- (१) गांउ सभा औ नगर सभा अनुसूचि ८ औ अनुसूची ९ अनुसार सूचि मइहा उल्लेखित विषय मा आवश्यक कानून बनाय सकत है ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार कानून बनावै वाला प्रक्रिया प्रदेश कानून अनुसार होई ।

**२२७. गांउ सभा औ नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था :** गांउ सभा औ नगर सभा कै सञ्चालन बैठक कै कार्यविधि, समिति गठन, सदस्य कै पद रिक्त होयक अवस्था गांउ सभा औ नगर सभा के सदस्य के पावै वाला सुविधा, गांउ पालिका औ नगर पालिका कै कर्मचारी औ कार्यालय के सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून अनुसार होई ।

**२२८. कर लगावैक औ रिण लेयक न पइहै :**

- (१) कानून अनुसार के अलावा स्थानीय तहमा कवनौ कर लगावै के असूल करयक औ कर्जा लेयक न पइहै ।
- (२) स्थानीय तह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के विषय मइहा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, बस्तु वा सेवा का लावैक लइ जायक, पूंजी औ श्रम बजार पडोसी प्रदेश वा स्थानीय तह का प्रतिकूल न होय अस कानून बनाय के कर लगाय सकत है ।

**२२९. स्थानीय संचित कोष :**

- (१) स्थानीय तह अन्तर्गत कै प्रत्येक गांव पालिका औ नगरपालिका मा एक स्थानीय संचित कोष रही । अस कोष मइहा गांव पालिका वा नगरपालिका का प्राप्त होय वाला सब प्रकार कै राजश्व, नेपाल सरकार औ प्रदेश सरकार से प्राप्त होय वाला अनुदान औ गांव पालिका का नगरपालिका से लिहा कै ऋण रकम औ अन्य श्रोत से प्राप्त होय वाला रकम जमा होई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार स्थानीय संचित कोष से खर्च कै सकै वाला खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून अनुसार होई ।

**२३०. गांउ पालिका औ नगरपालिका कै राजश्व औ खर्च कै अनुमान :**

- (१) यी संविधान के अधीन मा रहिके गांउ पालिका वा नगरपालिका भी प्रत्येक आर्थिक वर्ष कै राजश्व औ व्यय कै अनुमान स्थानीय कानून अनुसार गांउ सभा वा नगर सभा मइहा पेश कइके पारित करावैक परी ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार गांउ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका कै राजश्व औ व्यय केर अनुमान पेश करत मा घाटा बजेट निर्माण करयक परेपर संघीय कानून औ प्रदेश कानून अनुसार घाटा पूर्ति करयक स्रोत समेत प्रस्ताव करयक परी ।

**२३१. संघ औ प्रदेश बीच कै व्यवस्थापिकीय अन्तर सम्बन्ध :**

- (१) संघीय कानून नेपाल भर वा आवश्यकता अनुसार नेपाल कै कवनौ क्षेत्र मा खाली लागु होय के खातिर बनाय सकत है ।
- (२) प्रदेश कानून प्रदेश भर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेश के खाली कवनौ क्षेत्र मैहा लागु होय के खातिर बनाय सकत है ।
- (३) दुई वा दुई से ज्यादा प्रदेश भी अनुसूचि ६ मा उल्लेखित कवनौ विषय मा कानून बनावै के नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध किहे पर संघीय संसद भी आवश्यक कानून बनाय सकत है । वस कानून सम्बन्धित प्रदेश के हकमा खाली लागु होई ।

**२३२. संघ प्रदेश औ स्थानीय तह के बीच कै सम्बन्ध :**

- (१) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह के बीच कै सम्बन्ध सहकारिता सह अस्तित्व औ समन्वय के सिद्धान्त मा आधारित होइहै ।
- (२) नेपाल सरकार भी राष्ट्रिय महत्व के विषयमा औ प्रदेश के बीच समन्वय करेवाले विषय मइहा मन्त्रीपरिषद् का यी संविधान औ संघीय कानून अनुसार आवश्यक निर्देशन दै सकत है औ वस निर्देशन कै पालना करयक सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रीपरिषद कै कर्तव्य होई ।
- (३) कवनौ प्रदेश मइहा नेपाल कै सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता अथवा स्वाधीनतामा गम्भीर असर होय वाला काम भए पर राष्ट्रपति वस प्रदेश मन्त्रीपरिषद् का आवश्यकता अनुसार सचेत करावै के, प्रदेश मन्त्रीपरिषद् औ प्रदेश सभाका ज्यादा से ज्यादा ६ महिना तक निलम्बन करयक वा विघटन कै सकत है ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार कोइ प्रदेश कै मन्त्री परिषद् औ प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन किहे पर वस कार्य पैतिस दिन के भीतर संघीय संसद कै तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से अनुमोदन करावै के परी ।
- (५) उपधारा (३) अनुसार किया विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय संसद से अनुमोदन भए पर वस प्रदेश मइहा ६ महिना के भीतर प्रदेश सभा कै निर्वाचन (चुनाव) होई ।  
लेकिन संघीय संसद से अनुमोदन न भए पर वस निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य अपनै निस्क्रिय होई ।

- (६) उपधारा (३) अनुसार किया निलम्बन उपधारा (४) अनुसार अनुमोदन भए पर वस निलम्बन के अवधि भर औ उपधारा (५) अनुसार प्रदेश सभा कै निर्वाचन नभए तक के खातिर वस प्रदेश मैहा संघीय शासन कायम रही ।
- (७) संघीय शासन कायम रहे के अवस्थामा संघीय संसद अनुसूचि ६ अनुसार सुची मा परे विषय मैहा कानून बनाय सकत है । उमेर कानून सम्बन्धित प्रदेश सभा दोसर कानून बनाय के खारिज न किहे तक बहाल रही ।
- (८) नेपाल सरकार अपनै वा प्रदेश सरकार के मार्फत गांउ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाका यी संविधान औ संघीय कानून अनुसार आवश्यक सहयोग करै के औ निर्देशन दै सकत है । वहि मेर कै निर्देशन कै पालना करयक गांउ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका कै कर्तव्य होई ।

### २३३. प्रदेश प्रदेश के बीच कै सम्बन्ध :

- (१) एक प्रदेश का भी दोसरे प्रदेश कै कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक तथा प्रशासकीय निर्णय वा आदेश के कार्यान्वयन मा सहयोग करैक परी ।
- (२) एक प्रदेश दोसरे प्रदेश से साभा सरोकार औ हित के विषयमा सूचना आदान प्रदान करयक परामर्श करयक अपने काम औ विधायन के बारेम अपसमा समन्वय करयक औ आपसी सहयोग विस्तार के सकत है ।
- (३) एक प्रदेश भी दोसरे प्रदेश के वासिन्दाका अपने प्रदेश के कानून अनुसार समान सुरक्षा व्यवहार औ सुविधा उपलब्ध करावैक परी ।

### २३४. अन्तर प्रदेश परिषद् :

- (१) संघ औ प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश के बीच उत्पन्न राजनैतिक विवाद का समाधान करै खातिर नीचे लिखा अनुसार एक अन्तर प्रदेश परिषद रही ।
- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| (क) प्रधानमन्त्री                    | -अध्यक्ष |
| (ख) नेपाल सरकार कै गृहमन्त्री        | -सदस्य   |
| (ग) नेपाल सरकार कै अर्थमन्त्री :     | -सदस्य   |
| (घ) सम्बन्धित प्रदेश कै मुख्यमन्त्री | -सदस्य   |
- (२) अन्तर प्रदेश परिषद् कै बैठक आवश्यकता अनुसार बइठी ।
- (३) अन्तर प्रदेश परिषद भी अपने बैठक मा विवाद के विषय से सम्बन्धित नेपाल सरकार कै मन्त्री औ सम्बन्धित प्रदेश के मन्त्री तथा विशेषज्ञ का आमन्त्रण कै सकत है ।

- (४) अन्तर प्रदेश परिषद् कै बैठक सम्बन्धी कार्य विधि वहि परिषद के द्वारा अपनै निर्धारण किहे अनुसार होई ।

### २३५. संघ प्रदेश औ स्थानीय तह के बीच कै समन्वय :

- (१) संघ प्रदेश औ स्थानीय तह के बीच समन्वय कायम करै खातिर संघीय संसद ही आवश्यक कानून बनाई ।
- (२) प्रदेश गांउपालिका वा नगरपालिका के बीच समन्वय कायम करयक औ कोइ राजनैतिक विवाद उत्पन्न भए पर प्रदेश सभा ही सम्बन्धित गांउपालिका नगरपालिका औ जिला समन्वय समिति के साथ समन्वय कइके वस विवाद कै समाधान कै सकत है ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार विवाद समाधान करै कै प्रक्रिया औ कार्यविधि प्रदेश कानून के अनुसार होई ।

२३६. अन्तर प्रदेश व्यापार : यी संविधान मइहा अन्ते जो भी लिखा होय पर भी एक प्रदेश वा स्थानीय तह से दोसर प्रदेश वा स्थानीय तह के क्षेत्र मइहा होयवाला सामान कै ढोवाई वा सेवा के विस्तार मइहा वा कवनौ प्रदेश अथवा स्थानीय तह के क्षेत्र मइहा होय वाला वस्तु कै ढोवाई वा सेवा के विस्तार मा कोइ मेर बाधा, अवरोध करै के वा कोई कर शुल्क दस्तुर, महसुल लगावै के वा वस सेवा वस्तु कै ढोवाई विस्तार मइहा कोई किसिम कै भेदभाव करयक न मिली ।

### २३७. सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास के अधिकार क्षेत्र मा असर नपरी :

- यी भाग मइहा लिखा कवनौ बात से धारा १३७ अनुसार सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास के अधिकार क्षेत्र मइहा कोई असर नपरी

**अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग**

**२३८. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग :**

- (१) नेपाल मइहा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रही जिमा प्रमुख आयुक्त औ अन्य चार जने आयुक्त रहि है । प्रमुख आयुक्त ही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कै अध्यक्ष होइ के काम करिहै ।
- (२) राष्ट्रपति ही संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर प्रमुख आयुक्त औ आयुक्त कै नियुक्ति करि है ।
- (३) प्रमुख आयुक्त औ आयुक्तन कै पदावधी नियुक्ति के मिति से ६ वर्ष कै होई ।
- (४) उपधारा (३) मा जौन भी लिखा होय के बाबजूद लिखा कवनौ भी अवस्था मा प्रमुख आयुक्त औ आयुक्त कै पद रिक्त (खाली) होई ।
  - (क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
  - (ख) उनकै उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,
  - (ग) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महा अभियोग प्रस्ताव पास भए पर,
  - (घ) शारीरिक वा मानसिक अवस्था कै कारण सेवामा रहिके कार्य सम्पादन करयक असमर्थ है कहिके संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किहे पर,
  - (ङ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त प्रमुख आयुक्त औ आयुक्त कै पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय पाई ।
 

लेकिन आयुक्त प्रमुख आयुक्त मइहा नियुक्ति किया जाय सकत है औ अस आयुक्त प्रमुख आयुक्त के पदमा नियुक्त भए पर उनके पदावधी कै गणना करत मा आयुक्त भएके अवधि (समय) का समेत जोडिके गणना किया जाई ।
- (६) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कै प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त के पद मा नियुक्ति के खातिर योग्य होईहै ।
  - (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक कै उपाधी प्राप्त किहे का,
  - (ख) नियुक्ति होयक समय कोइ राजनैतिक दल कै सदस्य न रहा का,
  - (ग) लेखा, राजश्व इन्जिनियरिड, कानून, विकास वा अनुसन्धान के क्षेत्रमा कम से कम बीस वर्ष काम कै अनुभव औ ख्याति प्राप्त किहे का,
  - (घ) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भए का,

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भवा का ।

- (७) प्रमुख आयुक्त औ आयुक्त कै पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त संघीय कानून अनुसार होई । प्रमुख आयुक्त औ आयुक्त अपने पदमा बरकरार रहे तक उनका कष्ट होय के हिसाव से उनकै पारिश्रमिक औ सेवा के सर्त का परिवर्तन न किया जाई ।
 

लेकिन चरम आर्थिक समस्या के कारण संकटकाल घोषणा भए के अवस्था मइहा यी व्यवस्था लागु न होई ।
- (८) प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त होय चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवा के नियुक्ति के खातिर ग्राह्य न होई ।
 

लेकिन कोई राजनैतिक पद मइहा वा कोई विषय अनुसन्धान, जाच पडताल वा छानविन करयक अवथा कोई विषय कै अध्ययन अन्वेषण कइके राय सलाह मन्तव्य वा सिफारिस करयक कवनौ पद मइहा नियुक्त होइके काम करयक यी उपधारा मा लिखा कोई वात से बाधा (अवरोध) पहुचान माना जाई ।

**२३९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार :**

- (१) कोई सार्वजनिक पद धारण किए व्यक्ति भ्रष्टाचार कइके अपने अख्तियार के दुरुपयोग किहे के सम्बन्ध मइहा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ही कानून अनुसार अनुसन्धान कै सकत है वा कराय सकत है ।
 

लेकिन यी संविधान मइहा अलगै व्यवस्था भवा पदाधिकारी औ अन्य कानून से अलगै विशेष व्यवस्था भवा पदाधिकारी के हक मा यी उपधारा लागु न होई ।
- (२) धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित होइके पद मुक्त होय वाले व्यक्ति, न्याय परिषद् से पदमुक्त भए न्यायाधीश औ सैनिक कानून अनुसार कारवाइ होय वाले व्यक्ति के हक मइहा ऊ पदमुक्त होय चुके के वाद संघीय कानून अनुसार अनुसन्धान करयक वा करायक पडहै ।
- (३) उपधारा (१) वा (२) अनुसार भवा अनुसन्धान से सार्वजनिक पद धारण किहे कोई व्यक्ति कानून अनुसार भ्रष्टाचार मानै वाला कोई काम किहे कै ह, देखाने पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ही वस व्यक्ति औ वस अपराध मा संलग्न अन्य व्यक्ति के उपर कानून अनुसार अधिकार प्राप्त अदालत मइहा मुकदमा दायर कै सकत है वा कराय सकत है ।
- (४) उपधारा (१) वा (२) अनुसार भवा अनुसन्धान से सार्वजनिक पद धारण किहा व्यक्ति कै काम कारवाइ अन्य अधिकारी वा निकाय के अधिकार

क्षेत्र के अन्तर्गत परैवाला प्रकृति कै देखे पर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ही आवश्यक कारबाई के खातिर सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय के पास लिख के पठै सकत है ।

- (५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भी अनुसन्धान करैक वा मुकदमा चलावैक अपन काम कर्तव्य औ अधिकार मध्ये कवनौ काम कर्तव्य अधिकार प्रमुख आयुक्त कोई आयुक्त का अथवा नेपाल सरकार के अधिकृत कर्मचारीका निश्चित किया सर्त के अधिन मा रहिके प्रयोग तथा पालन करै के खातिर प्रत्यायोजन कै सकत है ।
- (६) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कै अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अनुसार होई ।

## भाग-२२

### महालेखा परीक्षक

#### २४०. महालेखा परीक्षक :

- (१) नेपाल मा एक महालेखा परीक्षक होइहै ।
- (२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर महालेखा परीक्षक कै नियुक्ति करिहै ।
- (३) महालेखा परीक्षक कै पदावधी नियुक्ति के मिति से ६ वर्ष कै होई ।
- (४) उपधारा (३) मा जो भी लिखा होय नीचे लिखा कोई अवस्था मइहा महालेखा परीक्षक के पद रिक्त होई:-
- (क) उन अपनै राष्ट्रपति के पास लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उनकै उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,
- (ग) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महा अभियोग कै प्रस्ताव पारित भए पर,
- (घ) शारीरिक वा मानसिक अवस्था के कारण सेवा मा रहिके कार्य सम्पादन करयक असमर्थ है कहिके संवैधानिक परिषद के सिफारिस मा राष्ट्रपति से पद मुक्त किहे पर,
- (ङ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त महालेखा परीक्षक कै पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी ।
- (६) निचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति महालेखा परीक्षक के पदमा नियुक्ति के खातिर योग्य होई है ।
- (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखा मा स्नातक उपाधी प्राप्त किहे वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण किहे नेपाल सरकार कै विशिष्ट श्रेणी के पद मा काम किहे अथवा लेखा परीक्षण के काम मा कम से कम बीस वर्ष अनुभव प्राप्त किहे का,
- (ख) नियुक्ति होय के समय कवनौ राजनैतिक दल कै सदस्य न भए,
- (ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भए,
- (घ) उच्च नैतिक चरित्र भए ।
- (७) महालेखा परीक्षक कै पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त संघीय कानून अनुसार होई । महालेखा परीक्षक अपने पदमा कार्यरत रहेतक उनका मुश्किल परैवाला कइके पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त परिवर्तन न किया जाई ।

लेकिन चरम आर्थिक संकट के कारण संकटकाल के घोषणा भए पर यी व्यवस्था लागु न होई ।

- (द) महालेखा परीक्षक होय चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवा के नियुक्ति खातिर ग्राह्य न होई ।

लेकिन कोई राजनैतिक पद वा कोई विषय के अनुसन्धान जाच परताल वा छानबिन करै के वा कोई विषय के अध्ययन अन्वेषण कइके राय सलाह मन्तव्य अथवा सिफारिस पेश करयक कोई पद मइहा नियुक्त होय के काम करयक यी उपधारामा लिखा कोई बात से बाधा अवरोध पहुचावा न माना जाई ।

### २४१. महालेखा परीक्षक के काम कर्तव्य औ अधिकार :

- (१) राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति के कार्यालय, सर्वोच्च अदालत संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा वह के कार्यालय, अदालत, महान्यायधिवक्ता के कार्यालय औ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल समेत सब संघीय औ प्रदेश सरकारी कार्यालय के लेखा कानून अनुसार नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता, प्रभावकारिता औ औचित्य समेत के विचार कइके महालेखा परीक्षक से लेखा परीक्षण होई ।
- (२) पचास प्रतिशत से ज्यादा शेयर वा सम्पत्ति मा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार के स्वामित्व भवा संगठित संस्था के लेखा परीक्षक के खातिर लेखा परीक्षक नियुक्त करत मा महालेखा परीक्षक से परामर्श किया जाई । अस संगठित संस्था के लेखा परीक्षण करावत मा अपनावै वाले सिद्धान्त के सम्बन्ध मा महालेखा परीक्षक ही आवश्यक निर्देशन दे सकत है ।
- (३) महालेखा परीक्षकका उपधारा (१) अनुसार काम के खातिर लेखा सम्बन्धी कागज पत्र हरेक समय देखै पाव के अधिकार होई । महालेखा परीक्षक वा वहके कोई कर्मचारी पर मागे के कोई भी कागज पत्र तथा जानकारी उपलब्ध करावै के सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख के कर्तव्य होई ।
- (४) उपधारा (१) अनुसार लेखा परीक्षण करै वाला लेखा संघीय कानून अनुसार महालेखा परीक्षक के निर्धारित तरिका से राखा जाई ।
- (५) उपधारा (१) मइहा उल्लेख भवा कार्यालय के लेखा के अलावा अउरो कोई कार्यालय वा संस्था के महालेखा परीक्षक से लेखा परीक्षण करै के कहिके संघीय कानून अनुसार व्यवस्था के सकत है ।

## भाग २३ लोकसेवा आयोग

### २४२. लोक सेवा आयोग :

- (१) नेपाल मइहा लोकसेवा आयोग रही जेह मा अध्यक्ष औ अन्य चार जने सदस्य रहि है ।
- (२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य केर नियुक्ति करिहै ।
- (३) लोकसेवा आयोग के सदस्यन मैसे कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा वहसे ज्यादा अवधि तक कोई सरकारी सेवा मा रहे व्यक्ति मैसे औ बाकी सदस्य विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून जन प्रशासन, समाज शास्त्र वा राष्ट्रिय जीवन के अन्य क्षेत्र मइहा सोध, अनुसन्धान, अध्यापन अथवा अन्य कवनौ महत्वपूर्ण काम कइके ख्याती प्राप्त किहे व्यक्तन मैसे नियुक्ति होईहै ।
- (४) लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य के पदावधि नियुक्ति भए के मिति से ६ वर्ष के होई ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त भए अध्यक्ष औ सदस्य के पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी ।  
लेकिन सदस्य का अध्यक्ष के पद मा नियुक्ति के सकत है औ अस सदस्य अध्यक्ष के पद मा नियुक्ति भए पर उनकै पदावधि गणना करत मा सदस्य पद मा भए के अवधि का समेत जोड के गणना किया जाई ।
- (६) उपधारा (४) मा जो भी लिखा होय पर निचे लिखा कोई अवस्था मा भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य के पद रिक्त (खाली) होई:-  
(क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,  
(ख) उनकै उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,  
(ग) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए पर,  
(घ) शारीरिक वा मानसिक अवस्था के कारण सेवामा रहिके कार्य सम्पादन करै के असमर्थ है कहिके संवैधानिक परिषद के सिफारिस से राष्ट्रपतिद्वारा पद मुक्त किहे पर,  
(ङ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (७) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद मा नियुक्ति के खातिर योग्य होईहै:-

- (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त किये का,  
 (ख) नियुक्ति होय के समय कवनौ राजनैतिक दल के सदस्य न भवा,  
 (ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भवा का,  
 (घ) उच्च नैतिक चरित्र भवा का ।
- (द) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पारिश्रमिक और सेवा के सर्त संघीय कानून अनुसार होई । लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने पदमा कार्यरत रहे तक उनका समस्या परै के हिसाब से पारिश्रमिक और सेवा के सर्त परिवर्तन न किया जाई ।  
 लेकिन चरम आर्थिक संकट के कारण संकटकाल घोषणा भए के अवस्था मइहा यी व्यवस्था लागु न होई ।
- (९) लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होय चुके व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा ग्राह्य न होईहै ।  
 लेकिन कोई राजनैतिक पद मइहा वा कोई विषय के अनुसन्धान, जाँच परताल वा छानबिन करै के वा कोई विषय के अध्ययन वा अन्वेषण कइके राय, सलाह, सिफारिस करै खातिर कोई पद मइहा नियुक्त होय के काम करय का यी उपधारा मइहा लिखा कोई वात से बाधा पहुचावत न मना जाई ।

### २४३. लोक सेवा आयोग के काम कर्तव्य अधिकार :

- (१) निजामती सेवा के पद मा नियुक्ति के खातिर उपयुक्त (योग्य) उम्मेदवार के छटनी करैक, परीक्षा सञ्चालन करै के लोक सेवा आयोग के कर्तव्य होई ।  
**स्पष्टीकरण :** यी धारा के प्रयोजन के खातिर निजामती सेवा पद माने सैनिक वा नेपाल प्रहरी, वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के कर्मचारी के सेवा के पद तथा निजामती सेवा के पद न होय कहिके ऐन (कानून) अनुसार निश्चित किया अन्य सेवा के पद के अलावा नेपाल सरकार के और सब सेवा के पदका समझै के परी ।
- (२) निजामती सेवा के पद के अलावा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा और संगठित संस्था के पदमा पदपूर्ति के खातिर लेय वाला लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोग ही सञ्चालन करी ।  
**स्पष्टीकरण :** यी धारा के प्रायोजन के खातिर संगठित संस्था माने विश्वविद्यालय, और शिक्षक सेवा आयोग के अलावा पचास प्रतिशत वा

- उस से ज्यादा शेर्यर वा धन सम्पति मा नेपाल सरकार के स्वामित्व वा नियन्त्रण भवा के संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून अनुसार स्थापित वा नेपाल सरकार से गठित आयोग संस्थान प्राधिकरण निगम प्रतिष्ठान बोर्ड केन्द्र परिषद और यही प्रकृति के अन्य संगठित संस्था समझैक परी ।
- (३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल और अन्य संघीय सरकारी सेवा के पद मा पदोन्नति करत के अपनावै वाला सामान्य सिद्धान्त के विषय मा लोक सेवा आयोग के परामर्श लेयक परी ।
- (४) कोई संगठित संस्था के सेवा के कर्मचारी के सेवा के सर्त सम्बन्धी कानून और वस सेवा के पद मा पदोन्नति अथवा विभागीय कारवाई करत मा अपनावै वाला सामान्य सिद्धान्त के विषय मा लोक सेवा आयोग के परामर्श लेयक परी ।
- (५) नेपाल सरकार से निवृत्तिभरण (पेन्सन) पावै वाले पद मा लोक सेवा आयोग के परामर्श के बिना स्थाई नियुक्ति न किया जाई ।
- (६) नीचे लिखा विषय मइहा लोक सेवा आयोग के परामर्श लेयक परी:-  
 (क) संघीय निजामति सेवा के सर्त सम्बन्धी कानून के विषय मा,  
 (ख) संघीय निजामति सेवा वा पद मइहा नियुक्ति पदोन्नति और विभागीय कारवाई करत मा अपनावै परय वाले सिद्धान्त के विषयमा,  
 (ग) संघीय निजामती सेवा के पदमा ६ महिना से ज्यादा समय के खातिर नियुक्ति करत मा उम्मेदवार के उपयुक्तता के विषयमा,  
 (घ) कोई एक प्रकार के संघीय निजामति सेवा के पद से दोसर मेर के संघीय निजामती सेवा के पद मा अथवा अन्य सरकारी सेवा से संघीय निजामती सेवा मा स्थानान्तरण (सरुवा) वा पदोन्नति (बहुवा) करत वा कोई प्रदेश के निजामती सेवा के पद से संघीय निजामती सेवा के पद मा वा संघीय निजामति सेवा के पद से प्रदेश निजामति सेवा के पद मा सेवा परिवर्तन स्थानान्तरण करत के उम्मेदवार के उपयुक्तता के विषय मा,  
 (ङ) लोक सेवा आयोग के परामर्श लेयक न परै वाले अवस्था के पद मा कार्यरत रहा कर्मचारी का लोक सेवा आयोग के परामर्श लेयक परै वाले अवस्था के पद मइहा स्थायी स्थानान्तरण वा पदोन्नति करै वाले विषयमा,  
 (च) संघीय निजामती सेवा के कर्मचारीका देयवाला विभागीय सजाय के विषय मा ।

- (७) उपधारा (६) मइहा जवन भी लिखा होय के बावजूद धारा १५४ अनुसार न्याय सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर परै वाले विषय मा वही अनुसार होई ।
- (८) लोक सेवा आयोग भी अपने काम कर्तव्य अधिकार मे से कोई काम कर्तव्य औ अधिकार का आयोग के अध्यक्ष वा कोई सदस्य वा नेपाल सरकार के कर्मचारी का निर्णय किए सर्त के अधिन मा रहिके प्रयोग तथा पालन करै के खातिर प्रत्योजन के सकत है ।
- (९) लोक सेवा आयोग के अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार संघीय कानून अनुसार होई ।

**२४४. प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था :**

- (१) प्रत्येक प्रदेश मा प्रदेश लोक सेवा आयोग रही ।
- (२) प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन काम कर्तव्य औ अधिकार प्रदेश कानून अनुसार होई ।
- (३) उपधारा (२) के प्रयोजन के खातिर संघीय संसद ही कानून बनाय के आधार औ मापदण्ड निर्धारण करि है ।

**२४५. निर्वाचन आयोग :**

- (१) नेपाल मइहा एक निर्वाचन आयोग रहिहै, जिमा प्रमुख आयुक्त औ अन्य चार जने आयुक्त रहिहै । प्रमुख निर्वाचन ही निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होइ के काम करिहै ।
- (२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त औ के नियुक्ति करिहै ।
- (३) प्रमुख निर्वाचन औ निर्वाचन आयुक्त के पदावधी नियुक्ति भए से मिति से ६ वर्ष के होई ।
- (४) उपधारा (३) मा जो कुछ लिखा होयके बावजूद नीचे लिखा कोई अवस्था मइहा प्रमुख निर्वाचन औ निर्वाचन के पद रिक्त (खाली) होई:-
- (क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उनके उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,
- (ग) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महाअभियोग पारित भए पर,
- (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थाता के कारण सेवामा रहि के कार्य सम्पादन करै के असमर्थ है कहि के संवैधानिक परिषद के सिफारिस मा राष्ट्रपतिद्वारा पदमुक्त किहे पर,
- (ङ) उनके मृत्यु भए पर ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी ।
- लेकिन प्रमुख निर्वाचन के पद मइहा अन्य आयुक्त के नियुक्ति के सकत है । औ वस प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त भए पर उनके पदावधी गणना करतमा आयुक्त भए के अवधि का समेत जोड के गणना किया जाई ।
- (६) निचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति प्रमुख निर्वाचन के पद मइहा नियुक्ति के खातिर योग्य होइहै:-
- (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधी प्राप्त किहे का,
- (ख) नियुक्ति होय के समय कोई भी राजनैतिक दल के सदस्य न रहा का,
- (ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भवा का,
- (घ) उच्च नैतिक चरित्र भवा का ।

- (७) प्रमुख निर्वाचन कै पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त संघीय कानून अनुसार होई । प्रमुख निर्वाचन आयक्त अपने पदमा कार्यरत रहेतक उनका समस्या परै के हिसाव से पारिश्रमिक औ सेवा के सर्त का परिवर्तन न किया जाई । लेकिन चरम आर्थिक संकट के कारण संकटकाल घोषणा भए के अवस्थामा यी व्यवस्था लागु न होई ।
- (द) निर्वाचन आयोग कै प्रमुख निर्वाचन होय चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति के खारित ग्राह्य न होई । लेकिन कोई राजनैतिक पद मइहा वा कोई विषय कै अनुसन्धान, जाँच परताल, वा छानविन करै के वा कोई विषय कै अध्ययन वा अन्वेषण कइके राय, मन्तव्य वा सिफारिस करै खातिर कवनौ पदमा नियुक्त होईके काम करयक यी उपधारा मा लिखा कोई बात से बाधा अडचन पहुँचावै के न माना जाई ।

**२४६. निर्वाचन आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार :**

- (१) निर्वाचन आयोग ही यी संविधान औ संघीय कानून के अधिनमा रहिके राष्ट्रपति संघीय संसद, कै सदस्य प्रदेश सभा के सदस्य, स्थानीय तह कै सदस्य कै निर्वाचन कै सञ्चालन देख रेख निर्देशन औ नियन्त्रण करिहै । निर्वाचन के प्रयोजन के खातिर मतदाता कै नामावली तयार करै कै कामौ निर्वाचन आयोग करी ।
- (२) निर्वाचन आयोग ही यी संविधान औ संघीय कानून अनुसार राष्ट्रिय महत्व के विषयमा जनमत संग्रह कराई ।
- (३) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद कै सदस्य प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तह कै सदस्य के खातिर उम्मेदवारी कै मनोनयन दर्ता होय चुका लेकिन निर्वाचन कै परिणाम घोषणा होय न चुके के अवस्था मइहा कोई उम्मेदवार के योग्यता के सम्बन्ध मइहा कोई प्रश्न उठेपर वहकै निर्णय निर्वाचन आयोग ही करीहै ।
- (४) निर्वाचन आयोग ही अपने काम कर्तव्य औ अधिकार मैसे कोई काम कर्तव्य अधिकार प्रमुख निर्वाचन वा सरकारी कर्मचारी का निर्धारित सर्त के अधिन मारहि के प्रयोग तथा पालन करै के खातिर प्रत्यायोजन कै सकत है ।
- (५) निर्वाचन आयोग कै अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अनुसार होई ।

**२४७. आवश्यक सहयोग करैक परी :** यी संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगका अपन काम पूरा करै खातिर आवश्यक परै वाला कर्मचारी औ अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार औ स्थानीय सरकार भी उपलब्ध करईहै ।

**२४८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग :**

- (१) नेपाल मइहा एक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रही, जेहमा अध्यक्ष औ अन्य चार जने सदस्य रहिहै ।
- (२) राष्ट्रपति ही संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै नियुक्ति करिहै ।
- (३) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पदावधि नियुक्ति होय के मिति से ६ वर्ष कै होई ।
- (४) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य कै पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी । लेकिन सदस्य का अध्यक्ष के पद मा नियुक्ति किया जाय सकत है । वस सदस्य अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति भए पर उनकै पदावधि गणना करतमा सदस्य भए के अवधि का भी जोड के गणना किया जाई ।
- (५) उपधारा (३) मा जो भी लिखा होय के बाबजूद नीचे लिखा कोई अवस्था मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै अध्यक्ष वा सदस्य कै पद रिक्त (खाली) होई:-
- (क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उनकै विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महाअभियोग कै प्रस्ताव पारित भए पर,
- (ग) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता के कारण सेवामा रहिके कार्य सम्पादन करै मा असमर्थ है कहिके संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रपति से पद मुक्त भए पर,
- (घ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (६) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै अध्यक्ष वा सदस्य के पद पर नियुक्ति के खातिर योग्य होईहै:-
- (क) अध्यक्ष के हक मा मानव अधिकार के संरक्षण औ सम्बर्द्धन के क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिहे प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत व्यक्ति वा मानव अधिकार के संरक्षण औ सम्बर्द्धन वा राष्ट्रिय जीवन के विभिन्न क्षेत्रमा कम से कम बीस वर्ष क्रियाशील रहिके विशिष्ट योगदान दिहे ख्याती प्राप्त किहे का,

- (ख) सदस्य के हक मा मानव अधिकार संरक्षण औ सम्बद्धन बालबलिका के हकहित के क्षेत्र मइहा कार्यरत वा राष्ट्रिय जीवन के विभिन्न क्षेत्र मइहा कम से कम बीस वर्ष क्रियाशील रहि कै विशिष्ट योगदान दिहे ख्याति प्राप्त किहे का,
- (ग) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधी हासिल किहे का
- (घ) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा किहे का,
- (ङ) नियुक्ति होयक समय राजनैतिक दल कै सदस्य न रहा का,
- (च) उच्च नैतिक चरित्र भवा का ।
- (७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त संघीय कानून अनुसार होई । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य अपने पद पर कार्यरत रहेतक उनका समस्या परैवाले अवस्था तक पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त परिवर्तन न किया जाई । लेकिन चरम आर्थिक विश्रुखलता (अभाव) के कारण संकटकाल घोषणा भए के अवस्था मइहा यी व्यवस्था लागु न होई ।
- (न) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै अध्यक्ष वा सदस्य होय चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवा मइहा ग्राहय न होई । लेकिन कोई राजनैतिक पदमा वा कोई विषय कै अनुसन्धान, जाँच परताल अथवा छानबिन करैक वा कोई विषयकै अध्ययन अन्वेषण कइके राय, सल्लाह, मन्तव्य अथवा सिफारिस पेश करयक कोई पदमा नियुक्त होय के काम करयक यी उपधारा मइहा लिखा कोई वात से बाधा अवरोध पहुचावै के न माना जाई ।

#### २४९. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार :

- (१) मानव अधिकार कै सम्मान संरक्षण औ सम्बद्धन तथा वहकै प्रभावकारी कार्यान्वयन का सुनिश्चित करैक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कै कर्तव्य होई ।
- (२) उपधारा (१) मा उल्लेखित कर्तव्य पूरा करै खातिर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नीचे लिखा अनुसार कै काम करिहै:-
- (क) कोई व्यक्ति वा समूह के मानव अधिकार उल्लंघन अथवा वहकै दुरुत्साहन भए पर पीडित अपनै वा वहके तर्फ से कोई भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित किहे निवेदन वा उजुरी वा कोई भी स्रोत से आयोग का प्राप्त भवा वा आयोग के जानकारी मा आयेके विषय मइहा छानबिन औ अनुसन्धान कइके दोषी के उपर कारवाई करयक सिफारिस करै का,

- (ख) मानव अधिकार कै उल्लंघन होय से रोकैक जुम्मेवारी वा कर्तव्य भवा पदाधिकारी हि अपन जुम्मेदारी पूरा न किहे वा कर्तव्य पालन न किहे पर वा जुम्मेदारी पूरा करयक वा कर्तव्य पालन करैमा उदासीनता देखाए पर वस पदाधिकारी के उपर विभागीय कारवाई करैक सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस करैक,
- (ग) मानव अधिकार उल्लंघन करै वाले व्यक्ति वा संस्था के विरुद्ध मुकदमा चलावैक आवश्यकता भए पर कानून अनुसार अदालत मइहा मुकदमा दायर करयक सिफारिस करैक,
- (घ) मानव अधिकार कै चेतना बढावैक नागरिक समाज से समन्वय औ सहकार्य करैक,
- (ङ) मानव अधिकार के उल्लंघनकर्ता का विभागीय कारवाई तथा सजाय करैक कारण आधार खोल के सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस करयक,
- (च) मानव अधिकार से सम्बन्धित कानून का अध्यावधिक रूपसे पुनरावलोकन करैक औ वहमा सुधार वा संशोधन के सम्बन्ध मा नेपाल सरकार के समक्ष सिफारिस करयक,
- (छ) मानव अधिकार से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौता कै नेपाल पक्ष बनै वाला भए पर वहकै कारण सहित नेपाल सरकार का सिफारिस करैक औ नेपाल पक्ष बनि सके सन्धी सम्झौता कै कार्यान्वयन भवा कि नाई भवा अनुगमन कइके कार्यान्वयन न भए पर वहकै कार्यान्वयन करैक नेपाल सरकार के समक्ष सिफारिस करयक,
- (ज) मानव अधिकार के उल्लंघन के सम्बन्ध मइहा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग से किया गवा सिफारिस वा निर्देशन कै पालना वा कार्यान्वयन न करैवाले पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकाय कै नाम कानून अनुसार सार्वजनिक कइके मानव अधिकार उल्लंघन कर्ता के रूपमा अभिलेख राखैक ।
- (३) मानव अधिकार आयोग आपन कार्य सम्पादन करत मा वा कर्तव्य पालन करत मा नीचे लिखा अनुसार अधिकार प्रयोग कै सकत है:-
- (क) कोई व्यक्ति का आयोग के समक्ष उपस्थित कराय के जानकारी वा बयान लेयक वा बकपत्र करावैक, प्रमाण देखैक, दशी प्रमाण दाखिल करैक लगावैक के सम्बन्धमा अदालत का भवा अनुसार के अधिकार प्रयोग करयक,

**भाग २६**  
**राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग**

- (ख) मानव अधिकार के गम्भीर उल्लंघन होय वाला वा होय गवा के सूचना आयोग का कोई भी किसिम से प्राप्त किहे पर कोई व्यक्ति वा उनके घर वा कार्यालय मा बिना सूचना प्रवेश करयुक तलासी लेयक औ वस खान तलासी (तलासी) लेत मा मानव अधिकार के उल्लंघन से सम्बन्धित लिखित प्रमाण वा सबुत अपने कब्जा मा लेयक,
- (ग) कोई व्यक्ति के मानव अधिकार उल्लंघन होय रहै के वात जानकारी होय के तत्काल कारवाई करैक, आवश्यक रहे पर बिना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य जगहमा प्रवेश करैक औ उद्धार करैक,
- (घ) मानव अधिकार के उल्लंघन से पीडित का कानून अनुसार क्षतिपूर्ति देय के आदेश देयक ।
- (४) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भी अपने काम कर्तव्य औ अधिकार मे से कोई काम कर्तव्य औ अधिकार वही आयोग के अध्यक्ष कोई सदस्यका वा नेपाल सरकार के कर्मचारी का दिया गवा सर्त के अधिन मा रहिके प्रयोग तथा पालन करै के लिए प्रत्यायोजन के है ।
- (५) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून के अनुसार होई ।

**२५०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग :**

- (१) नेपाल मइहा एक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रही, जिमा अध्यक्ष सहित ज्यादा से ज्यादा पाँच जने सदस्य रहिहै ।
- (२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस से राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य के नियुक्ति करिहै ।
- (३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य के पदावधि नियुक्ती मिति से ६ वर्ष के होई ।
- (४) उपधारा (३) मा जो भी लिखा होय के बावजूद नीचे लिखा कवनौ अवस्थामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य के पद रिक्त (खाली) होई:-
- (क) ऊ अपने राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उनके उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,
- (ग) उनके विरुद्ध १०१ अनुसार महाअभियोग के प्रस्ताव पारित भए पर,
- (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्था के कारण सेवा मा रहिके कार्य सम्पादन करै मा अस्मर्थ है कहि के संवैधानिक परिषद के सिफारिस से राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त पद मुक्त किहे पर,
- (ङ) उनके मृत्यु भए पर ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य के पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी ।  
लेकिन सदस्य का अध्यक्ष के पदमा नियुक्ति के सकत है औ वस सदस्य अध्यक्ष के पद मा नियुक्ति भए पर उनके पदावधि गणना करत मा सदस्य भए के अवधि का समेत जोड के गणना किया जाई ।
- (६) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य पद मा नियुक्ति के खातिर योग्य होई:-
- (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से सम्बन्धित विषय मइहा स्नातक के उपाधी हासिल कइके प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन के क्षेत्र मइहा कम से कम बीस वर्ष क्रियाशील रहि के विशेषज्ञता हासिल किहा,
- (ख) नियुक्ति होय के समय कोई राजनैतिक दल के सदस्य न रहा,
- (ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भवा का,

(घ) उच्च नैतिक चरित्र भवा का ।

- (७) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य के पारिश्रमिक औ सेवा के सर्त संघीय कानून अनुसार होई औ वै सब कार्यरत रहेतक उनका कठिनाई परै के हिसाब से पारिश्रमिक औ सेवा के सर्त परिवर्तन न किया जाई ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रुंखलता (समस्या) के कारण संकटकाल घोषणा भएके अवस्था मा यी व्यवस्था लागु न होई ।

- (८) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य होय चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति के खातिर ग्राह्य न होई । लेकिन कोई राजनैतिक पद मा वा कोई विषय के अनुसन्धान जाँच परताल वा छानबिन करयक वा कोई विषय के अध्ययन अन्वेषण कइके राय, सलाह मन्तव्य वा सिफारिस करै के खातिर कोई पदमा नियुक्त होइके काम करै मा यी उपधारा मइहा लिखा कोई वात से बाधा ( अडचन) पहुचावत है कहिके न माना जाई ।

#### २५१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के काम कर्तव्य औ अधिकार :

- (१) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के काम कर्तव्य औ अधिकार नीचे लिखा अनुसार होई:-

- (क) संविधान औ कानून अनुसार संघीय संचित कोष से संघ, प्रदेश औ स्थानीय सरकार के बीच राजश्व के बाट बटैया करयक विस्तृत आधार ढाचा निर्धारण करयक,
- (ख) संघीय संचित कोष से प्रदेश औ स्थानीय सरकार का प्रदान करैवाला समानीकरण अनुदान के सम्बन्ध मा सिफारिस करैक,
- (ग) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक पूर्वाधार के अवस्था अनुसार प्रदेश औ स्थानीय सरकार का प्रदान करै वाला सशर्त अनुदान के सम्बन्ध मा अध्ययन अनुसन्धान कइके आधार तयार करैक,
- (घ) प्रदेश संचित कोष से प्रदेश औ स्थानीय सरकार के बीच राजश्व के बाट बटैया करयक विस्तृत आधार ढाचा निर्धारण रकयक,
- (ङ) संघ प्रदेश औ स्थानीय सरकार के खर्च जिम्मेवारी पूरा करयक औ राजश्व असुली मा सुधार करै वाले उपाय के सिफारिस करयक,
- (च) समष्टिगत आर्थिक सुचकांक के विश्लेषण कइके संघ प्रदेश औ स्थानीय सरकार लै सकै वाला आन्तरिक ऋण के सीमा सिफारिस करयक,

- (छ) संघ औ प्रदेश सरकार के राजश्व बांट बटैया के आधार का पुनरावलोकन कइके परिमार्जन के सिफारिस करयक,
- (ज) प्राकृतिक स्रोत के परिचालन करत मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार औ स्थानीय तह के लगानी तथा प्रतिफल के हिस्सा निर्धारण के आधार तय कइके सिफारिस करयक,
- (झ) प्राकृतिक स्रोत के बाट बटैया सम्बन्धी विषयमा संघ औ प्रदेश, प्रदेश औ प्रदेश, प्रदेश औ स्थानीय तह तथा स्थानीय तह के बीच उठ सकै वाला सम्भावित विवाद के विषय मा अध्ययन अनुसन्धान कइके वहके निवारण करै खातिर समन्वययात्मक रूपमा काम करयक सुभाव (सलाह) देयक ।

- (२) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्राकृतिक स्रोत के बाट बटैया करतमा उसे सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन सम्बन्ध मा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान कइके नेपाल सरकार का सिफारिस करिहै ।
- (३) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार प्राकृतिक स्रोत के परिचालन करत मा वा राजश्व के बाट बटैया करतमा अपनावै वाला विस्तृत आधार, आयोग के पदाधिकारी के सेवा सर्त समेत अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**भाग २७**  
**अन्य आयोग**

**२५२. राष्ट्रिय महिला आयोग :**

- (१) नेपाल मइहा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रही जेहमा अध्यक्ष औ चार जने सदस्य रहिहै ।
- (२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रिय महिला आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य कै नियुक्ति करिहै ।
- (३) राष्ट्रिय महिला आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पदावधि नियुक्ति भएके मिति से ६ वर्ष कै होई ।
- (४) उपधारा (३) मा जवन भी लिखा होय फिर भी निचे लिखा कवनौ अवस्था मा राष्ट्रिय महिला आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य कै पद रिक्त (खाली) होई:-
  - (क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
  - (ख) उनकै उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,
  - (ग) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महाअभियोग कै प्रस्ताव पारित भए पर,
  - (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्था के कारण सेवामा रहिके कार्य सम्पादन करैमा असमर्थ है कहिके संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रपति से पद मुक्त किहे पर,
  - (ङ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य कै पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी ।

लेकिन सदस्यका अध्यक्ष के पदमा नियुक्ति कीन जाय सकत है औ वस सदस्य अध्यक्ष के पदमा नियुक्ति भए पर उनकै पदावधि गणना करतमा सदस्य भए के अवधि का समेत जोड के गणना किया जाई ।
- (६) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति राष्ट्रिय महिला आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य के पद के खातिर योग्य होईहै :-
  - (क) कम से कम दश वर्ष महिला के हक हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार औ कानून के क्षेत्र मइहा महत्वपूर्ण योगदान पहुचायवैवाली महिला,
  - (ख) अध्यक्ष के हक मा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधी हासिल किहे का,

- (ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा किहे का,
  - (घ) नियुक्ति होय के समय कवनौ राजनैतिक दल के सदस्य न रह का
  - (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भवा का ।
- (७) राष्ट्रिय महिला आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त संघीय कानून अनुसार होई औ उन सब कार्यरत रहे तक उनका कठिनाई परै वाला अवस्था तक पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त परिवर्तन किया जाई ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्र्लता (अभाव) के कारण संकटकाल घोषणा भए के अवस्था मा यी व्यवस्था लागु न होई ।
- (८) राष्ट्रिय महिला आयोग कै अध्यक्ष सदस्य होई चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति के खारित ग्राहय न होई ।

लेकिन कोई राजनैतिक पद मइहा वा कोई विषय कै अनुसन्धान जाँच परताल वा छानबिन करैक वा कोई विषय के अध्ययन अन्वेषण कइके राय मन्तव्य सलाह वा सिफारिस पेश करैक, कोई पद मा नियुक्त होय के काम करयक यी उपधारा मा लिखा कोई बात से बाधा (अवरोध) पहुचावा न माना जाई ।

**२५३. राष्ट्रिय महिला आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार :**

- (१) राष्ट्रिय महिला आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार नीचे लिखा अनुसार होई:-
  - (क) महिला के हक हित से सरोकार राखैवाला नीति तथा कार्यक्रम कै तर्जुमा (निर्माण) कइके कार्यान्वयन के खातिर नेपाल सरकार के समक्ष पेश करयक,
  - (ख) महिला के हकहित से सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौता अन्तर्गत कै दायित्व कार्यान्वयन भवा न भवा के विषय मा अनुगमन कयके वह कै प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयन के उपाय सहित नेपाल सरकारका सुझाव देयक,
  - (ग) महिला का राष्ट्रिय विकास के मूल प्रवाहमा समाहित करयक तथा राज्य के सब निकाय मा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित करयक मौजुदा नीति तथा कार्यक्रम कै समीक्षा अनुगमन औ मूल्याकन करयक औ वहकै प्रभावकारी कार्यान्वयन के खातिर नेपाल सरकार का सिफारिस करयक,
  - (घ) लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा महिला से सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था के अध्ययन अनुसन्धान कइके वस कानून मा

करैवाला सुधार के सम्बन्ध मइहा सम्बन्धित निकाय का सिफारिस करयक औ वहकै अनुगमन करयक,

(ड) महिला अधिकार से सम्बन्धित नेपाल पक्ष भवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौता मे भवा व्यवस्था अनुसार नेपाल से पठवै वाला प्रतिवेदन के तयारी के सम्बन्ध मा नेपाल सरकार का सुझाव देयक,

(च) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरिती से पीडित भवा वा महिला अधिकार प्रयोग करै न दिहे वा बन्चित करयक विषय मा कोई व्यक्ति वा संस्था के विरुद्ध मुकदमा दायर करयक आवश्यकता भए पर कानून अनुसार अदालत मइहा मुकदमा दायर करै खातिर सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस करयक ।

(२) राष्ट्रिय महिला आयोग अपन काम कर्तव्य औ अधिकार मध्ये कोई काम कर्तव्य वा अधिकार आयोग कै अध्यक्ष कोई सदस्य का वा नेपाल सरकार के कोई कर्मचारी का निर्णय किए सर्त के अधिन मा रहिके प्रयोग तथा पालन करै के खातिर प्रत्यायोजन कै सकत है ।

(३) राष्ट्रिय महिला आयोग कै अन्य काम कर्तव्य अधिकार औ वह से सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**२५४. प्रदेशमा कार्यालय स्थापना कै सकत है :** राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेश मइहा अपन कार्यालय स्थापना कै सकत है ।

**२५५. राष्ट्रिय दलित आयोग :**

(१) नेपाल मइहा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रही जिमा अध्यक्ष औ चार जने सदस्य रहि है ।

(२) राष्ट्रपति ही संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रिय दलित आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै नियुक्ति करिहै ।

(३) राष्ट्रिय दलित आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पदावधी नियुक्ति होय के मिति से ६ वर्ष कै होई ।

(४) उपधारा (३) मइहा जो भी लिखा होय के बावजूद नीचे लिखा कोई अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य कै पद रिक्त होई:-

(क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,

(ख) उनकै उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,

(ग) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महाभियोग कै प्रस्ताव पास भए पर,

(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्था के कारण सेवामा रहिके कार्य सम्पादन करै मा असमर्थ है कहिके संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रपति से पद मुक्त भए पर,

(ङ) उनकै मृत्यु भए पर ।

(५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य कै पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी ।

लेकिन सदस्य का अध्यक्ष के पद मा नियुक्ति कै सकत है । अस सदस्य अध्यक्ष के पदमा नियुक्त भए पर उनके पदावधी कै गणना करत मा सदस्य भए के अवधि का समेत जोड के गणना किया जाई ।

(६) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति राष्ट्रिय दलित आयोग कै अध्यक्ष वा सदस्य के पदमा नियुक्ति के खातिर योग्य होइहै:-

(क) कम से कम दश वर्ष दलित समुदाय कै हकहित वा मानव अधिकार औ कानून के क्षेत्र मइहा महत्वपूर्ण योगदान पहुचावा दलित,

(ख) अध्यक्ष के हक मा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से कम से कम स्नातक कै उपाधी प्राप्त किहे का,

(ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भवा का,

(घ) नियुक्ति होय के समय कोई राजनैतिक दल कै सदस्य न रहे का,

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भवा ।

(७) राष्ट्रिय दलित आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त संघीय कानून अनुसार होई । औ उनका समस्या परै के हिसाब से पारिश्रमिक औ सेवा के सर्त मा परिवर्तन न किया जाई ।

लेकिन चरम आर्थिक विश्र्वलता (समस्या) के कारण संकटकाल घोषणा भए के अवस्थामा यी व्यवस्था लागु न होई ।

(८) राष्ट्रिय दलित आयोग कै अध्यक्ष वा सदस्य होय चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति के खातिर ग्राह्य न होई ।

लेकिन कोई राजनैतिक पदमा वा कोई विषय कै अनुसन्धान जांच परताल वा छानबिन करैक वा कोई विषय कै अध्ययन वा अन्वेषण कइके राय सलह मन्तव्य वा सिफारिस करैक कोई पद मइहा नियुक्त होइके काम करयक यी उपधारा मा लिखा कोई बात से बाधा (अवरोध) पहुचायवैक न माना जाई ।

**२५६. राष्ट्रिय दलित आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार :**

(१) राष्ट्रिय दलित आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार नीचे लिखा अनुसार होई:-

- (क) दलित समुदाय के समग्र स्थिति के अध्ययन तथा अन्वेषण कइके तत सम्बन्ध मइहा करै वाला नीतिगत कानूनी औ संस्थागत सुधार के विषय पहिचान के के नेपाल सरकार का सिफारिस करयक,
- (ख) जातीय छुवाछुत उत्पीडन औ विभेद के अन्त के के दलित उत्थान औ विकास के खातिर दलित हित से सरोकार का राख्य वाला राष्ट्रिय नीति औ कार्यक्रम के तयारी के के कार्यान्वयन के खातिर नेपाल सरकार समक्ष पेश करैक,
- (ग) दलित समुदाय के उत्थान औ हित मा भवा विशेष व्यवस्था समेत दलित हित से सम्बन्धित कानून के प्रभावकारी रुप मा पालन भवा न भवा के विषय मा अनुगमन कइके पालना वा कार्यान्वयन न भए पर वह के पालना वा कार्यान्वयन के खातिर नेपाल सरकार समक्ष सुझाव देयक,
- (घ) दलित समुदाय के अधिकार से सम्बन्धित नेपाल पक्ष भवा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौता मे भवा व्यवस्था अनुसार नेपाल से पठवै वाला प्रतिवेदन तयारी के सम्बन्ध मा नेपाल सरकार का सुझाव देयक,
- (ङ) दलित समुदाय का राष्ट्रिय विकास के मूल प्रवाह मा समाहित करैक तथा राज्य के सब अंगन मा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित करयक मौजूदा नीति तथा कार्यक्रम के समीक्षा अनुगमन मूल्यांकन करैक औ वहके प्रभावकारी कार्यान्वयन के खातिर नेपाल सरकार का सिफारिस करयक,
- (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत वा सामाजिक कुरिती से पीडित भवा वा दलित हक प्रयोग करयक नदिहे का वा बन्चित किहे के विषय मा कोई व्यक्ति वा संस्था के विरुद्ध मुकदमा दायर करै के आवश्यकता देखे पर कानून अनुसार अदालत मइहा मुकद मा दायर करै खातिर सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस कर ।
- (२) राष्ट्रिय दलित आयोग अपने काम कर्तव्य औ अधिकार मे से कोई काम कर्तव्य औ अधिकार का आयोग के अध्यक्ष कोई सदस्य का वा नेपाल सरकार के कोई कर्मचारी का निश्चित किहा सर्त के अधिन मा रहिके प्रयोग तथा पालन करै के खातिर प्रत्यायोजन के सकत है ।
- (३) राष्ट्रिय दलित आयोग के अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार तथा तत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**२५७. प्रदेश मइहा कार्यालय स्थापना के सकै :** राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेश मा अपन कार्यालय स्थापना के सकत है ।

**२५८. राष्ट्रिय समावेशी आयोग :**

- (१) नेपाल मइहा एक राष्ट्रिय समावेशी आयोग रही जेहमा अध्यक्ष औ अन्य चार जने तक सदस्य रहिहै ।
- (२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर राष्ट्रिय समावेशी आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य के नियुक्ति करिहै ।
- (३) राष्ट्रिय समावेशी आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य के पदावधी नियुक्ति होय के मिति से ६ वर्ष के होई ।
- (४) उपधारा (३) मइहा जो भी लिखा होय के बाबजूद नीचे लिखा कोई अवस्थामा राष्ट्रिय समावेशी आयोग के अध्यक्ष औ सदस्य के पद रिक्त (खाली) भवा माना जाई:-
- (क) ऊ अपनै राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उनके उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,
- (ग) उनके विरुद्ध धारा १०१ अनुसार महा अभियोग के प्रस्ताव पास भए पर,
- (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्था के कारण सेवामा रहि के कार्य सम्पादन करै मा असमर्थ है कहिके संवैधानिक परिषद् के सिफारिस पर राष्ट्रपति से पद मुक्त भए पर,
- (ङ) उनके मृत्यु भए पर ।
- (५) उपधारा (२) अनुसार नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्य के पुनः (फिर से) नियुक्ति न होय सकी ।
- लेकिन सदस्य का अध्यक्ष पदमा नियुक्ति किया जाय सकत है । अस सदस्य अध्यक्ष के पद मइहा नियुक्ति भए पर उनके पदावधी गणना करत मा सदस्य भए के अवधि का समेत जोड के गणना किया जाई ।
- (६) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य के पदमा नियुक्ति होयक योग्य होईहै:-
- (क) कम से कम दश वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपांगता भए व्यक्ति अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय औ पिछे परा क्षेत्र औ वर्ग के हकहित वा विकास वा मानव अधिकार के क्षेत्र मइहा महत्वपूर्ण योगदान दिहा का,
- (ख) अध्यक्ष के हक मा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधी हासिल किहे का,

- (ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भवा का,  
 (घ) नियुक्ति होयक समय कोई राजनैतिक दल कै सदस्य न रहा का,  
 (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भवा का।

(७) राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त संघीय कानून अनुसार होई औ ऊ कार्यरत रहेतक उनका समस्या होय कै के हिसाब से पारिश्रमिक औ सेवा के सर्त का परिवर्तन न किया जाई।

लेकिन चरम आर्थिक विश्रुंखलता (समस्या) के कारण संकटकाल घोषणा भएके अवस्था मा यी व्यवस्था लागु न होई।

(८) राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै अध्यक्ष वा सदस्य होय चुका व्यक्ति अन्य सरकारी सेवा मा नियुक्ति के खातिर ग्राह्य न होई है।

लेकिन कोई राजनैतिक पद मा कोई विषय कै अनुसन्धान जांच परताल वा छानबिन करैक वा कोई विषय कै अध्ययन वा अन्वेषण कइके राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश करैक, कोई पदमा नियुक्त होइके काम करयक यी उपधारा मइहा लिखा कोई वात से बाधा अवरोध पहुचावा न माना जाई।

### २५९. राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार :

(१) राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार नीचे लिखा अनुसार होई:-

(क) खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भवा व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय, तथा पिछडा वर्ग कर्णाली तथा आर्थिक रुप से विपन्न वर्ग समेत समुदाय कै हक अधिकार के संरक्षण के खातिर अध्ययन तथा अनुसन्धान करयक,

(ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय वर्ग औ क्षेत्र कै समावेशीकरण के खातिर नेपाल सरकार से अवलम्बन किहा नीति तथा कानून कै कार्यान्वयन के अवस्था कै अध्ययन कइके सुधार के खातिर नेपाल सरकार का सुझाव देयक,

(ग) खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय वर्ग औ क्षेत्र के राज्य संयन्त्र मा उचित प्रतिनिधित्व भवा न भवा कै अध्ययन कइके अस बस समुदाय वर्ग औ क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के खातिर किहा विशेष व्यवस्था कै पुनरावलोकन कइके नेपाल सरकार का सुझाव देयक,

(घ) खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय वर्ग औ क्षेत्र के संरक्षण सशक्तिकरण औ विकास सन्तोषजनक भवा न भवा कै अध्ययन कइके भविष्य मा अवलम्बन करव जरुरी वाला नीति के सम्बन्ध मा नेपाल सरकार के समक्ष सिफारिस करयक,

(ङ) कर्णाली औ पिछडा क्षेत्र के विकास औ समृद्धि के खातिर अवलम्बन करव जरुरी नीति औ कार्यक्रम के सम्बन्ध मइहा नेपाल सरकार का सुझाव देयक,

(च) अल्पसंख्यक औ सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानून मा समयानुकूल परिमार्जन के खातिर सिफारिस करयक,

(छ) अल्पसंख्यक औ सीमान्तीकृत समुदाय के खातिर प्रत्याभूत हक अधिकार कै कार्यान्वयन के स्थिति कै अनुगमन कइके अद्याधिक रुपमा होयवाला राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सुचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक पुनरावलोकन कइके परिमार्जन खातिर सिफारिस करयक।

(२) राष्ट्रिय समावेशी आयोग अपने काम कर्तव्य औ अधिकार मे से कोई काम कर्तव्य औ अधिकार वही आयोग कै अध्यक्ष कोई सदस्य का वा नेपाल सरकार के कोई कर्मचारी का निश्चित किहा सर्त के अधिन मा रहिके प्रयोग तथा पालन करै खातिर प्रत्यायोजन कै सकत है।

(३) राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै अन्य काम कर्तव्य अधिकार औ तत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई।

२६०. प्रदेश मा कार्यालय स्थापना कै सकैक : राष्ट्रिय समावेशी आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा अपन कार्यालय स्थापना कै सकत है।

### २६१. आदिवासी जनजाति आयोग :

(१) नेपाल मइहा एक आदिवासी जनजाति आयोग रही जेहमा अध्यक्ष औ चार जने तक सदस्य रहि है।

(२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर आदिवासी जनजाति आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै नियुक्ति करिहै।

(३) आदिवासी जनजाति आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पदावधि नियुक्ति भए के मिति से ६ वर्ष कै होई।

(४) आदिवासी जनजाति आयोग कै अध्यक्ष तथा सदस्य कै योग्यता पद रिक्त होयक अवस्था पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त औ अस आयोग कै काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई।

## २६२. मधेसी आयोग :

- (१) नेपाल मइहा एक मधेसी आयोग रही जिमा अध्यक्ष औ अन्य चार जने तक सदस्य रहिहै ।
- (२) राष्ट्रपति संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर मधेसी आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै नियुक्ति करिहै ।
- (३) मधेसी आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै पदावधि नियुक्ति भवा मिति से ६ वर्ष कै होई ।
- (४) मधेसी आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै योग्यता पदरिक्त होय वाला अवस्था पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त, यहि आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

## २६३. थारु आयोग :

- (१) नेपालमा एक थारु आयोग रही जेहमा अध्यक्ष औ चार जने तक सदस्य रहि है ।
- (२) राष्ट्रपति ही संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर थारु आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै नियुक्ति करिहै ।
- (३) थारु आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य कै पदावधि नियुक्ति भए के मिति से ६ वर्ष कै होई ।
- (४) थारु आयोग कै अध्यक्ष तथा सदस्य कै योग्यता पद रिक्त (खाली) होय वाला अवस्था पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त सब यहि आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

## २६४. मुस्लिम आयोग :

- (१) नेपालमा एक मुस्लिम आयोग रही । जेहमा अध्यक्ष औ अन्य चार जने तक सदस्य रहिहै ।
- (२) राष्ट्रपति ही संवैधानिक परिषद के सिफारिस पर मुस्लिम आयोग कै अध्यक्ष औ सदस्य कै नियुक्ति करिहै ।
- (३) मुस्लिम आयोग कै अध्यक्ष तथा सदस्य कै पदावधि नियुक्ति भए के मिति से ६ वर्ष कै होई ।
- (४) मुस्लिम आयोग कै अध्यक्ष तथा सदस्य कै योग्यता, पद रिक्त (खाली) होयक अवस्था पारिश्रमिक औ सेवा कै सर्त, यहि आयोग कै काम, कर्तव्य औ अधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

२६५. आयोग कै पुनरावलोकन : यी भाग अनुसार गठन वा आयोगन कै संघीय संसद यी संविधान प्रारम्भ होय के मिति से दश वर्ष के बाद पुनरावलोकन करिहै ।

## भाग-२८

### राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

## २६६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद :

- (१) नेपाल कै समग्र राष्ट्रिय हित सुरक्षा औ प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण करयक तथा नेपाली सेना का परिचालन वा नियन्त्रण करै के खातिर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद का सिफारिस करयक नीचे लिखा अनुसार अध्यक्ष औ सदस्य रहा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रही ।

(क) प्रधानमन्त्री :	अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकार कै रक्षा मन्त्री :	सदस्य
(ग) नेपाल सरकार कै गृहमन्त्री :	सदस्य
(घ) नेपाल सरकार कै परराष्ट्रमन्त्री :	सदस्य
(ङ) नेपाल सरकार कै अर्थमन्त्री :	सदस्य
(च) नेपाल सरकार कै मुख्य सचिव :	सदस्य
(छ) प्रधाना सेनापति नेपाली सेना :	सदस्य
- (२) रक्षा मन्त्रालय कै सचिव ही राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद कै सदस्य सचिव के रूप में काम करि है ।
- (३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आपन वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश करि । औ राष्ट्रपति भी अस प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री के मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश करयक लगइहै ।
- (४) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

## २६७. नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) नेपाल कै स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता औ राष्ट्रिय एकता के रक्षा के खातिर यी संविधान प्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना कै एक संगठन रही ।
- (२) राष्ट्रपति नेपाली सेना कै परमाधिपति होइहै ।
- (३) नेपाली सेना मइहा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिए के क्षेत्र कै नागरिक कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर संघीय कानून अनुसार सुनिश्चित किया जाई ।
- (४) नेपाल सरकार नेपाली सेना का संघीय कानून अनुसार विकास निर्माण, औ विपद व्यवस्थापन समेत अन्य काम मइहा परिचालन कै सकत है ।

**भाग-२९**  
**राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था**

- (५) राष्ट्रपति मन्त्रीपरिषद के सिफारिस पर प्रधान सेनापति के नियुक्ति और पदमुक्त करिहै ।
- (६) नेपाल के सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता वा कोई भाग के सुरक्षा मा युद्ध बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलता के कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भए पर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद के सिफारिस से नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् के निर्णय अनुसार राष्ट्रपति से नेपाली सेना परिचालन के घोषणा होई । नेपाली सेना परिचालन के घोषणा होय के मिति से एक महिना के भितर प्रतिनिधि सभा से अनुमोदन होयक परी ।
- (७) नेपाली सेना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानून अनुसार होई ।

**२६८. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल और राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था :**

- (१) संघ मइहा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल और राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रही ।
- (२) प्रत्येक प्रदेश मइहा प्रदेश प्रहरी संगठन रही ।
- (३) नेपाल प्रहरी और प्रदेश प्रहरी के सम्पादन करै वाला कार्य के सञ्चालन सुपरीवेक्षण और समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।
- (४) नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल और राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

**२६९. राजनैतिक दल के गठन दर्ता और संचालन :**

- (१) समान राजनैतिक विचार धारा दर्शन और कार्यक्रम मा प्रतिवद्ध व्यक्ति लोग धारा (१७) के उपधारा (२) के खण्ड (ग) अन्तर्गत बना कानून के अधीनमा रहिके राजनैतिक दल गठन कइके संचालन करैक और दल के विचार धारा दर्शन तथा कार्यक्रम के प्रतिजन साधारण के समर्थन और सहयोग प्राप्त करै के खातिर वहके प्रचार प्रसार करै करावैक वा ऊ के प्रयोजन के खातिर अन्य आवश्यक काम के सकत है ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार गठन भवा राजनैतिक दल कानून अनुसार कार्य विधि पूरा कइके निर्वाचन आयोग मैहा दल दर्ता करावैक परी ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार दल दर्ता करावैक प्रयोजन के खातिर निवेदन पेश करत मा सम्बन्धित राजनैतिक दल के विधान और घोषणा पत्र के अलावा संघीय कानून के अनुसार अन्य कागजात पेश करैक परी ।
- (४) उपधारा (२) अनुसार दल दर्ता करैक निवेदन देत समय राजनैतिक दल नीचे लिखा सर्त पूरा करैक परी:-
- (क) राजनैतिक दल के विधान और नियमावली लोकतान्त्रिक होयक परी,
- (ख) राजनैतिक दल के विधानमा कम से कम पांच वर्ष मैहा एक वार वही दल के संघीय और प्रदेश तह के प्रत्येक पदाधिकारी के निर्वाचन होयक व्यवस्था होयक परी, लेकिन विशेष परिस्थिति पैदा भए पर पांच वर्ष के भितर पदाधिकारी के निर्वाचन सम्पन्न न होय सके पर ६ महिना के भितर वह निर्वाचन के सकै के राजनैतिक दल के विधान मइहा व्यवस्था करै मा बाधा अड्चन न परी ।
- (ग) दलके विभिन्न तह के कार्यकारिणी समिति मे नेपाल के विविधता प्रतिविम्बित होय के हिसाब से समावेशी प्रतिनिधित्व केर व्यवस्था भवा होयक परी ।
- (५) कोई राजनैतिक दल के नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देश के धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकता मा खलल (असर) परै वा देशका विखण्डित करै वाला प्रकृति के रहे पर ऊ मेर राजनैतिक दल दर्ता न होई ।

## २७०. राजनैतिक दल का प्रतिबन्ध लगावैक बन्देज :

- (१) धारा (२६९) अनुसार राजनैतिक दल गठन कइके संचालन करैक औ दल कै विचार धारा दर्शन औ कार्यक्रम के प्रति जन साधारण कै समर्थन औ सहयोग प्राप्त करै के खातिर वह कै प्रचार प्रसार करै के काम मइहा कोई प्रतिबन्ध लगावै के हिसाब से बनावा कानून वा किया गवा कोई व्यवस्था वा निर्णय यी संविधान के प्रतिकूल माना जाई औ स्वतः अमान्य होई ।
- (२) कोई एककै राजनैतिक दल वा एकै किसिम कै राजनैतिक विचार धारा दर्शन वा कार्यक्रम भवा व्यक्ति लोग खाली निर्वाचन देश कै राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था संचालन मइहा भाग लेय पावैक अथवा सम्मिलित होय पावैक हिसाब से बनावा कानून वा किया गवा कोई व्यवस्था वा निर्णय यी संविधान के प्रतिकूल माना जाई औ स्वतः अमान्य होई ।

## २७१. राजनैतिक दल के रुप मइहा निर्वाचन के खातिर मान्यता प्राप्त करैक दर्ता करावैक परी :

- (१) निर्वाचन के प्रयोजन के खातिर निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त करैक चाहै वाले धारा (२६९) अनुसार दर्ता भवा प्रत्येक राजनैतिक दल भी संघीय कानून अनुसार कार्यविधि कइके निर्वाचन आयोग मा दर्ता करावैक परी (२) उपधारा (१) के प्रयोजन के खातिर निवेदन देत मा राजनैतिक दल का धारा (२६९) कै उपधारा (३) मा उल्लेख किया विवरण के अतिरिक्त वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश करैक परी । वही धारा कै उपधारा (४) मा उल्लेखित शर्त भी पूरा किहा का होयक परी ।

## २७२. राजनैतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : राजनैतिक दल कै गठन दर्ता संचालन औ सुविधा तत सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानून अनुसार होई ।

## भाग-३०

### संकटकालिन अधिकार

## २७३. संकटकालिन व्यवस्था :

- (१) नेपाल कै सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता वा कोई भाग कै सुरक्षा मा युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारी के कारण से गम्भीर संकट उत्पन्न भए पर राष्ट्रपति के द्वारा नेपाल भर वा नेपाल के कोई खास क्षेत्रमा लागु होयक खातिर संकटकालिन अवस्था कै घोषणा करै वा आदेश जारी कै सकत हैं ।
- (२) उपधारा (१) मा जो कुछ लिखा होय के बाबजूद कोई प्रदेश मइहा प्राकृतिक विपद् वा महामारी के कारण से गम्भीर संकट उत्पन्न भए पर सम्बन्धित प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल सरकार के समक्ष यी धारा अनुसार प्रदेशमा वा प्रदेश कै कोई भाग मइहा संकटकालिन अवस्था कै घोषणा वा आदेश जारी करै खातिर अनुरोध कै सकत है ।
- (३) उपधारा (१) अनुसार किहा गवा घोषणा वा आदेश, अस घोषणा वा आदेश किहे के मिति से एक महिना के भितर अनुमोदन खातिर संघीय संसद के दुनौ सदन मा पेश किहा जाई ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार अनुमोदन के खातिर पेश भवा घोषणा वा आदेश संघीय संसद के दुनौ सदन मा तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य संख्या कै कम से कम दुई तिहाई बहुमत से अनुमोदन किहे पर वस मेर घोषणा वा आदेश भए के मिति से तीन महिना तक कायम रही ।
- (५) उपधारा (३) अनुसार अनुमोदन के खातिर पेश भवा घोषणा वा आदेश उपधारा (४) अनुसार अनुमोदन न भए पर स्वतः निष्क्रिय होई ।
- (६) यी धार मा वा अन्य जगह कुछ भी लिखा होय के बाबजूद उपधारा (१) अनुसार कै अवस्था अब भी कायम है कहिके उपधारा (४) अनुसार अवधि समाप्त न होतै फिर एक वार तीन महिना न बढै के हिसाब से संकटकालिन घोषणा वा आदेश कै अवधि बढावैक प्रस्ताव संघीय संसद मा पेश कै सकत है ।
- (७) उपधारा (६) अनुसार प्रस्ताव संघीय संसद के दुनौ सदन मइहा तत्काल कायम रहा सम्पूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम दुई तिहाई बहुमत से पारित भए पर वहि प्रस्ताव मा उल्लेखित अवधि तक के खातिर संकटकालिन अवस्था कै घोषणा वा आदेश कायम रही ।

**धारा-३१**  
**संविधान संशोधन**

- (८) प्रतिनिधि सभा विघटन भए के अवस्था मा उपधारा (३) (४) (६) औ (७) अनुसार संघीय संसद के प्रयोग करै वाला अधिकार राष्ट्रिय सभा प्रयोग करी ।
- (९) उपधारा (१) अनुसार संकटकालिन अवस्था कै घोषणा वा आदेश भए पर अस अवस्था के निवारण करैक राष्ट्रपति आवश्यक आदेश जारी कै सकत है । ऊमेर जारी भवा आदेश संकटकालीन अवस्था कायम रहेतक कानून के समान लागू होइहै ।
- (१०) उपधारा (१) अनुसार संकटकालिन अवस्था कै घोषणा वा आदेश जारी करत मा उमेर घोषणा वा आदेश बहाल रहेतक के खातिर भाग ३ मा व्यवस्था भवा मौलिक हक निलम्बन कै सकत है ।  
लेकिन धारा १६, धारा १७ कै उपधारा (२) कै खण्ड (ग) औ (घ), धारा १८, धारा १९ कै उपधारा (२) धारा २), २०, २१, २२, २४, धारा २६ कै उपधारा (१) २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६ कै उपधारा (१) औ (२) ३८, ३९, ४० कै उपधारा (२) औ (३) ४१, ४२, ४३, ४५ औ धारा ४६ अनुसार कै संवैधानिक उपचार कै हक औ बन्दी प्रत्यक्षीकरण कै उपचार प्राप्त करैक हक निलम्बन न किया जाई ।
- (११) उपधारा (१०) अनुसार यी संविधान कै कोई धारा निलम्बन किहे पर वही धारा से दिहा गवा मौलिक हक के प्रचलन के खातिर कोई भी अदालत मइहा निवेदन देयक वा वही सम्बन्ध मा कोई अदालत मइहा प्रश्न उठावयूक न सका जाई ।
- (१२) यी धारा अनुसार घोषणा वा आदेश कायम रहे तक के अवस्था मइहा कोई पदाधिकारी बदनियत के साथ काम किहे से कोईका कोई प्रकार कै क्षति भवा है तौ पीडित ही अस घोषणा वा आदेश समाप्त भए के तीन महिना के भित्तर अपने का परा क्षति (नुक्सान) सम्बन्ध कै क्षतिपूर्ति कै माग कै सकत है । अस क्षतिपूर्ति कै माग भए पर अदालत संघीय कानून अनुसार क्षतिपूर्ति देवावैक औ पीडक का सजाय कै सकत है ।
- (१३) यी धारा अनुसार कै घोषणा वा आदेश राष्ट्रपति कोई भी समय मा वापस लै सकत है ।

**२७४. संविधान संशोधन :**

- (१) नेपाल कै सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता स्वाधिनता औ जनता मइहा निहित सार्वभौमसत्ता के प्रतिकूल होयक कइके यी संविधान संशोधन न किया जाय सकी ।
- (२) उपधारा (१) औ यी संविधान के अन्य धारा के अधिनमा रहिके यी संविधान के कोई धारा का संशोधन वा खारिज करयूक विधेयक संघीय संसद के कोई भी सदन मइहा पेश किया जाय सकत है ।  
लेकिन उपधारा १ का संशोधन न किया जाई ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार पेश भवा विधेयक सम्बन्धित सदन मइहा प्रस्तुत भए के तीस दिन के भितर सर्वसाधारण जनता का जानकारी के खातिर सार्वजनिक रुप से प्रकाशन करैक परी ।
- (४) उपधारा (२) अनुसार पेश भवा विधेयक कोई प्रदेश कै सीमामा परिवर्तन वा अनुसूचि ६ मा लिखा विषय से सम्बन्धित भए पर ऊ मेर कै विधेयक संघीय संसद मा प्रस्तुत भए के तीस दिन के भितर सम्बन्धित सदन कै सभामुख वा अध्यक्ष कै सहमति के खातिर प्रदेश सभा मा पठवयूक परी ।
- (५) उपधारा (४) अनुसार पठवा विधेयक तीन महिना के भित्तर सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्यन के बहुमत से स्वीकृत वा अस्वीकृत कइके वह कै जानकारी संघीय संसद मा पठवयूक परी ।  
लेकिन कोई प्रदेश सभा कायम न रहे के अवस्था मइहा ऊ प्रदेश सभा गठन भए के पहिला बैठक बइठै के मिति से तीन महिना के भित्तर स्वीकृत वा अस्वीकृत कइके पठवयूक परी ।
- (६) उपधारा (५) अनुसार के अवधि (समय) के भित्तर ऊ मेर विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भवा जानकारी न दिहे पर संघीय संसद कै विधेयक उत्पत्ति भवा सदन से वहि विधेयक के उपर कारवाई आगे बढावै मा बाधा अड्चन न परी ।
- (७) उपधारा (५) अनुसार के अवधि के भित्तर बहुसंख्यक प्रदेश सभा सदस्य के द्वारा ऊ विधेयक अस्वीकृत किहे कै सूचना संसदीय संसद कै सम्बन्धित सदन का दिहे पर ऊ मेर कै विधेयक निस्क्रिय होई ।

- (८) प्रदेश सभा कै सहमति आवश्यक न होय वाला वा उपधारा (५) अनुसार बहुसंख्यक प्रदेश सभा से स्वीकृत होइ के आवा विधेयक संघीय संसद के दुनौ सदनमा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम दुई तिहाई बहुमत से पारित करयक परी ।
- (९) उपधारा (८) अनुसार पारित भवा विधेयक प्रमाणीकरण के खातिर राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाई ।
- (१०) राष्ट्रपति भी उपधारा (९) अनुसार पेश भवा विधेयक प्राप्त भए के पन्द्रह दिन के भितर प्रमाणीकरण करिहै औ प्रमाणीकरण भवा मिति से संविधान संशोधन होई ।

## भाग-३२

### विविध

#### २७५. जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) राष्ट्रिय महत्व कै कोई विषय मा जनमत संग्रह से निर्णय करयक आवश्यक है कहिके संघीय संसद मइहा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै दुई तिहाई सदस्य के बहुमत से निर्णय भए पर वहि विषय मा जनमत संग्रह से निर्णय लै सकत है ।
- (२) जनमत संग्रह औ वह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

२७६. **माफी :** राष्ट्रपति कोई अदालत, न्यायिक वा अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकाय से दिया गवा सजाय का कानून अनुसार माफी, मुलतवी परिवर्तन वा कम कै सकत है ।

#### २७७. उपाधी, सम्मान विभूषण :

- (१) राष्ट्रपति राज्य के तरफ से प्रदान करै वाला उपाधी सम्मान विभूषण प्रदान करिहै ।
- (२) नेपाल सरकार से स्वीकृति प्राप्त किहे विना नेपाल कै कोई नागरिक का कोई विदेशी सरकार से प्रदान करै वाला उपाधी, सम्मान वा विभूषण ग्रहण करैक न चाही ।

#### २७८. सन्धी सम्पन्न करैक अधिकार :

- (१) सन्धी वा सम्झौता करयक अधिकार संघ मा नीहित रही ।
- (२) प्रदेश अधिकार के सूचि मा परै वाला विषय मइहा सन्धी वा सम्झौता करतमा नेपाल सरकार प्रदेश से पराशर्म करैक परी ।
- (३) प्रदेश मन्त्री परिषदौ भी नेपाल सरकार से सहमति लइके आर्थिक तथा औद्योगिक विषय कै करारजन्य सम्झौता कै सकि है ।

#### २७९. सन्धी सम्झौता कै अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन :

- (१) नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष होय वाला सन्धी वा सम्झौता के अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून अनुसार होई ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार कानून वनावत मा नीचे लिखा विषय कै सन्धी वा सम्झौता, अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद के दुनौ सदन मइहा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य संख्या कै दुई तिहाई बहुमत से करै वाला सर्त रखा जाई ।
- (क) शान्ति औ मैत्री

(ख) सुरक्षा औ सामरिक सम्बन्ध

(ग) नेपाल राज्य कै सीमा

(घ) प्राकृतिक स्रोत औ वह कै उपयोग कै वांट फाड

लेकिन खण्ड (क) औ (घ) मा उल्लेखित भवा विषय कै सन्धी वा सम्झौता मा राष्ट्रका व्यापक गम्भीर अथवा दीर्घकालिन असर न परै वाला साधारण प्रकृति कै सन्धी वा सम्झौता कै अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभा के बैठक मा उपस्थित सदस्य लोग के साधारण बहुमत से होय सकत है ।

(३) यी संविधान प्रारम्भ होय के बाद होय वाला कोई सन्धी वा सम्झौता यी धारा अनुसार अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन न भए तक नेपाल सरकार वा नेपाल के हक मइहा लागु न होई ।

(४) उपधारा (१) औ (२) मइहा जो भी लिखा होय पर भी नेपाल कै भौगोलिक अखण्डता मइहा प्रतिकूल असर परै वाला कोई सन्धी वा सम्झौता न किया जाई ।

**२८०. राष्ट्रपति के कार्य करैक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :** यी संविधान अनुसार राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति दुनौ कै पद रिक्त भए पर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति कै निर्वाचन होय के अपन कार्य भार न सम्हारे तक यी संविधान अनुसार राष्ट्रपति से होय वाला काम प्रतिनिधि सभा कै सभामुख सम्पादन करिहै ।

**२८१. विशेष अधिकार कै समीक्षा तथा पुनरावलोकन :** नेपाल सरकार हा प्रत्येक दश वर्ष मा होय वाला राष्ट्रिय जनगणना के साथे महिला औ दलित समुदाय के विशेष अधिकार के व्यवस्था कै कार्यान्वयन औ वहकै प्रभाव के सम्बन्ध मा मानव विकास कै सुचकांक के आधार पर समीक्षा तथा पुनरावलोकन करिहै ।

**२८२. राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि :**

(१) राष्ट्रपति समावेशी सिद्धान्त के आधार से नेपाली राजदूत औ कोई खास प्रयोजन के खातिर विशेष प्रतिनिधि नियुक्त कै सकत है ।

(२) राष्ट्रपति विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधि से ओहदा कै प्रमाण पत्र ग्रहण करिहै ।

**२८३. समावेशी सिद्धान्त अनुसार नियुक्ति करैक :** संवैधानिक अंग औ निकाय के पद मइहा नियुक्ति करत मा समावेशी सिद्धान्त अनुसार किया जाई ।

**२८४. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था :**

(१) यी संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधीश औ संवैधानिक निकाय के प्रमुख औ पदाधिकारिन कै नियुक्ति कै सिफारिस करयक निचे लिखा अनुसार अध्यक्ष औ सदस्य रहा एक संवैधानिक परिषद रही ।

(क) प्रधानमन्त्री : अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश : सदस्य

(ग) प्रतिनिधि सभा कै सभामुख : सदस्य

(घ) राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष : सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि सभा के विपक्षी दल के नेता : सदस्य

(च) प्रतिनिधि सभा कै उप सभामुख : सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीश कै पद रिक्त भए के अवस्था मइहा प्रधान न्यायाधीश कै नियुक्ति कै सिफारिस करैक समय संवैधानिक परिषद मा नेपाल सरकार कै कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्य के रुपमा रहिहै ।

(३) संवैधानिक परिषद प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकाय कोई प्रमुख वा पदाधिकारी कै पद रिक्त होय से एक महिना आगेन यी संविधान अनुसार नियुक्ति के खातिर सिफारिस करैक परी ।

लेकिन मृत्यु होय के वा त्याग पत्र देइके अस पद रिक्त भवा अवस्था मा रिक्त भए के मिति से एक महिना के भितर पद पूर्ति के खातिर नियुक्ति कै सिफारिस कै सकत है ।

(४) संवैधानिक परिषद कै अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकाय कै प्रमुख वा पदाधिकारी कै नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून अनुसार होई ।

(५) नेपाल सरकार कै मुख्य सचिव संवैधानिक परिषद् कै सचिव होइके काम करिहै ।

**२८५. सरकारी सेवा कै गठन :**

(१) नेपाल सरकार देश कै प्रशासन संचालन करै का संघीय निजामति सेवा औ आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवा गठन कै सकत है अस सेवा कै गठन संचालन औ सेवा कै सर्त संघीय ऐन (कानून) अनुसार होई ।

(२) संघीय निजामती सेवा समेत सब संघीय सरकारी सेवा मइहा प्रतियोगितात्मक परीक्षा से पदपूर्ति करत मा संघीय कानून अनुसार खुला औ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार मा होई ।

(३) प्रदेश मन्त्रीपरिषद, गांव कार्यपालिका औ नगर कार्यपालिका आपन प्रशासन संचालन करै खारित आवश्यकता अनुसार कानून के अधीनमा रहिकै विभिन्न सरकारी सेवा कै गठन औ संचालन कै सकत है ।

**२८६. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग :**

(१) यी संविधान अनुसार संघीय संसद कै सदस्य औ प्रदेश सभा कै निर्वाचन करयक प्रयोजन के खातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण खातिर नेपाल

- सरकार नीचे लिखा अध्यक्ष और सदस्य रहा एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन के सकत है ।
- (क) सर्वोच्च अदालत के सेवा निवृत्त न्यायाधीश : अध्यक्ष  
(ख) भूगोलविद १ जने : सदस्य  
(ग) समाजशास्त्री वा मानव शास्त्री १ जने : सदस्य  
(घ) प्रशासनविद वा कानूनविद १ जने : सदस्य  
(ङ) नेपाल सरकार के विशिष्ट श्रेणी के अधिकृत: सदस्य सचिव
- (२) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग के कार्यविधि वहि आयोग का गठन करतै समय निर्धारण किया अनुसार होई ।
- (३) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य के पद मा नियुक्त होयक योग्य होइहै:-
- (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से सम्बन्धित विषय मइहा कम से कम स्नातक उपाधी प्राप्त किहे का,  
(ख) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भवा का,  
(ग) उच्च नैतिक चरित्र भवा का ।
- (४) नीचे लिखा कवनौ अवस्था मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य के पद रिक्त (खाली) होई:-
- (क) ऊ अपनै लिखित त्याग पत्र दिहे पर,  
(ख) उनका नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् से हटाए पर,  
(ग) उनके मृत्यु भए पर ।
- (५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग से यी धारा अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करत मा धारा ८४ के उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधिन मा रहिके प्रतिनिधित्व के खातिर जनसंख्या का मुख्य और भूगोल का दोसर आधार मान के संघीय कानून अनुसार प्रदेश मइहा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण किया जाई और प्रदेश के भितर रहा प्रत्येक जिला मइहा कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र रही ।
- (६) उपधारा (५) अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करत मा जनसंख्या और भौगोलिक अनुकूलता, ऊ क्षेत्र के जनजङ्ख्या के घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात के सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षका भी ध्यान देयक परी ।
- (७) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग से निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण किया गवा और पुनरावलोकन किया गवा विषय मा कवनौ अदालतमा प्रश्न उठावैक न मिली ।

- (८) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अपनै किया काम के प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश करिहै ।
- (९) नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् भी उपधारा (८) अनुसार के प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश करै के अलावा कार्यान्वयन के खातिर निर्वाचन आयोग मा पठइहै ।
- (१०) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अपन कार्यविधि अपनै निर्धारण करि है ।
- (११) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पारिश्रमिक तथा सुविधा क्रमशः निर्वाचन आयोग के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के बराबर होई ।
- (१२) उपधारा (५) अनुसार निर्धारण भवा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक वीस वर्ष मा पुनरावलोकन करैक परी ।
- (१३) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग का आवश्यक परै वाला कर्मचारी नेपाल सरकार उपलब्ध कराई ।

#### २८७. भाषा आयोग :

- (१) यी संविधान प्रारम्भ भवा मिति से एक वर्ष के भितर नेपाल सरकार प्रदेशन के प्रतिनिधित्व होय के हिसाब से एक भाषा आयोग के गठन करिहै ।
- (२) भाषा आयोगमा अध्यक्ष के अलावा आवश्यक संख्यामा सदस्य सब रहि है ।
- (३) भाषा आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य के पदाधि नियुक्ति के मिति से ६ वर्ष के होई । ऊ लोग पुनः (फिर) नियुक्त न होय पइहै ।
- (४) नीचे लिखा योग्यता भवा व्यक्ति भाषा आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य के पदमा नियुक्त होयक योग्य होइहै:-
- (क) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त किया,  
(ख) नेपाल के विभिन्न भाषान के सम्बन्धमा अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान और अन्वेषण के क्षेत्रमा कम से कम वीस वर्ष के कार्य अनुभव भवा,  
(ग) पैतालिस वर्ष उमिर पूरा भवा,  
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भवा ।
- (५) नीचे लिखा कवनौ अवस्था मा भाषा आयोग के अध्यक्ष वा सदस्य के पद रिक्त (खाली) होई:-
- (क) ऊ अपनै लिखित त्याग पत्र दिहे पर,

- (ख) उनका नेपाल सरकार मन्त्री परिषद द्वारा हटाय दिहे पर,  
 (ग) उनकै उमिर पैसठ वर्ष पूरा भए पर,  
 (घ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (६) भाषा आयोग कै काम कर्तव्य औ अधिकार नीचे लिखा अनुसार होई:-  
 (क) सरकारी कामकाज कै भाषा के रूपमा मान्यता पावै खातिर पुरा करब जरुरी कै आधारन कै निर्धारण कइके नेपाल सरकार के समक्ष भाषा कै सिफारिस करयक,  
 (ख) भाषा सब कै संरक्षण सम्बर्द्धन औ विकास के खातिर अवलम्बन करै खातिर जरुरी उपायन का नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस करयक,  
 (ग) मातृ भाषान के विकास कै स्तर मापन कइके शिक्षा मइहा प्रयोग कै सम्भाव्यता के बारेम नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश करयक,  
 (घ) भाषा कै अध्ययन अनुसन्धान औ अनुगमन करयक ।
- (७) भाषा आयोग उपधारा (६) कै खण्ड (क) अनुसार कै कार्य आयोग गठन भवा के मिति से पाँच वर्ष के भित्तर सम्पन्न करि है ।  
 (८) नेपाल सरकार प्रदेश सरकार से समन्वय प्रदेश मइहा भाषा आयोग कै शाखा स्थापना कै सकत है ।  
 (९) भाषा आयोग कै अन्य काम कर्तव्य औ अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून अनुसार होई ।

#### २८८. राजधानी :

- (१) नेपाल कै राजधानी काठमाडौं मा रही ।  
 (२) यी संविधान अनुसार प्रदेश कै राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहे सदस्य सङ्ख्या कै दुई तिहाई बहुमत से निर्णय भए अनुसार होई ।  
 (३) उपधारा (२) अनुसार निर्णय न भए तक नेपाल सरकार कै निर्णय अनुसार के स्थान से प्रदेश कै कार्य सञ्चालन होई ।

#### २८९. पदाधिकारी के नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :

- (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभा कै सभामुख, राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री प्रदेश सभा कै सभामुख औ सुरक्षा निकाय कै प्रमुख के पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ति होयक वंशज के आधार मइहा नेपाल कै नागरिकता प्राप्त किया होयक परी ।

- (२) उपधारा (१) मा लिखित पद के अलावा अन्य संवैधानिक निकाय के पदमा यी संविधान अनुसार नियुक्ति के खातिर वंशज के आधार मा नेपाल कै नागरिकता प्राप्त किया व्यक्ति नेपाल कै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त किया व्यक्ति वा जन्म के आधारमा नेपाल कै नागरिकता प्राप्त किया व्यक्ति समेत योग्य होइहै ।  
 लेकिन नेपाल कै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त किए व्यक्ति के हक मा कम से कम दश वर्ष, जन्म के आधारमा नेपाल कै नागरिकता प्राप्त किया व्यक्ति औ धारा ११ कै उपधारा (६) अनुसार नेपाल कै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त किहे व्यक्ति के हकमा कम से कम पांच वर्ष नेपाल मइहा बसोबास किया होयक परी ।

#### २९०. गुठी सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) गुठी के मूल भूत मान्यता मा प्रतिकूल असर न परै कहि के गुठी जगह मा भोग अधिकार होय रहा किसान तथा गुठी के अधिकार के सम्बन्ध मा संघीय संसद आवश्यक कानून बनाई ।  
 (२) गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

#### २९१. नियुक्ति के खातिर योग्य न होइ है :

- (१) यी संविधान मइहा अन्ते जो लिखा होय पर भी विदेश कै स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिहे नेपाल कै नागरिक यी संविधान अनुसार निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति होय वाले पदमा निर्वाचित, मनोनित, वा नियुक्ति के खातिर योग्य न होइ है ।  
 लेकिन यहि किसिम कै विदेश कै स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्याग दिहे व्यक्ति का कम से कम तीन महिना कै अवधि विताए पर पाछे, अस पद मइहा निर्वाचित, मनोनित, वा नियुक्त करै मा बाधा अडचन न परी ।  
 (२) उपधारा (१) अनुसार विदेश कै स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिहे नेपाल कै नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून अनुसार होई ।

#### २९२. संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) यी संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद के सिफारिस मा नियुक्त होय वाले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत कै न्यायाधीश, न्याय परिषद कै सदस्य, संवैधानिक निकाय कै प्रमुख वा पदाधिकारी औ राजदूत के पद मा नियुक्ति होय से पहिले संघीय कानून अनुसार संसदीय सुनुवाई होई ।  
 (२) उपधारा (१) के प्रयोजन के खातिर संघीय संसद के दुनौ सदन कै सदस्य रहै के हिसाव से संघीय कानून अनुसार पन्द्रह सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन किया जाई ।

(३) उपधारा (२) अनुसार संयुक्त समिति मा रहै वाले सदस्य संघीय संसद के उक्त कार्यकाल भर सर्वोच्च अदालत मा उपस्थित होय के बहस पैरवी करयक न पडहै ।

**२९३. संवैधानिक निकाय को काम कारवाईको अनुगमन :** संवैधानिक निकाय कै प्रमुख औ पदाधिकारी का संघीय संसद के प्रति उत्तरदाई औ जवाफदेही रहयक परी । प्रतिनिधि सभा कै समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग के अलावा अन्य संवैधानिक निकाय कै प्रतिवेदन समेत काम कारवाइ कै अनुगमन औ मूल्यांकन कइके आवश्यक निर्देशन वा राय सलाह दै सकत है ।

**२९४. संवैधानिक निकाय कै वार्षिक प्रतिवेदन :**

- (१) यी संविधान अनुसार कै संवैधानिक निकाय भी अपने किया काम कारवाई कै वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश करिहै औ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के मार्फत यी प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश करिहै ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन मइहा खोलै वाला वात सब संघीय कानून अनुसार होई ।
- (३) उपधारा (१) मा जो भी लिखा होय पर भी संवैधानिक निकाय प्रत्येक प्रदेश कै काम कारवाई के सम्बन्ध मा अलग अलग प्रतिवेदन तैयार कइके प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश कै सकत है ।

**२९५. संघीय आयोग कै गठन :**

- (१) प्रदेश कै सीमांकन सम्बन्धी विषय मइहा सुभावा देयक नेपाल सरकार एक संघीय आयोग गठन कै सकत है ।
- (२) उपधारा ५६ कै उपधारा (३) अनुसार प्रदेश कै नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश सभा कै सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै दुई तिहाई बहुमत से होई ।
- (३) उपधारा ५६ कै उपधारा (४) औ (५) अनुसार निर्माण होयवाला गांव पालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कै सङ्ख्या औ सिमाना निर्धारण करै के खातिर नेपाल सरकार एक आयोग गठन करिहै । उहै आयोग गांव पालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कै सङ्ख्या औ सीमा कै निर्धारण नेपाल सरकार निर्धारण किहो मापदण्ड अनुसार करी ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार आयोग कै गठन यी संविधान प्रारम्भ भए के मिति से ६ महिना के भित्त करि जाई ।

**२९६. संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण होई :**

- (१) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय कायम रहा संविधान सभा यी संविधान प्रारम्भ होय के बाद व्यवस्थापिका संसद मइहा स्वतः रुपान्तरण होई औ वहि व्यवस्थापिका संसद कै कार्यकाल सम्बत २०७४ साल माघ ७ गते तक कायम रही ।  
लेकिन वस कार्यकाल पूरा होय से पहिले यी संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा कै निर्वाचन होय वाला भए पर वस निर्वाचन के खातिर उम्मेदवार कै मनोनयन पत्र दाखिल करै के पहिले दिन तक व्यवस्थापिका संसद कायम रही ।
- (२) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय व्यवस्थापिका संसद मइहा विचाराधीन रहे विधेयक सब उपधारा (१) अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा अपनै चले जइहै ।
- (३) यी संविधान अनुसार संघीय संसद ही सम्पादन करैक परै वाला काम यी संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा कै निर्वाचन न भए तक उपधारा (१) अनुसार व्यवस्थापिका संसद ही करी ।
- (४) यी संविधान प्रारम्भ होयक बाद प्रदेश सभा गठन न भएतक अनुसूचि ६ अनुसार के विषय मा कानून बनावैक प्रदेश सभा कै अधिकार

उपधारा (१) अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा रही । ऊमेर बना कानून यी संविधान अनुसार प्रदेश सभा गठन भए के मिति से एक वर्ष बाद ऊ प्रदेश के हकमा निस्क्रिय होई ।

- (५) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय व्यवस्थापिका संसद सचिवालय औ वहकै महासचिव सचिव औ कर्मचारी सब उनकै नियुक्ति होय के समय के सेवा कै सर्त के अधीन मा रहिके यी संविधान अनुसार संघीय संसद सचिवालय मा कायम होइहै ।
- (६) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय व्यवस्थापिका संसद कै अधिवेशन न चल रहा होई तौ राष्ट्रपति यी संविधान प्रारम्भ भए के मिति से सात दिन के भित्तर व्यवस्थापिका संसद कै अधिवेशन बोलइहै । ऊके बाद राष्ट्रपति समय समय मा व्यवस्थापिका संसद कै अधिवेशन बोलावा करिहै ।

### **२९७. राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था :**

- (१) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय कायम रहे राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति यी धारा अनुसार दोसर राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति निर्वाचित न भए तक अपने अपने पद पर कायम रहि है ।
- (२) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय व्यवस्थापिका संसद कै अधिवेशन चले रहे पर यी संविधान प्रारम्भ भए के मिति से औ अधिवेशन न चल रहा है तौ धारा २९६ कै उपधारा (६) अनुसार अधिवेशन बोलाए गए मिति से एक महिना के भित्तर राजनैतिक सहमति के आधार पर राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै निर्वाचन धारा २९६ कै उपधारा (१) अनुसार व्यवस्थापिका संसद से होई ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार सहमति कायम न होय सके पर व्यवस्थापिका संसद मइहा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य के बहुमत से राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति कै निर्वाचन सम्पन्न करैक परी ।
- (४) उपधारा (२) वा (३) अनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति कै पद कोई कारण से रिक्त भए पर संघीय संसद कै गठन न भए तक यही धारा अनुसार व्यवस्थापिका संसद से राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति कै निर्वाचन किया जाई ।
- (५) यी धारा अनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति कै पदावधि धारा ६२ अनुसार निर्वाचक मण्डल से दोसर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति होइ के कार्य भार न लिहे तक कायम रही ।
- (६) यी धारा अनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति कै पद नीचे लिखा कोइ भी अवस्थामा रिक्त होई:-

- (क) राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के समक्ष औ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
  - (ख) उनके विरुद्ध उपधारा (७) अनुसार महाअभियोग कै प्रस्ताव पारित भए पर,
  - (ग) धारा ६२ अनुसार निर्वाचक मण्डल से दोसर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होय के कार्य भार लिहे पर,
  - (घ) उनकै मृत्यु भए पर ।
- (७) यी धारा अनुसार निर्वाचित राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति यी संविधान औ कानून कै गम्भीर उल्लंघन किहे के आरोप मा धारा २९६ कै उपधारा (१) अनुसार व्यवस्थापिका संसद मा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै कम से कम एक चौथाई सदस्य उनके विरुद्ध महाअभियोग कै प्रस्ताव पेश कै सकत है । उमेर प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै कम से कम दुई तिहाई बहुमत से पारित भए पर ऊ पद मुक्त होइहै ।

### **२९८. मन्त्रीपरिषद् कै गठन सम्बन्धी व्यवस्था :**

- (१) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय कायम रहा मन्त्री परिषद् उपधारा (२) अनुसार मन्त्री परिषद् गठन नभए तक कायम रही ।
- (२) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय व्यवस्थापिका संसद कै अधिवेशन चलत है तौ संविधान प्रारम्भ भए के मिति से औ अधिवेशन न चलत रहे के समय धारा २९६ कै उपधारा (६) अनुसार बोलावा गवा व्यवस्थापिका संसद कै अधिवेशन प्रारम्भ भए के मिति से सात दिन के भितर राजनैतिक सहमति के आधार से प्रधान मन्त्री कै निर्वाचन सम्पन्न कइके उनके अध्यक्षता मा मन्त्री परिषद् गठन होई ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार सहमति कायम न भए पर व्यवस्थापिका संसद कै तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै बहुमत के आधार से प्रधानमन्त्री निर्वाचित होइहै ।
- (४) यी धारा अनुसार गठन होय वाला मन्त्री परिषद् कै संरचना औ कार्य विभाजन आपसी सहमति से तय किया जाई ।
- (५) यी धारा अनुसार गठन होय वाला मन्त्री परिषद् मा आवश्यकता अनुसार उपप्रधानमन्त्री औ अन्य मन्त्री सब रहिहै ।
- (६) यी धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री उपधारा (५) अनुसार मन्त्री नियुक्त करत मा सम्बन्धित दल कै सिफारिस से व्यवस्थापिका संसद कै सदस्यन के विच मे से नियुक्त करैक परी ।

- (७) यी धारा अनुसार प्रधानमन्त्री औ अन्य मन्त्री सब व्यवस्थापिका संसद प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदायी होइहै । औ मन्त्री लोग अपने मन्त्रालय के काम के खातिर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमन्त्री औ व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदाई होइहै ।
- (८) नीचे लिखा कवनौ अवस्था मा यी धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री अपने पद से मुक्त होइहै:-
- (क) ऊ अपने राष्ट्रपति के समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उपधारा (१४) अनुसार उनके विरुद्ध अविश्वास कै प्रस्ताव पारित भए पर वा अविश्वास कै प्रस्ताव पारित न होय सके पर,
- (ग) ऊ अपने व्यवस्थापिका संसद कै सदस्य न रहे पर,
- (घ) उनके मृत्यु भए पर ।
- (९) यी धारा अनुसार नियुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री नीचे लिखा कवनौ भी अवस्था मा अपने पद से मुक्त होइ है:-
- (क) ऊ अपने प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) उपधारा (८) अनुसार प्रधानमन्त्री अपने पद से मुक्त भए पर,
- (ग) सम्बन्धित दल कै सिफारिस वा सम्बन्धित दल के सलाह मा प्रधानमन्त्री ही उनका पद मुक्त किहे पर,
- (घ) उनके मृत्यु भए पर ।
- (१०) उपधारा (८) अनुसार प्रधानमन्त्री अपने पद से मुक्त भए पर भी दोसर मन्त्री परिषद् गठन न भए तक के खातिर वही मन्त्री परिषद् कार्य संचालन करतै रही ।
- (११) यी धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री कै मृत्यु भए पर दोसर प्रधानमन्त्री नियुक्त न भए तक के खातिर उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्री ही प्रधानमन्त्री के रूप से कार्य संचालन करिहै ।
- (१२) यी धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री भी कोई भी समय अपने ऊपर व्यवस्थापिका संसद कै विश्वास है कहिके आवश्यक परे पर विश्वास कै मत के खातिर व्यवस्थापिका संसद के समक्ष प्रस्ताव राखि सकत है ।
- (१३) व्यवस्थापिका संसद कै सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै कम से कम एक चौथाई सदस्य भी यी धारा अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री के ऊपर व्यवस्थापिका संसद कै विश्वास नाई है कहि के लिखित रूप से अविश्वास कै प्रस्ताव पेश कै सकत है ।
- लेकिन यी धारा अनुसार नियुक्त एकै प्रधानमन्त्री के ऊपर ६ महिना मइहा एक वार से ज्यादा अविश्वास कै प्रस्ताव पेश न किया जाय सकी ।

- (१४) उपधारा (१२) वा (१३) अनुसार प्रस्ताव कै निर्णय व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेक सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या के बहुमत से होई ।
- (१५) यी संविधान प्रारम्भ होय के बाद यी संविधान अनुसार प्रदेश मन्त्री परिषद कै गठन न भए तक प्रदेश कै कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकार प्रयोग करी ।

### २९९. सभामुख औ उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय कायम रहे व्यवस्थापिका संसद कै सभामुख औ उपसभामुख यी धारा अनुसार दोसर सभामुख औ उपसभामुख निर्वाचित न भए तक अपने अपने पद पर कार्यरत रहिहै ।
- (२) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय व्यवस्थापिका संसद कै अधिवेशन चलत रहै तौ संविधान प्रारम्भ भए के मिति से औ अधिवेशन न चला रहा तौ धारा (२९६) कै उपधारा (६) अनुसार अधिवेशन आह्वान (बोलाए) भए के मिति से वीस दिन के भित्तर व्यवस्थापिका संसद कै सदस्य सब अपने वीच मे से राजनैतिक सहमति के आधार से एक जने सभामुख औ एक जने उपसभामुख कै निर्वाचन करिहै ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार सहमति कायम न होय सके पर व्यवस्थापिका सांसद मा तत्काल कायम रहे सम्पूर्ण सदस्य कै बहुमत प्राप्त करै वाला व्यवस्थापिका सांसद कै सदस्य व्यवस्थापिका सांसद कै सभामुख औ उप सभामुख के पदमा निर्वाचित भवा माना जाई ।
- (४) उपधारा (२) वा (३) अनुसार निर्वाचन करत मा सभामुख औ उपसभामुख व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधित्व करै वाले अलग अलग राजनैतिक दल से प्रतिनिधित्व करै वाले सदस्य होयक परी ।
- (५) सभामुख वा उपसभामुख भी यी संविधान अनुसार अपन कार्य सम्पादन करतमा कोई भी राजनैतिक दल कै पक्ष वा विपक्षमा न रहि के तटस्थ व्यक्ति के हैसियत से करि है ।
- (६) निचे लिखा कोई भी अवस्थामा सभामुख वा उपसभामुख कै पद रिक्त होई:-
- (क) ऊ अपने लिखित त्याग पत्र दिहे पर,
- (ख) व्यवस्थापिका संसद मइहा उनके सदस्यता नरहे पर,
- (ग) ऊ अपने पद अनुकूल कै आचरण नाइ किहिन है कहिके प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद कै सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कै कम से कम दुई तिहाई सदस्य के बहुमत से पारित भए पर,
- (घ) उनके मृत्यु भए पर ।

- (७) व्यवस्थापिका संसद के सभामुख के पद अनुकूल आचरण नाइ किहे है कहा प्रस्ताव के उपर विचार विमर्स होय वाले बैठक के अध्यक्षता उपसभामुख वा अन्य कोई सदस्य करिहै औ ऊमेर प्रस्ताव के विचार विमर्श मा सभामुख भाग लेहै औ मत देय्क पइहै ।
- (द) सभामुख औ उप सभामुख के निर्वाचन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया औ सभामुख वा उपसभामुख के पद अनुकूल के आचरण न किहे के प्रस्ताव पेश कइके पारित करय्क प्रक्रिया तत्काल प्रचलित (चलन) व्यवस्थापिका संसद के नियमावली अनुसार होई ।

### ३००. न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय कायम रहा सर्वोच्च अदालत, संविधान सभा, पुनरावेदन अदालत औ जिल्ला अदालत सब यी संविधान अनुसार न्यायपालिका के संरचना तयार नभए तक कायम रहिहै यी संविधान प्रारम्भ होय से पहले अस अदालत मइहा दायर भवा मुकदमा सब औ यी संविधान प्रारम्भ होय के बाददायर होय वाले मुकदमा सब वही वही अदालत से निरुपण करय्क मा यी संविधान से बाधा पहुचावा न माना जाई ।
- (२) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, औ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहे सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश औ जिला अदालत के न्यायाधीश यही संविधान अनुसार नियुक्त भवा के माना जाई ।
- (३) यी संविधान प्रारम्भ होय के मिति से एक वर्ष के भित्तर संघीय कानून अनुसार धारा १३९ अनुसार उच्च अदालत के स्थापना किया जाई वहि मेर के अदालत के स्थापना होय के बाद यी संविधान प्रारम्भ होयक समय कायम रहा पुनरावेदन अदालत विघटन होई ।
- (४) उपधारा (३) अनुसार उच्च अदालत स्थापना होय के बाद पुनरावेदन अदालत मा फैसला होयक वाकी रहे मुकदमा सब नेपाल सरकार न्याय परिषद् के परामर्श से नेपाल राजपत्र मा सूचना प्रकाशन कइके निश्चित किहा उच्च अदालत मा जइहै ।
- (५) उपधारा (३) अनुसार उच्च अदालत स्थापना होय के बाद न्याय परिषद् के सिफारिस पर प्रधान न्यायाधीश यी संविधान प्रारम्भ होयक समय कार्यरत रहे पुनरावेदन अदालत के मुख्य न्यायाधीश औ न्यायाधीश का उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश औ न्यायाधीश मइहा पदस्थापना करिहै ।

- (६) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय कार्यरत रहे पुनरावेदन अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश सब नियुक्ति होयक समयमा निर्धारित समय तक वहाल रहि सकत है ।
- (७) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय अदालत के अलावा अन्य निकाय मइहा फैसला होयक वाकी एक वर्ष से ज्यादा के सजाय होय वाला फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुकदमा यी संविधान प्रारम्भ होय के बाद सम्बन्धित जिला अदालत जइहै ।

### ३०१. संवैधानिक निकाय औ पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय कायम रहे औ यी संविधान मा व्यवस्था भए के संवैधानिक निकाय यहि संविधान अनुसार गठन भवा माना जाई । वस निकाय मइहा विचाराधीन रहा विषय का यी संविधान के अधिन मा रहि के राफ साफ करै का बाधा व्यवधान भवा न माना जाई ।
- (२) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय कार्यरत रहे संवैधानिक निकाय के प्रमुख वा पदाधिकारी यहि संविधान अनुसार नियुक्त भवा माना जइहै औ ऊसव नियुक्त होयक समय के सेवा के शर्त के अधिन मा रहिके अपने पद पर कार्यरत रहिहै ।
- (३) यी संविधान प्रारम्भ होयक समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग औ लोक सेवा आयोग मइहा यी संविधानमा उल्लेख भए के सङ्ख्या से ज्यादा सङ्ख्या मइहा कार्यरत पदाधिकारी ऊ अपने नियुक्त होयक समय के सेवा के शर्त के अधिनमा रहि के अपने पदमा कार्यरत रहिहै ।

### ३०२. प्रदेश औ स्थानीय तहमा सरकारी सेवा सब के गठन औ सञ्चालन :

- (१) प्रदेश औ स्थानीय तह मइहा आवश्यक सेवा प्रवाह करैक नेपाल सरकार आवश्यक व्यवस्था करी ।
- (२) उपधारा (१) अनुसार व्यवस्था करत मा यी संविधान प्रारम्भ होयक समय सरकारी सेवा मइहा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी का नेपाल सरकार कानून अनुसार संघ, प्रदेश औ स्थानीय तह मइहा समायोजन कइके सेवा प्रवाह के व्यवस्था मिलाय सकत है ।

### ३०३. स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था :

- (१) यी संविधान प्रारम्भ होय के समय कायम रहे स्थानीय निकाय सब यी संविधान अनुसार स्थानीय तह के सङ्ख्या औ क्षेत्र निर्धारण न भए तक कायम रहिहै ।

- (२) उपधारा (१) अनुसार कायम रहे स्थानीय निकाय कै पदाधिकारी कै निर्वाचन कानून अनुसार होई ।
- (३) उपधारा (२) अनुसार निर्वाचित स्थानीय निकाय कै पदाधिकारी सब यी संविधान अनुसार स्थानीय तह कै निर्वाचन न भए तक कायम रहिहै ।

**३०४ वर्तमान कानून लागु रही :**

- (१) यी संविधान प्रारम्भ भए के समय कायम रहा नेपाल कै कानून खारिज वा संशोधन न भए तक लागु रहिहै ।  
लेकिन यी संविधान से बाभा कानून यहि संविधान अनुसार संघीय संसद कै पहिला अधिवेशन बइठै के मिति से एक वर्ष के वाद बाभे के हद तक अपनै अमान्य होई ।
- (२) नेपाल कै अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य सब यहि संविधान अनुसार भवा माना जाई ।

**३०५. बाधा अडचन खोलयक अधिकार :** यी संविधान अनुसार संघीय संसद कै निर्वाचन होइ के वह कै पहिला अधिवेशन प्रारम्भ न भए तक यी संविधान कै कार्यान्वयन करैक कोई बाधा अडचन आए पर राष्ट्रपति ही नेपाल सरकार मन्त्री परिषद् के सिफारिसमा सबमेर बाधा अडचन खोलयक आवश्यक आदेश जारी कै सकत है । वसमेर आदेश जारी होय्क वाद तत्काल बइठा व्यवस्थापिका संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदन के खातिर पेश करैक परी ।

**३०६. परिभाषा औ ब्याख्या :**

- (१) विषय वा प्रसंग से दोसर अर्थ न लागे पर यी संविधानमा,-
- (क) “अल्पसंख्यक” माने संघीय कानून अनुसार निर्धारित प्रतिशत से कम जनसङ्ख्या रहा जातीय भाषिक औ धार्मिक समूह समझयक परी । औ ऊ शब्द से अपने जातीय धार्मिक औ भाषिक विशिष्टता भाव का बचाय राखैक आकांक्षा रहा विभेद औ उत्पीडन भोगैक वाध्य समूह सहित का जनावत है ।
- (ख) “कानून” माने संघीय कानून प्रदेश कानून औ स्थानीय कानून का समझै के परी ।
- (ग) “धारा” माने यी संविधान के धारा का जनावयक परी ।
- (घ) “नगरपालिका” माने महानगरपालिका औ उपमहानगरपालिका सहित का समझैक परी ।
- (ङ) “नागरिक” माने नेपाल कै नागरिक का समझैक पठी है है ।
- (च) “प्रदेश” माने यी संविधान अनुसार संघीय इकाईमा विभाजन किया गवा नेपाल कै क्षेत्र औ स्वरूप का समझैक है ।
- (छ) “पारिश्रमिक” माने तनखाह (तलव) भत्ता औ अन्य कोई किसिम केर पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत का जानयक है ।
- (ज) “राज्य शक्ति” माने राज्य कै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका औ न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार का समझैक परी औ ऊ शब्द से अवशिष्ट अधिकार समेत का जनावत है ।
- (झ) “विधेयक” माने संघीय संसद वा प्रदेश सभा मा पेश भवा संविधान संशोधन वा ऐन (कानून) के मसौदा का जानयक है ।
- (ञ) “संघ” माने संघीय संरचना कै सब से ऊपर के इकाई के रूपमा रहै वाला संघीय तह का समझैक है ।
- (ट) “संघीय इकाई” माने संघ, प्रदेश औ स्थानीय तह का समझैक परी ।
- (ठ) “संवैधानिक निकाय” माने यी संविधान अनुसार गठन किया गवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय

**भाग-३५**  
**संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और खारेजी**

समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग और मुस्लिम आयोग का समझौता है।


- (ड) "सीमान्तीकृत" माने राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े परे पर किहा का विभेद और उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटता के कारण सेवा सुविधा उपभोग करै न पाएक वा वहसे बन्चित रहा संघीय कानून अनुसार मानव विकास के स्तर से भी न्यून स्थिति मा रहे समुदाय का समझौता परी और ऊ शब्द अति सीमान्तीकृत और लोपोन्मुख समुदाय सहित का जनावत है।
- (ढ) "स्थानीय तह" माने यी संविधान अनुसार स्थापना होय वाले गांव पालिका, नगरपालिका और जिला सभा का समझौता परी।
- (२) विषय वा प्रसंग से दोसर अर्थ न लागे पर यी संविधान मइहा व्यक्त भवा वातिन के अधिन मा रहिके कानून के ब्याख्या सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नेपाल कानून के ब्याख्यामा लागु भवा अनुसार यी संविधान के ब्याख्यामा भी लागू होई।

**३०७. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

- (१) यी संविधान का 'नेपाल के संविधान' कहा जाई।
- (२) यी संविधान सम्बत दुई हजार बहत्तर साल असोज महिना के तीन गते से प्रारम्भ होई।

**३०८. खारेजी :** नेपाल के अन्तरिम संविधान २०६३ का खारिज किया गया है।

**अनुसूचि १**  
**(धारा ८ के उपधारा (२) से सम्बन्धित**  
**नेपाल के राष्ट्रिय भण्डा**



**नेपाल के राष्ट्रिय भण्डा बनावैक तरिका**

**(क) किनारा भितर के आकार बनावै के तरिका**

- (१) एक सिन्दुरी रंग के लाल कपडामा नीचे के भाग आवश्यकता अनुसार के लम्बाई के रेखा बाये से दहिने तरफ खीचौ औ यह के नाम क ख रखौ ।
- (२) क से सीधा ऊपर ग तक क ख के लम्बाई जेतने क ख के तृतीयांस जोडत जेतना होई वतनै लम्बा होय के हिसाब से क ग रेखा खिचौ । क ग मइहा क से क ख के लम्बाई जेतनै लइके घ के चिन्ह लगाओ औ ख औ घ का जोडौ ।
- (३) ख घ रेखा मे ख से क ख जेतना लइके ड के चिन्ह लगाओ ।
- (४) ड से क ख के समान्तर कइके क ग मा परैवाला विन्दु च से शुरु कइके दहिने तर्फ छ तक क ख के लम्बाई जेतनै रेखा खीचौ ।
- (५) ग औ छ का जोडौ ।

**(ख) चन्द्र बनावैक तरिका**

- (६) क ख के चतुर्थाश जेतना क से दहिने ज चिन्ह लगाओ औ वह से ऊपर क ग के समान्तर कइके ग छ का भ मा छुवै वाला रेखा खीचौ ।

- (७) ग च के आधा त्र से क ख के समान्तर कइके रेखा दाया तर्फ खीचके ग छ का ट मा छुवाओ ।
- (८) त्र ट औ ज भ रेखा कटै के जगह ठ चिन्ह लगाओ ।
- (९) त्र औ छ जोडौव ।
- (१०) त्र छ औ ज भ का काटै के विन्दु मा ड चिन्ह लगाओ ।
- (११) ड का केन्द्र मान के ख घ रेखा के न्युनतम अन्तर से स्पर्स करैक जतना परै के ज भ रेखा के निचला भाग मा ढ चिन्ह लगाओ ।
- (१२) ड मा छुई के क ख के समान्तर रेखा बाये से दाहिने तर्फ खीचौ औ यह से क ग का छुवय वाला विन्दु के नाम ण राखौ ।
- (१३) ठ केन्द्र लइके ठ ढ के व्यासार्द्ध से निचे भाग मा वृत्र खण्ड खिचौ औ ण ड से गवा रेखा का यह से छुवै वाले दुनौ जगहमा क्रमशः त औ थ नाम राखौ ।
- (१४) ड का केन्द्र मान के ड थ व्यासार्द्ध से नीचे भाग मइहा अर्ध वृत्ताकार त थ का छुवाय के खिचौ ।
- (१५) ढ का केन्द्र मान के ढ ड के व्यासार्द्ध से त ढ थ वृत्त खण्ड के दुनौ तरफ छुवाय के वृत्त खण्ड खीचौ औ यह से त ढ थ का छुवा विन्दु के नाम द औ ध राखौ । द ध का जोड देव । ड ढ औ ज भ का काटै वाला विन्दु के नाम न राखौ ।
- (१६) न का केन्द्र मान के व्यासार्द्ध न ध से त ढ थ के उपरी भाग मइहा दुनौ जगह छुवै कइके अर्ध वृत्ताकार खीचौ ।
- (१७) न का केन्द्र मान के व्यासार्द्ध न ड से त ढ थ के ऊपरी भाग मा दुनौ जगह छुवाय के वृत्त खण्ड खीचौ ।
- (१८) यी अनुसूचि न (१६) के अर्ध वृत्ताकार के भितर औ न (१७) के वृत्त खण्ड बाहेर चन्द्रमा के आठ बराबर के कोण बनाओ ।

**(ग) सूर्य बनावै के तरिका**

- (१९) क च के आधा प से क ख के समानान्तर कइके ख ड मा छुवै कइके प फ रेखा खीचौ ।
- (२०) ज भ औ प फ का काटै वाला विन्दु ब का केन्द्र मान के ड ढ के व्यासार्द्ध से वृत्ताकार पूरा खीचौ ।
- (२१) व का केन्द्र मान के ठ औ ढ व्यासार्द्ध से वृत्ताकार पूरा खीचौ ।
- (२२) यी अनुसूचि नं. (२०) के वृत्ताकार के बहरे औ अनुसूचि न (२१) के वृत्ताकार भितर परा गोल घेरा के बीच भाग मइहा सूर्य के वारह ठउर बराबर कोणन का दूई नोकदार रेखन से के विन्दु ज भ रेखामा छुवौ के हिसाब से बनाओ ।

(घ) किनारा बनावै कै तरिका

(२३) न ढ कै चौडाई जतना गाढा नीला रंग कै किनारा भण्डा के आकार कै बहिरे के सब तर्फ के सीमा मा जोडै लेकिन भण्डा कै पांच कोण सबमा बाहिरी कोण भी भितरै के तरीका से बनाओ ।

(२४) भण्डा डोरी लगाय कै प्रयोग करे पर ऊपर बतावा जइसे पट्टी राखो । भण्डा डण्डा मा डारै के है तो क ग तरफ पट्टी आवश्यक परे जतना किनारा चौडा करौ । डोरी वा डण्डा मा के प्रयोग मा क ग के पट्टी मा बनाओ ।

स्पष्टीकरण भण्डा बनावत के खीचा कै ज भ द ध, च ड, घ अ, छ, ण थ, न ट औ प फ रेखा कल्पित होय । बइसै सूर्य के बाहिरी औ भितर कै वृत्ताकार औ खुपे चन्द्र के अलावा आउर वृत्त खण्ड भी कल्पित होय । यी सब भण्डा मइहा देखावा नाइ जात है ।

**दृष्टव्य :** राष्ट्रिय भण्डा कै आकार नेपाल सरकार से निर्धारण किहे अनुसार होई ।

अनुसूचि २

(धारा ९ कै उपधारा (१) से सम्बन्धित)

नेपाल कै राष्ट्रिय गान

सयौ थुंगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली  
सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली ।  
प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदा को आंचल  
बीरहरुका रगत ले स्वतन्त्र र अटल  
ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल  
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृ भूमि नेपाल  
बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छुन् विशाल  
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।

अनुसूचि ३  
(धारा ९ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित)

नेपाल को निशान छाप



**द्रष्टव्य :** यी निसान छाप आवश्यकता अनुसार वडा वा छोट आकार कै बनावा जाय सकत है । यहमा नेपाल सरकार से निर्धारित रंग के प्रयोग होई ।

अनुसूचि ४  
(धारा ५६ कै उपधारा (३) से सम्बन्धित  
प्रदेश औ सम्बन्धित प्रदेशमा रहय वाला जिला

प्रदेश नं. १	प्रदेश नं. २
१. ताप्लेजुड	१. सप्तरी
२. पांचथर	२. सिरहा
३. इलाम	३. धनुषा
४. संखुवा सभा	४. महोत्तरी
५. तेह्रथुम	५. सर्लाही
६. धनकुटा	६. रौतहट
७. भोजपुर	७. बारा
८. खोटाङ	८. पर्सा
९. सोलुखुम्बु	
१०. ओखलढुंगा	
११. उदयपुर	
१२. झापा	
१३. मोरङ	
१४. सुनसरी	

प्रदेश नं. ३	प्रदेश नं. ४
१. दोलखा	१. गोरखा
२. रामेछाप	२. लमजुङ
३. सिन्धुली	३. तनहु
४. काभ्रेपलाञ्चोक	४. कास्की
५. सिन्धुपाल्चोक	५. मनाङ
६. रसुवा	६. मुस्ताङ
७. नुवाकोट	७. पर्वत
८. धादिङ	८. स्याङ्जा
९. चितवन	९. म्याग्दी
१०. मकवानपुर	१०. वाग्लुङ
११. भक्तपुर	११. नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)
१२. ललितपुर	
१३. काठमाडौं	

प्रदेश नं. ५	प्रदेश नं. ६
१. नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)	१. रुकुम (पश्चिम भाग)
२. रुपन्देही	२. सल्यान
३. कपिलवस्तु	३. डोल्पा
४. पाल्पा	४. जुम्ला
५. अर्घाखाँची	५. मुगु
६. गुल्मी	६. हुम्ला
७. रुकुम (पूर्वी भाग)	७. कालिकोट
८. रोल्पा	८. जाजरकोट
९. प्यूठान	९. दैलेख
१०. दाङ	१०. सुर्खेत
११. बाँके	
१२. बर्दिया	
प्रदेश नं. ७	
१. बाजुरा	
२. बझाङ	
३. डोटी	
४. अछाम	
५. दार्चुला	
६. बैतडी	
७. डडेल्धुरा	
८. कञ्चनपुर	
९. कैलाली	

**अनुसूचि-५**

**(धारा ५७ के उपधारा (१) और धारा १०९ से सम्बन्धित)  
संघ के अधिकार के सूचि**

क्र.सं.	विषय सब
१.	रक्षा और सेना सम्बन्धी
	क) राष्ट्रिय एकता और भौगोलिक अखण्डता के संरक्षण
	ख) राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी
२.	युद्ध और पतिरक्षा
३.	हाथ हथियार खरखजाना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी
४.	केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा
५.	केन्द्रीय योजना केन्द्रीय बैंक वित्तीय नीति मुद्रा और बैंकिंग मौद्रिक नीति विदेशी अनुदान सहयोग और ऋण
६.	परराष्ट्र तथा कूटनैतिक मामिला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी
७.	अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा सम्झौता सुपुर्दगी पारस्परिक कानूनी सहायता और अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी
८.	दूर संचार रेडियो फ्रिक्वेन्सी के वाट बटैया रेडियो टेलिभिजन हुलाक
९.	भन्सार अन्त शुल्क मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
१०.	संघीय निजामती सेवा न्याय सेवा और अन्य सरकारी सेवा
११.	जलस्रोत संरक्षण और बहु आयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति और मापदण्ड
१२.	अन्तर देशीय तथा अन्तर प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन
१३.	केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय और अन्तर्राष्ट्रिय मानक और गुणस्तर)

१४.	केन्द्रीय स्तर के वडा विद्युत सिंचाई और अन्य आयोजना और परियोजना
१५.	केन्द्रीय विश्व विद्यालय केन्द्रीय स्तर के प्रज्ञा प्रतिष्ठान विश्व विद्यालय मापदण्ड और नियमन केन्द्रीय पुस्तकालय ।
१६.	स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य मापदण्ड गुणस्तर और अनुगमन राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल परम्परागत उपचार सेवा सरुवा रोग नियन्त्रण ।
१७.	संघीय संसद, संघीय कार्यपालिका स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला विशेष संरचना ।
१८.	अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनियम बन्दरगाह क्वारेन्टाइन ।
१९.	हवाई उड्डयन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल
२०.	राष्ट्रिय यातायात नीति रेल तथा राष्ट्रिय लोक मार्ग के व्यवस्थापन
२१.	सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत जिला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून ।
२२.	नागरिकता, राहदानी भिसा अध्यागमन ।
२३.	आणविक उर्जा वायु मण्डल और अन्तरिक्ष सम्बन्धी ।
२४.	बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेड मार्क और प्रतिलिपि अधिकार सहित)
२५.	नाप तौल
२६.	खानी उत्खनन्
२७.	राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय निकुञ्ज वन जन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र राष्ट्रिय वन नीति कार्वन सेवा ।
२८.	वीमा नीति धितो पत्र सहकारी नियमन ।
२९.	भूउपयोग नीति बस्ती विकास नीति पर्यटन नीति वातावरण अनुकूलन
३०.	फौजदारी, दिवानी कानून निर्माण
३१.	सुरक्षित छापा खाना ।

३२.	सामाजिक सुरक्षा औ गरिवी निवारण ।
३३.	संवैधानिक निकाय सब राष्ट्रिय महत्व कै आयोग सब
३४.	पुरातात्विक महत्व कै स्थान औ प्राचीन स्मारक
३५.	संघ, प्रदेश औ स्थानीय तह के अधिकार कै सूचिमा वा साभ्का सूचि मैहा उल्लेख न भवा कोई विषय औ यी संविधान औ संघीय कानून मा न लिखा विषय ।

### अनुसूचि ६

धारा ५७ कै उपधारा (२) धारा १६२ कै उपधारा (४) धारा १९७ धारा २३१ कै उपधारा (३) धारा २३२ कै उपधारा (७) धारा २७४ कै उपधारा (४) औ धारा २९६ कै उपधारा (४) से सम्बन्धित ।

### प्रदेश के अधिकार कै सूचि

क्र.सं.	विषय सब
१.	प्रदेश प्रहरी औ शान्ति सुरक्षा ।
२.	नेपाल राष्ट्र बैंक के नीति अनुरूप वित्तिय संस्था सब कै संचालन सहकारी संस्था केन्द्र के सहमतिमा वैदेशिक अनुदान औ सहयोग ।
३.	रेडियो एफएम टेलिभिजन संचालन ।
४.	घर जगा रजिष्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर मनोरञ्जन कर विज्ञापन कर पर्यटन कृषि आयमा कर सेवा शुल्क दस्तुर दण्ड जरिवाना ।
५.	प्रदेश निजामती सेवा औ अन्य सरकारी सेवा ।
६.	प्रदेश तथ्यांक
७.	प्रदेश स्तर कै विद्युत सिंचाई औ पिपै वाला पानी सेवा परिवहन ।
८.	प्रदेश विश्व विद्यालय, उच्च शिक्षा पुस्तकालय संग्रहलय ।
९.	स्वास्थ्य सेवा
१०.	प्रदेश सभा प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी
११.	प्रदेश भितर कै व्यापार
१२.	प्रदेश लोक मार्ग
१३.	प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो
१४.	प्रदेश सरकारी कार्यालयन कै भौतिक व्यवस्थापन औ अन्य आवश्यक विषय
१५.	प्रदेश लोक सेवा आयोग
१६.	भूमि व्यवस्थापन जगा केर अभिलेख

१७.	खानी अन्वेषण औ व्यवस्थापन
१८.	भाषा लिपि संस्कृति ललित कला औ धर्म कै संरक्षण औ प्रयोग
१९.	प्रदेश के भितर कै राष्ट्रिय वन जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन
२०.	कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना औद्योगीकरण व्यापार व्यवसाय यातायात
२१.	गुठी व्यवस्थापन ।

### अअनुसूचि ७

धारा ५७ कै उपधारा (३) धारा १०९, धारा १६२, कै उपधारा (४) धारा १९७ से सम्बन्धित ।

### संघ, प्रदेश कै साभा अधिकार कै सूचि

क्र.सं.	विषय सब
१.	फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि औ प्रमाण औ सपथ (कानूनी मान्यता सार्वजनिक कार्य औ अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रिया)
२.	आवश्यक वस्तु तथा सेवा कै आपूर्ति वितरण मूल्य नियन्त्रण गुणस्तर औ अनुगमन ।
३.	देश के सुरक्षा से सम्बन्धित विषय मद्दहा निवारक नजरबन्द कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन औ शान्ति सुरक्षा कै व्यवस्था ।
४.	एक प्रदेश से दोसर प्रदेश मा अपराधी कैदी हिरासत मा रहेकै स्थानान्तरण ।
५.	परिवार कै मामिला (विवाह सम्पत्ति, हस्तान्तरण सम्बन्ध विच्छेद लोपोन्मुख असहाय धर्म पुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार औ संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानून ।
६.	सम्पत्ति प्राप्त अधिग्रहण औ अधिकार कै बनावैक ।
७.	करार सहकारी साभेदारी औ एजेन्सी सम्बन्धी ।
८.	टाट उल्टा औ दामासाही सम्बन्धी
९.	औषधी औ विषदी ।
१०.	योजना परिवार नियोजन औ जनसंख्या व्यवस्थापन
११.	सामाजिक सुरक्षा औ रोजगारी ट्रेड युनियन औद्योगिक विवाद कै समाधान श्रमिक कै हक अधिकार औ विवाद सम्बन्धी कार्य ।
१२.	कानून व्यवसाय लेखा परीक्षण इन्जिनियरिङ चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा पशु चिकित्सा आम्बी औ अन्य पेशा ।
१३.	प्रदेश सीमा नदी जलमार्ग वातावरण संरक्षण जैविक विविधता ।
१४.	संचार माध्यम सम्बन्धी ।

१५.	उद्योग तथा खनिज औ भौतिक पूर्वाधार
१६.	क्यासिनो चिट्ठा
१७.	प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी उद्धार तथा राहत औ पुनर्लाभ ।
१८.	पर्यटन पिथै वाला पानी औ सरसफाई ।
१९.	चलचित्र सनिमा हाल खेलकुद ।
२०.	बिमा व्यवसाय संचालन औ व्यवस्थापन
२१.	गरिबी निवारण औ औद्योगिकरण
२२.	वैज्ञानिक अनुसन्धान विज्ञान प्रविधि औ मानव संशाधन विकास
२३.	अन्तर प्रादेशिक रूप मइहा फैला जंगल हिमाल वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग ।
२४.	भूमि नीति औ सो सम्बन्धी कानून
२५.	रोजगारी औ बेरोजगार सहायता ।

**अनुसूचि-८**  
**(धारा ५७ कै उपधारा (४) धारा २१४ कै उपधारा (२) धारा २२१ कै उपधारा (२) औ धारा २२६ कै उपधारा (१) से सम्बन्धित)**  
**स्थानीय तह कै अधिकार कै सूचि**

क्र.सं.	विषय सब
१.	नगर प्रहरी
२.	सहकारी संस्था
३.	एफएम संचालन
४.	स्थानीय कर (सम्पति कर घरबहाल कर घर जगा रजिष्ट्रसन शुल्क सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर व्यवसाय कर भूमि कर (मालपोत) दण्ड जुर्माना मनोरञ्जन कर मालपोत संकलन
५.	स्थानीय सेवा कै व्यवसाय
६.	स्थानीय तथ्यांक औ अभिलेख संकलन
७.	स्थानीय स्तर कै विकास आयोजना औ परियोजना
८.	आधारभूत औ माध्यमिक शिक्षा
९.	आधारभूत स्वास्थ्य औ सरसफाई
१०.	स्थानीय बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण औ जैविक विविधता
११.	स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक सिंचाई
१२.	गाव सभा नगर सभा जिला सभा स्थानीय अदालत मेलमिलाप औ मध्यस्थता कै व्यवस्थापन
१३.	स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४.	घर जगा धनी पूर्जा वितरण
१५.	कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारी
१६.	जेष्ठ नागरिक अपांगता भवा व्यक्ति औ अशक्तन कै व्यवस्थापन
१७.	बेरोजगार कै तथ्यांक संकलन

१८.	कृषि प्रसार के व्यवस्थापन संचालन और नियन्त्रण
१९.	पियै वाला पानी छोट जल विद्युत आयोजना वैकल्पिक उर्जा
२०.	विपद व्यवस्थापन
२१.	जलाधार वन्य जन्तु खान तथा खनिज पदार्थ के संरक्षण
२२.	भाषा संस्कृति और ललित कला के संरक्षण और विकास

### अनुसूचि-९

(धारा ५७ के उपधारा (५) धारा १०९ धारा १६२ के उपधारा (४) धारा १९७ धारा २१४ के उपधारा (२) धारा २२१ के उपधारा (२) और धारा २२६ के उपधारा (१) से सम्बन्धित)

### संघ, प्रदेश और स्थानीय तह के अधिकार के सूचि

क्र.सं.	विषय सब
१.	सहकारी
२.	शिक्षा खेलकुद और पत्र पत्रिका
३.	स्वास्थ्य
४.	कृषि
५.	विद्युत पियै वाला पानी सिंचाई जस सब सेवा
६.	सेवा शुल्क दस्तुर दण्ड जुर्माना तथा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रोयल्टी पर्यटन शुल्क
७.	वन जंगल वन्यजन्तु चिरई कौवा जल उपयोग वातावरण पर्यावरण और जैविक विविधता
८.	खान तथा खनिज
९.	विपद व्यवस्थापन
१०.	सामाजिक सुरक्षा और गरिबी निवारण
११.	व्यक्तिगत घटना जन्म मृत्यु विवाह और तथ्यांक
१२.	पुरातत्व, प्राचीन स्मारक और संग्रहालय
१३.	सुकुमबासी व्यवस्थापन
१४.	प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रोयल्टी
१५.	सवारी साधन अनुमति ।